द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक ३०
१९ सितम्बर, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २० में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा, सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

210A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २१ से ३०—८ सितम्बर से १९ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक २१ सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००९, १०११ से १०१७ और १०१९ से १०२२ . . . . २४९१—२५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१०, १०१८ और १०२३ से १०५४ . २५१३—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ से १६९६ . . . २५२७—५३

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट . . . २५५३—५९

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

दो सदस्यों को सजा . . . . २५५९—६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २५६०

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धि . . २५६१

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—पुरःस्थापित २५६१

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक—पुःरस्थापित २५६२

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५६२—९७

खण्ड २ और ३ . . . . . २५८९—९७

खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . . . २५९७—२६००

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६०१—०६

पृष्ठ

अंक २२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५५, १०५६, १०५८, १०५६, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७ से १०६६, १०७१ से १०७४, १०७६, १०७८ और १०७६ . . . . . २६०७—३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . २६३१—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०७०, १०७५, १०७७, १०८० से १०८६ और ५६५ . . २६३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६७ से १७५५ . . . २६४१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना . . . . २६६८—७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७४—७६

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य २६७५

राज्य सभा से सन्देश २६७६

लोक लेखा समिति—

६वीं रिपोर्ट २६७६

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

खण्ड ४ से १४ और १ . . . . . २६७७—६५

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २६६४–६५

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्यपदार्थों से हुई घटनाओं के बारे मे प्रस्ताव . . . . . २६६५—२७०४

दैनिक संक्षेपिका . . . २७०५–०६

अंक २३—बुधवार, १० सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से ११०० और ११०३ से ११०८ २७११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०१, ११०२, ११०६ से ११३७, ६३१ और ६७४ . . . . . २७३४—४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५६ से १८१४ और १८१६ से १८३० २७४६—८१

पृष्ठ

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७८१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना . . . . २७८१—८४, २७८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . २७८४

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २७८६—९५

खण्ड २ और १ . . २७९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव . २७९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २७९५—२८०५

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा २८०६—१६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . २०१६

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . २८१६

दैनिक संक्षेपिका . . २८१७—२१

अंक २४—गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११४५, ११४७, ११५०, ११८३, ११५१ से ११५४, ११५६ से ११५९, ११६२ से ११६४, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१ और ११७२ . . . . २८२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४६, ११४८, ११४९, ११५५, ११६०, ११६१, ११६५, ११६७, ११७०, ११७३ से ११८२ और ११८४ . . . . . २८४९—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ से १९०३, १९०५ से १९१३ और १९१५ से १९१८ . . . . . २८५९—९२

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न . . .	२८९२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	२८९२–९३
राज्य-सभा से सन्देश . . .	२८९३
याचिका का उपस्थापन	२८९३
पठानकोट में गोला-बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य .	२८९३–९४
कार्य मंत्रणा समिति--	
उनतीसवां प्रतिवेदन .	२८९५
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२८९५--२९३२
दैनिक संक्षेपिका . . .	२९३३--३९

अंक २५--शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८, ११९० से ११९६, ११९८ से १२०३, १२०७ और १२०८ . . .	२९४१--६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० .	२९६६--७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८९, ११९७, १२०४ से १२०६ और १२०९ से १२२२	२९७०--७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ से १९७२ और १९७४ से १९९९	२९७७--३०१०
सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन	३०१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३०१०–११
राज्य सभा से सन्देश	३०११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम .	३०११--१६
तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि .	३०१६–१७
तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर की शुद्धि . .	३०१७
सभा का कार्य . .	३०१७
तेल की खोज के बारे में वक्तव्य . .	३०१८
समिति के लिये निर्वाचन--	
प्राक्कलन समिति . .	३०१८–१९

पृष्ठ

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—

पुरःस्थापित . . ३०१९

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ३०१९—२५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३०२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . ३०३१—३२

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प—

वापिस लिया गया ३०३२—३४

कुछ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत . . . . ३०३५—४८

उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प . . ३०४८

दैनिक संक्षेपिका . . ३०४९—५५

अंक २६—सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ से १२२५, १२२७, १२२८, १२३०, १२३२ से १२३५, १२३७ से १२४१, १२४३ से १२४८ और १२५३ . ३०५७—८३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ३०८३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२९, १२३१, १२३६, १२४२, १२४९ से १२५२ और १२५४ से १२६३ . . . ३०८६—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०८९ . ३०९५—३१३२

स्थगन प्रस्ताव—

किमाय और माट्सू द्वीप के संबंध में वाशिंगटन में वित्त मंत्री का वक्तव्य . . . . ३१३२—३५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३१३६—३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३१३८—३९

राज्य-सभा से सन्देश ३१३९

पृष्ठ

एक सदस्य को गिरफ्तारी तथा सजा . . . ३१३६

एक सदस्य की गिरफ्तारी ३१३६

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव-- ३१३६--५४

गन्दी बस्तियाँ हटाने के बारे में मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा ३१५४--७७

दैनिक संक्षेपिका ३१७८--८४

अंक २७--मंगलवार, १६ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७, १२६६, १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८१, १२८३, १२८४, १२८७ और १२८८ . ३१८५--३२०६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ३२०६--११

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२,६४, १२६८, १२७०, १२७७, १२८२, १२८५, १२६६, और १२८६ से १३०५ . ३२११--२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६० से २१७६ ३२२०--५३

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ३२५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी ३२५५-५६

वाणिज्यक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३२५६--६५

दैनिक संक्षेपिका ३२६६--३३०२

अंक २८--बुधवार, १७ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ से १३१०, १३१२, १३१५ से १३१७, १३२१ से १३२८ और १३३० . . . . ३३०३--२६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . ३३३०-३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १३११, १३१३, १३१४, १३१८ से १३२०, १३२६ और १३३१ से १३४६ . . . . ३३३१--४१

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ से २२६३	३३४१—७९
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३३७९–८०
जानकारी का प्रश्न	३३८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३८०–८१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन .	३३८१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप	३३८१
विष (संशोधन) विधेयक—	
पुरस्थापित .	३३८१–८२
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार .	
खण्ड २ से २० , २२ से १००, १०२ से १४९, २१, १०१, १०३ से ४६१, अनुसूची और खंड १ .	३३८२–३४१६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	३४१३–१६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव .	३४१६–२८
दैनिक संक्षेपिका .	३४२९–३४
अंक २९—गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५०, १३५१, १३५४, १३५६ से १३६५ और १३६७ . . .	३४३५–५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५२, १३५३, १३५५, १३६६, १३६८ से १३७९ और १३८१ से १३९५ . .	३४५७–६९
अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ से २३७६	३४६९–३५१९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३५२०
एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना . . .	३५२१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव .	३५२१–६१
दैनिक संक्षेपिका	३५६२–६९

अंक ३०—शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९६, १३९८ से १४००, १४०२, १४०४, १४०५, १४०८, १४०९, १४११, १४१२ और १४१४ . ३५७१—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९७, १४०१, १४०३, १४०७, १४१०, १४१३ और १४१५ से १४२६ . ३५९५—३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ से २४३६ ३६०२—२६

डा० भगवान दास का निधन ३६२६—३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६३०—३१

राज्य सभा से सन्देश ३६३१

सभा का कार्य . . ३६३१—३२

समितियों के लिये निर्वाचन . ३६३२—३३

१. प्राक्कलन समिति; और

२. लोक लेखा समिति ?

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३६३३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . ३६३३—४७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ३६४७

अयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण विधेयक—

पुरःस्थापित . ३६४८

छावनी (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ३६४८—५९

समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६५९—६३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . . ३६६३

सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३६६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३६६४—७०

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गरीबों को कानूनी सहायता

+

†*१३९६. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री दामानी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने गरीबों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी अपनी योजनायें भेजी हैं ;

(ख) क्या इन योजनाओं की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार गरीबों को कानूनी सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख). गत वर्ष केरल सरकार ने वे नियम भेजे थे जिनका नाम है केरल कानूनी सहायता (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और गरीबों) नियम, १९५७ :—

इस वर्ष के प्रारम्भ में बम्बई सरकार ने भी सूचना भेजी कि वहां कानूनी सहायता देने की कुछ योजनायें लागू की गई हैं और इस वर्ष और भी लागू की जा रही हैं।

केरल के नियमों और बम्बई की योजनाओं की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

(ग) और (घ). गरीबों को कानूनी सहायता देने का कार्य तो राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार तो इस विषय सम्बन्धी योजनायें तैयार करने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

†श्री श्रीनारायण दास : इस कार्य के लिये विभिन्न राज्यों ने जो विधियां बनाई हैं क्या केन्द्रीय सरकार उनमें कोई अंशदान देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य कौन सी योजनायें बनायेंगे और किन पर सहमति प्रकट की जायेगी । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि विधि-कार्य मंत्रियों के गत सम्मेलन में यह बात उठाई गई थी और राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें बनाने पर सहमति प्रकट की । अब तक तो राज्य सरकारों के अतिरिक्त हमें किसी ने योजनायें नहीं भेजीं । विधि-कार्य मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में पुनः इस मामले पर चर्चा की जायेगी । अतः जब तक योजनायें तयार नहीं होतीं और उनके बारे में अन्तिम निर्णय नहीं होता तब तक केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या सरकार राज्य सरकारों को ये हिदायतें जारी करेगी कि कम से कम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अस्पृश्यता के बारे में यह सहायता अवश्य दी जाये ?

†**श्री अ० कु० सेन** : केन्द्रीय सरकार को हिदायतें देने का प्राधिकार नहीं है ; वह केवल मंत्रणा दे सकती है ।

†**श्री गोरे** : क्या केन्द्रीय सरकार की अपनी भी कोई योजना है जो कि राज्य सरकारों के लिये उदाहरण स्वरूप हो ?

†**श्री अ० कु० सेन** : बजाये इस के कि राज्य सरकारों पर योजनायें थोपी जायें बेहतर यही होगा कि वे अपने आप योजनायें बनायें ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने के लिये उत्साह नहीं दिखा रही हैं यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इसे भी इन योजनाओं में शामिल कर लेगी जिन्हें वह स्वयं कार्यान्वित करने वाली है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : न जाने माननीय सदस्य ने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि राज्य सरकारें उत्साह प्रकट नहीं कर रही हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : केन्द्रीय सरकार ने किस योजना पर विचार किया है---क्या इस में दीवानी मुकदमें शामिल हैं या कि फौजदारी भी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : कानूनी सहायता में दोनों शामिल हैं जब तक कि विशेष उल्लेख न किया गया हो ।

†**श्री लीलाधर कटकी** : इस बारे में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की गतिविधियों का समन्वय किस दिशा में करने का विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : जो कुछ सम्भव है किया जा रहा है ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : केरल सरकार ने जो नियम भेजे हैं क्या उन्हें कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता स्वीकृत की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** मेरे ख्याल से केरल सरकार ने अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगी है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या विधि आयोग को इस मामले पर विचार कर के एक उपयुक्त योजना तैयार करने के लिये कहा गया है ताकि विभिन्न राज्य उसका अनुसरण करें ?

†**श्री अ० कु० सेन :** यह स्मरण नहीं कि विशेष रूप से इसका उल्लेख किया गया था या नहीं परन्तु विधि आयोग इस पर प्रतिवेदन दे सकता है।

†**श्री आचार :** क्या गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिये केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में कोई योजना है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** संघ राज्य क्षेत्रों के लिये।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** जी हां, योजना तो है परन्तु उसका फायदा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को ही मिलता है।

सफदरजंग हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना

+

†*१३९८. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री सूपकार :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ८ मई, १९५८ को सफदरजंग हवाई अड्डे को वेम्पायर जेट लड़ाकू विमान की दुर्घटना के फलस्वरूप कुल कितना नुकसान हुआ है ;

(ख) इस दुर्घटना की जांच के लिये जो जांच-न्यायालय बैठाया गया था क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों और दिल्ली फ्लाईंग क्लब को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़) :** (क)

(१) मृत व्यक्ति

दो सैनिक अधिकारी और चार नागरिक।

(२) सैनिक सम्पत्ति की हानि

५,१६,५४०·०० रुपये

(३) असैनिक सम्पत्ति की हानि

अभी तक हानि का निर्धारण नहीं किया गया।

(ख) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मेसर्स डी. हर्वालेंड जो विमान के निर्माता हैं, उन के सहयोग से प्रविधिक जांच की गई थी कि ऐसी कौन सी प्रविधिक खराबी थी जिसके कारण विमान में आग लग गई थी। जांच से पता चला है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आग बिजली सम्बन्धी खराबी पैदा होने से अथवा एंजिन के खराब हो जाने के कारण लगी थी। विमान में आग लग जाने के यथार्थ कारणों को निश्चित करना संभव नहीं है क्योंकि विमान दुर्घटना में पूर्णतः नष्ट हो गया है।

(ङ) भारतीय वायु बल की हितैषी सन्था द्वारा दुर्घटना में प्रत्येक मृत व्यक्ति के निकटतम संबंधियों को ६००) दे दिये गये हैं। मृत व्यक्तियों के आश्रित व्यक्तियों के लिये निर्वाह व्यय के दावों की जांच की जा रही है।

दुर्घटना में मारे गये तीन नागरिकों में से प्रत्येक को २०० रुपये प्रसादतः दे दिये गये हैं।

†**श्री राम कृष्ण** : विवरण से पता चलता है कि दुर्घटना कुछ प्रविधिक खराबी के कारण हुई थी। इस प्रविधिक खराबी के लिये कौन जिम्मेदार है ?

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : उन की जिम्मेदारी निश्चित नहीं की गई है।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह घटना मई में हुई थी। दिल्ली फ्लाईंग क्लब ने प्रतिकर की रकम का जो दावा किया है उसका हिसाब प्रतिरक्षा मंत्रालय कब तक कर लेगा ?

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड** : यह विचाराधीन है। हम उसे जल्दी से निपटाने का प्रयत्न कर रहेहैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस फ्लाईंग क्लब को प्रतिकर देने के लिये अनुचित विलम्ब को देखते हुए क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय इस बात पर विचार करेगा कि जब तक उसके प्रतिकर की रकम का अंतिम निर्णय विचाराधीन है, तब तक उसे कम से कम प्रतिकर के अंश के रूप में कुछ रकम दे दी जाये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : दिल्ली फ्लाईंग क्लब ने एक शीर्ष के अधीन ५,६६,००० रुपये और दूसरे शीर्ष के अधीन ५०,००० रुपयों के प्रतिकर का दावा किया है। इसकी एक समिति अनौपचारिक रूप से जांच कर रही है। जब तक कि सारी चीजों की जांच नहीं हो जाती और दावे के ठीक होने का पता नहीं लगा लिया जाता तथा उत्तरदायित्व का निश्चय नहीं कर लिया जाता तब तक भुगतान करना कठिन होगा। उस समय हमने उन्हें उनका काम फिर से चालू करने के लिये दो टाइगर मॉथ विमान उधार दे दिये हैं। हमने ये विमान उधार दिये हैं। नगद रुपया चुकाने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि आबादी वाले क्षेत्रों से इन वेम्पायरों तथा अन्य युद्ध-कालीन या पूर्वयुद्ध-कालीन जहाजों का उड़ना रोकने या बंद करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री रघुरामैया** : यह एक विस्तृत प्रश्न है। इस मामले में न्यायालय की वास्तव में उपपत्ति यह है कि कुछ प्रविधिक खराबी थी। एक प्रविधिक समिति नियुक्त की गई थी परंतु समिति किसी बात का पता नहीं लगा सकी क्योंकि सारा विमान पूर्णतः नष्ट हो गया था और सभी व्यक्ति भी मर गये थे। अतएव इन परिस्थितियों में, इस एक मात्र घटना के आधार पर इस विस्तृत प्रश्न पर विचार करना बहुत कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : उस विमान की आखिरी बार कब परीक्षा की गई थी ?

†**श्री रघुरामैया**: मैं ठीक ठीक समय नहीं बता सकता परन्तु मुझे रिपोर्ट से पता चला है कि जब वह हवाई अड्डे से उड़ा था उस समय वह पूर्णतः उड़ान के लायक था और उसकी हर चीज़ ठीक थी।

†**श्री प्रभात कार** : क्या हम श्री पटनायक को दिये गये उत्तर से यह समझ लें कि जब तक दूसरी विमान दुर्घटना नहीं होती तब तक इस प्रश्न पर विचार करना संभव न होगा ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं ने जो कुछ कहा है उस से यह अनुमान लगाना कठिन है । मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने यह अनुमान कैसे लगा लिया।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि एक घटना ही काफी नहीं है। माननीय सदस्य को जो कुछ उन्होंने कहा है उस से कोई अटकल नहीं लगाना चाहिये।

†**श्री गोरे** : क्या सरकार इस विशेष हवाई अड्डे को, जो कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में है, वहां से हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री रघुरामैया** : सरकार को ये सारी संभावनायें मालूम हैं। परंतु इस के अलावा अन्य बहुत सी विचारणीय बातें हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं इस एक मात्र घटना के कारण इन सभी विस्तृत प्रश्नों तथा योधननीति आदि पर विचार करना बहुत कठिन होगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : दिल्ली फ्लाईंग क्लब के प्रधान के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से उस सहायता के लिय आभारी हूं जो हमें दी गई है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि और अधिक सहायता क्यों नहीं दी गई जिस से कि फ्लाईंग क्लब अपने उड़ान के घंटों संबंधी अपने मूल स्तर को बनाये रख सके। हमें जो जहाज दिये गये हैं उन से हम अपना स्तर पूर्ववत् नहीं रख सकते।

†**श्री रघुरामैय** : सहायता का स्वरूप क्लब की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा, यदि और सहायता की आवश्यकता हुई तो वे हमें लिख सकते हैं और हम उसकी जांच करेंगे।

अंग्रेज़ी भाषा संस्था

†*१३६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री ७ अप्रैल, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अंग्रेजी भाषा के अध्यापन के सुधार के लिये एक स्वायत्त संस्था स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अब तक 'केन्द्रीय अंग्रेजी भाषा संस्था (हैदराबाद) समिति'[1] को पंजीबद्ध कर दिया गया है और यह आशा की जाती है कि अक्टूबर १६५८ से संस्था का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस संस्था को "स्वायत्त" क्यों कहा गया है । इस "स्वायत्त" शब्द का इस अनौद्योगिक संस्था के संबंध में क्या तात्पर्य है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस संस्था को पब्लिक सोसाइटीज़ एक्ट के अधीन पंजीबद्ध किया गया है ; उसका एक गैर सरकारी चैयरमैन होगा जो कि उसकी देख रेख करेगा तथा बारह

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]The Central Institute of English (Hyderabad) Society.

सदस्यों का एक व्यवस्थापक बोर्ड होगा जो उसके सामान्य प्रशासन की देख रेख करेगा। इस संस्था को फोर्ड प्रतिष्ठान, ब्रिटिश काउंसिल तथा भारत सरकार द्वारा वित्त दिया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या देश में अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के लिये भी इसी प्रकार की स्वायत्त संस्था स्थापित की जाएगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं हिन्दी के अध्यापन के लिये एक दूसरी संस्था स्थापित करने के लिये नहीं वरन् उसका पुनर्संगठन करने का विचार कर रहा हूं। आगरा में एक संस्था पहिले से ही है मैं उसका अंग्रेजी संस्था के समान ही पुनर्संगठन कर रहा हूं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से इस बात की जांच करने के लिये तथा इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिये कहा है कि अंग्रेजी में अधिक विद्यार्थी क्यों फेल होते हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वास्तव में यह प्रश्न वर्तमान प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अन्सार हरवानी** : यह संस्था कहां स्थापित की जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हैदराबाद में।

†**श्री दासप्पा** : फोर्ड प्रतिष्ठान तथा ब्रिटिश काउंसिल से वस्तुतः कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी और उस में हमारा अंशदान कितना होगा ?

†**श्री का० ला० श्रीमाली** : इस परियोजना में फोर्ड प्रतिष्ठान तथा भारत सरकार पैसा लगायेगा ––मैं ने कहा था कि ब्रिटिश काउंसिल भी सहायता देगी––परंतु वह वास्तव में हमें इसके लिये कर्मचारी देगी। इस परियोजना की प्राक्कलित लागत लगभग ४१ लाख रुपये होगी जिस में से भारत का हिस्सा लगभग ७·१ लाख रुपये होगा।

सेठ गोविन्द दास : यह जो संस्था बनाई जा रही है, उस की इस देश में क्यों आवश्यकता मानी गई ? और अगर इस तरह की संस्था, जैसी कि मंत्री जी ने कहा, हिन्दी के सम्बन्ध में भी बनाई जा रही है, तो क्या इस बात का भी विचार किया जा रहा है कि हिन्दी के विषय में इस प्रकार की संस्था ऐसे प्रदेशों में भी बनाई जाय जहां की मातृ भाषा हिन्दी नहीं है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, हिन्दी की संस्था का जहां तक सम्बन्ध है, जान बूझ करके उस को हिन्दी क्षेत्र में रक्खा गया है, ताकि जो भी अहिन्दी भाषी हैं वे उस क्षेत्र में आयें, वहां की हिन्दी भाषा से ठीक प्रकार से परिचित हो सकें। इस संस्था की आवश्यकता इसलिये समझी गई कि युनिवर्सिटीज में और स्कूलों में भी अंग्रेजी का स्थान क्षेत्रीय भाषायें ले रही हैं, और यह आवश्यक है कि हमारे देश के लोग अंग्रेजी ठीक तरह से सीखें। उस के विदेशी भाषा होने के कारण, उस की अलग अलग तरह की समस्यायें हैं। इस संस्था का काम होगा कि वह शिक्षण पद्धति या ट्रेनिंग का भी काम करे और अंग्रेजी भाषा के सिखाने के बारे में रिसर्च करे, टेक्स्ट बुक्स तैयार करे और इस तरह के अनेक काम करे। मैं समझता हूं कि इस की देश के लिये आवश्यकता है।

†**श्री जाधव** : क्या इस संस्था की शाखायें विभिन्न प्रान्तों में होंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : फिल हाल शाखायें खोलने का कोई इरादा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोडियान** : क्या इस संस्था ने अपना कोई कार्यक्रम बनाया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :—

(१) विदेशी भाषायें पढ़ाने की आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के लिये संघ के विभिन्न राज्यों के हाई स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों, ट्रेनिंग कालेजों के लैक्चरारों तथा इंस्पैक्टरों को प्रशिक्षित करना।

(२) अंग्रेजी के भारतीय विद्यार्थियों की विशेष समस्याओं की गवेषणा करना तथा भारतीय भाषा-भाषी लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भाषाओं के गठन पर आधारित पाठ्य- क्रम तैयार करना।

(३) उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें लिखने तथा दृश्य-साधनों को तैयार करने के संबंध में गवेषणा करना।

(४) परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम बनाने, ट्रेनिंग कालेजों के अध्यापन कार्य-क्रम तथा उन से संबंधित विषयों पर राज्य सरकारों को सलाह देना।

(५) ऐसे जरनल या पत्र प्रकाशित करना जो संस्था के उद्देश्यों का प्रवर्त्तन करें।

(६) दक्षिण एशिया के अन्य ऐसे देशों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना जिन्होंने विदेशी भाषाओं के अध्यापन के लिये आधुनिक प्रणालियों को अपनाने की व्यवस्था नहीं की।

ये इस संस्था के विस्तृत उद्देश्य हैं।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि इस संस्था की तो कई शाखायें दूसरे स्थानों में खोलने का विचार नहीं है, लेकिन जहां तक हिन्दी संस्था का संबंध है, क्या सरकार यह विचार कर रही है कि उस संस्था की स्थापना जल्दी से जल्दी की जाय और उस की शाखायें ऐसे क्षेत्रों में खोली जायें जिन क्षेत्रों के लोगों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, मैंने निवेदन किया है कि आगरा में एक संस्था चल रही है, उसी संस्था को पुनर्संगठित किया जा रहा है, और बहुत कुछ जिन लाइन्स पर इंग्लिश इन्स्टिट्यूट की स्थापना की जा रही है, उन्हीं लाइन्स पर इस संस्था को भी बनाया जा रहा है और प्रत्येक राज्य में इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि गो कि वहां इस संस्था की शाखा नहीं है, लेकिन स्वतंत्र रूप से एक अच्छा ट्रेनिंग कालेज हर एक अहिन्दी भाषी राज्य में हो।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : एक अंग्रेज की अंग्रेजी और एक अमरीकी की अंग्रेजी में बहुत बड़ा अंतर है। यह संस्था फोर्ड प्रतिष्ठान तथा ब्रिटिश काउंसिल द्वारा चलायी जायेगी। तब वे इस अंतर को कैसे पूरा करेंगे ? क्या यह संस्था अंग्रेजों की अंग्रेजी तथा अमेरिका की अंग्रेजी के बीच खींचतान का एक अखाड़ा नहीं बन जाएगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि हमारी अंग्रेजी उसी प्रकार की हो जिसकी हमें आवश्यकता है।

---

†भूल अंग्रेजी में

हिमालय कोल एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज, पश्चिमी बंगाल

†*१४००. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय कोल एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज, पश्चिमी बंगाल, कोयले का चूरा अन्य कोयला क्षेत्रों की अपेक्षा मंहगा बेचते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उचित कीमतें निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी, हां। इसका कारण यह है कि यह कोयला क्षेत्र दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थित है और इस के मामले में कीमतें अलग से उसी प्रकार निश्चित की गईं थीं जिस प्रकार आसाम तथा मध्य प्रदेश के विविध कोयला क्षेत्रों के लिये की गईं थीं।

(ख) इस कम्पनी की कोयले की वर्त्तमान उत्पादन लागत को निश्चित करने की दृष्टि से एक जांच चल रही है। इस लागत की जांच के परिणामों के आधार पर वर्त्तमान कीमतों पर विचार किया जाएगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस की जांच पड़ताल में कितना समय लगायेगी और जब तक जांच पड़ताल होगी, तब तक क्या इस की कोई निश्चित दर तय कर देगी कि उस दर पर उन्हें बेचा जाय ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : जांच पड़ताल की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जांच पड़ताल जल्दी से जल्दी हो। जहां तक दाम का सवाल है, जांच पड़ताल होने के बाद ही उसे तय किया जायगा।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ऐसा सोचती है कि इस के अलावा बिहार में या मध्य प्रदेश में जहां जहां इस तरह के कोयला बेचने वाले हैं, सब के लिये मिनिमम कीमत तय कर दे ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : जहां तक मिनिमम प्राइस का ताल्लुक है, बिहार और बंगाल के हिस्सों में जहां दाम दूसरी तरह से, यानी इन्डिविजुअल बेसिस पर नहीं होते हैं, वहां ग्रेड के मुताबिक होते हैं। लेकिन बंगाल बिहार में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां दाम इन्डिविजुअल बेसिस पर होते हैं और मध्य प्रदेश और बम्बई में भी ऐसी ही बात होती है।

†**श्री बोस** : क्या इस प्रश्न में उल्लिखित कीमतें खदान से निकाले जाने पर होती हैं अथवा उन में परिवहन खर्च भी शामिल है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : ये कीमतें खदान की हैं।

†**श्री प० ब० विट्ठल राव** : सभा-सचिव ने कहा है कि एक विशेष समिति इस हिमालय कोयला कम्पनी के बारे में खास तौर पर जांच कर रही है। क्या यह कम्पनी कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : यह एक समिति नहीं है परंतु इस के लिये एक लागत लेखा अधिकारी रखा गया है।

---

† मूल अंग्रेजी में

दिल्ली प्रशासन की राज भाषा

†१४०२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की राज-भाषा के सम्बन्ध में दिल्ली प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक शिष्टमंडल इस बीच उन्हें मिला था ;

(ख) उस शिष्टमंडल ने क्या क्या मांगें पेश की थीं ; और

(ग) उन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी हां,

(ख) शिष्टमण्डल ने ये मांगें पेश की थीं कि :

(अ) दिल्ली प्रशासन की सरकारी भाषा हिन्दी घोषित की जाए और इस को कार्यान्वित करने के लिये ठोस कदम उठाये जायें ;

(आ) राजधानी में जो अन्य भाषायें बोली जाती हैं, जिन में उर्दू भी शामिल है, उन को उचित संरक्षण दिया जाये ;

(इ) जब तक अंग्रेजी भारतीय गणराज्य की सरकारी भाषा है दिल्ली प्रशासन में भी उसको योग्य स्थान दिया जाये ; तथा

(ई) दिल्ली प्रशासन की राजभाषा के रूप में अपनाई जाने वाली हिन्दी की शब्दावली यथासम्भव वैसी ही होनी चाहिये जैसी दिल्ली में आम बोली तथा समझी जाती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रसाशन के राजकीय कार्यों के लिये हिन्दी को अपनाने के विषय में जो निश्चय किया है वह गृह मंत्रालय के चीफ कमिश्नर को भेजे गये ३० जुलाई, १९५८ के पत्र में दिया गया है; इस पत्र की एक प्रतिलिपि सभा की मेज़ पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १]**

[इसके पश्चात उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे ज्ञात है दिल्ली की तत्कालीन असेम्बली ने लगभग दो वर्ष से अधिक हुआ इस सम्बन्ध में एक समिति बनाई थी और केन्द्रीय सरकार ने दो वर्ष से अधिक का समय निर्णय करने में ले लिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीफ़ कमिश्नर महोदय को यह आदेश दिये गये हैं कि वे तत्काल इन पर कार्य करें और यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई कदम भी इस दिशा में बढ़ाया है ?

पंडित गो० ब० पन्त : चीफ़ कमिश्नर को जो चिट्ठी लिखी गई है और जिसका कि मैंने इसमें जिक्र किया है उस में चीफ़ कमिश्नर को यह हिदायत की गई है और इस लैंग्वेज कमेटी की सिफ़ारिशों की बुनियाद पर उनको यह चिट्ठी लिखी गई है।

† मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे कि दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन ने हिन्दी को अपनी राजकाज की भाषा घोषित किया है, क्या गवर्नमेंट का यह इरादा है कि वह नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी जो कि केन्द्रीय सरकार के सीधे अधीन है, उस के भी प्रशासन की भाषा को हिन्दी बनाने तथा उस पर अमल करने के लिए कोई हिदायत देने का विचार करती है ?

पंडित गो० ब० पन्त : जो गवर्नमेंट का निश्चय दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, वह नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के सामने भी रक्खा जायेगा और मैं समझता हूं कि वह उस पर गौर करेंगी ।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री ने जो यह कहा कि दिल्ली प्रशासन की राजभाषा के रूप मे अपनाई जाने वाली हिन्दी की शब्दावली वैसी ही होनी चाहिये जैसी कि दिल्ली में आम बोली तथा समझी जाती है और उसी की शब्दावली को काम में लाया जायगा, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह की कोई एक शब्दावली बनाने के लिये कोई कमेटी बनाई गई है या सरकार का कोई एव ऐसी कमेटी बनाने का इरादा है ?

पंडित गो० ब० पन्त : चीफ़ कमिश्नर को हिदायत की गई है कि वह एक कमेटी बनाये जो कि यह देखे कि हिन्दी को किस तरीक़े पर आगे काम में लाने का ढंग कायम हो सकता है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि आज कल जो व्यक्ति दिल्ली प्रशासन को हिन्दी में पत्र लिखते हैं उनको उन के उत्तर हिन्दी में प्राप्त नहीं होते हैं ?

पंडित गो० ब० पन्त : हिन्दी में किये गये प्रश्नों के उत्तर भी उनको हिन्दी में प्राप्त होने चाहियें और अगर वे नहीं प्राप्त होते हैं तो मैं समझता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने इस सम्बन्ध में जो उस से कहा गया था, उसका ख़याल नहीं रक्खा ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो राजकीय आज्ञा दी गई है चीफ़ कमिश्नर को, उसके अन्तिम पैराग्राफ़ में यह हिदायत भी दी गई है कि हिन्दी उर्दू के सिवाय और जो यहां कि अन्य क्षेत्रीय भाषायें हैं उनको भी पनपने के तु प्रोत्साहन दिया जाय और उन के लिये भी वही व्यवस्था की जाय जो कि हिन्दी और उर्दू के लिए की जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कोई खास क़दम उठाया जा रहा है और शिक्षा पद्धति में कोई ख़ास व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है ?

पंडित गो० ब० पन्त : शिक्षा पद्धति के बारे में तो यह है कि लोग जिस भाषा में शिक्षा पाना चाहें उन को उस में शिक्षा दी जाय वशर्ते की उनकी संख्या काफ़ी हो, यह बात तो पहले से निश्चित है और उस के मुताबिक आग कार्यवाही होनी चाहिये । अब अगर कोई इस में कहीं कमी रही हो तो उसकी इत्तिला चीफ़ कमिश्नर को दी जायेगी ।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली के प्रशासन में भाषा का क्या रूप हो, इस पर यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली में जैसी भाषा बोली जाती है उस के सदृश्य वह भाषा रक्खी जाय । मैं जानना चाहता हूं कि भाषा के रूप का निर्णय करने के लिए क्या कोई विशेषज्ञों की समिति बनाने का विचार है क्योंकि भाषा के रूप का राग बहुत दिनों से छिड़ा हुआ है और यदि इस सम्बन्ध में कोई विशेषज्ञों की समिति दिल्ली में बनाई जाये और सर्वसम्मत उस में एक निर्णय हो जाये तो उस से दूसरे स्थानों को भी सहायता मिल सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित गो० ब० पन्त : जो बड़ा सवाल है वह तो आप जानते हैं कि लैंग्वज कमेटी के करने का है। जहां तक दिल्ली का सवाल है उसका मतलब यह है कि जो चालू अल्फ़ाज हैं उनको छोड़ करके एसे लफ्ज़ों को लाने की कोशिश न की जाय जो कि लोग कम समझते हैं ।

उड़ीसा को सहायता

+

†*१४०४. { **श्री संगण्णा :** **श्री डा० सामन्त सिंहार :** }

क्या **वित्त** मंत्री यह ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सूखा—सहायता के लिये उड़ीसा राज्य ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है और ;

(क) क्या विचाराधीन मदों पर अब तक कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). मैं स्थिति को बताने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखती हूं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री संगण्णा** : विवरण की क्रमांक संख्या २ में यह उल्लेख किया गया है कि उड़ीसा सरकार ने अपनी मांग वापिस ले ली है। इसका क्या कारण है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उन्होंने पहिले एक मांग रक्खी थी परन्तु योजना आयोग ने हमें सूचित किया है कि वार्षिक योजना की चर्चा के अवसर पर राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को बिलकुल ही छोड़ दिया है। मेरी समझ में उन्होंने योजना आयोग को एक नया पत्र लिखा है और आयोग उसका अध्ययन कर रहा है।

†**श्री संगण्णा** : मद संख्या ४—६, में भी यह कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा कोई मांग नहीं की गई । क्या यह प्रस्ताव उपयुक्त सहायता न मिलने की कठिनाई के कारण ही राज्य सरकार द्वारा वापिस लिया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : विवरण में सारी स्थिति स्पष्टत: बताई गई है। वित्तीय सहायता के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या यह राज्य सरकार के ५० प्रतिशत अंशदान देने में असमर्थ होने के कारण तो वापस नहीं लिया गया ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : विवरण में यह उल्लेख है कि मांग नहीं की गई परंतु यदि राज्य सरकार इस संबंध में कोई मांग करेगी तो उसका कुछ हिस्सा केन्द्र द्वारा पूर्ति के लिये दिया जाएगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्र के द्वारा ५० प्रतिशत अपना हिस्सा देने का आश्वासन मिलने पर भी राज्य सरकार ने इस मामले को इसलिये आगे नहीं बढ़ाया कि उसके पास अपना ५० प्रतिशत का हिस्सा अंशदान में देने के लिये निधि नहीं थी ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हो सकता है, ऐसा ही हो। क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों को इन प्रयोजनों के लिये कछ राशि रखनी पड़ती है। भारत सरकार कुल खर्च का कवल ५० प्रतिशत ही पूरा करती ह।

†**श्री पाणिग्रही** : ६ मई, १९५८ को उपमंत्री ने यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने सहायता दरों पर खाद्यान्न बेचने, बीजों की सहायता प्राप्त बिक्री, तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार देने क लिये ग्रामीण सड़कों को बनाने के मदों के अन्तर्गत सहायता मां ी है। आज उपमंत्री अपने विवरण में यह कहती हैं कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई मांग नहीं की।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ने यह कहा था कि उन्होंने कोई विशेष सहायता नहीं मांगी। इसक पूव क विवरण में भी मैंने यह बताया है कि उन्होंने कुछ रकम की सहायता मांगी है और भारत सरकार ने उन्हें उत्तर दिया था कि केन्द्र सरकार से ५० प्रतिशत सहायता मिल सकती है। परंतु उन्हें वित्त आयोग के सुझावों के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारियों के लिये खर्च का कुछ हिस्सा पूरा करना है। अभी तक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है इसलिये मैंने यह विवरण दिया है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या राज्य की १९५८–५९ की योजना के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र से कछ और रकम बांट में मांगी है जिससे कि इन मदों का खर्च पूरा हो सके ? मेरा मतलब मद संख्या ४, ५ और ६ से है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री सदस्यों को स्पष्ट प्रश्न पूछने चाहिये और इसी प्रकार के उत्तर भी साफ साफ दिया जाना चाहिये। यह सुझावा गया है कि राज्य सरकार अपना ५० प्रतिशत हिस्सा देने में भी असमर्थ है और वह केन्द्र से ही सारी मदद चाहती है ? ठीक ठीक प्रश्न क्या है ?

†**श्री पाणिग्रही** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य की १९५८-५९ की योजना के लिये राज्य सरकार ने निर्धारित राशि से अधिक राशि बांट में मांगी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : "अधिक राशि बांट में मांगे जाने" से आपका मतलब क्या ५० प्रतिशत से है ?

†**श्री पाणिग्रही** : जी, हां।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करती हूं कि वे उस विवरण को पढ़ें जिसमें खास तौर पर यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने अभी तक कन्द्रीय सरकार सहायता के लिय कोई मांग नहीं की।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मूल ५० प्रतिशत के लिये भी ?

श्री रंगा : क्या उड़ीसा दैवी विपत्तियों के लिये राष्ट्रीय बीमा योजना में शामिल है ; और क्या इस विशेष निधि से ही भारत सरकार उसे ५० प्रतिशत रकम देने क लिये तैयार हो गई थी बशर्ते कि वह खर्च की बकाया ५० प्रतिशत रकम पूरा कर सके ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मांग के कई मद हैं। कुछ ऐसे मद हैं जिनके अधीन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अर्थोपायों का विकास करने के लिये अनुदान देती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मद भी हैं—जैसे पीने का पानी आदि—जिनके लिये स्वास्थ्य मंत्रालय, इन मदों पर खर्च की गई

---

† मूल अंग्रेजी में

रकम को पूरा करने के लिये, राज्य सरकारों को कुछ धन देता है। अलग अलग शर्तों वाले विभिन्न मद हैं और इन सबका उल्लेख विवरण में किया गया है ।

†**श्री संगण्णा** : उड़ीसा राज्य की कितनी योजनायें अभी भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे पास हर एक योजना की ब्यौरेवार जानकारी नहीं है।

†**श्री पाणिग्रही** : शिवरमण कमेटी ने उड़ीसा के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और यह सिफारिश की थी कि उड़ीसा को छः प्रधान शीर्षों के अन्तर्गत ६२.५६ लाख रुपयों का अनुदान दिया जाए। क्या इन प्रयोजनों के लिए यह रकम बांट में दे दी गई है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : किन शीर्षों के अधीन ?

†**श्री पाणिग्रही** : छोटी सिंचाई योजनायें, पम्पिंग सेटों, तालाबों के पुनर्नवन, राष्ट्रीय राज पथ आदि शीर्षों के अधीन।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैंने केवल उड़ीसा सरकार की मांग और उसे जो कुछ दिया गया है, उसका ही उल्लेख किया है । यदि माननीय सदस्य प्रत्येक समिति की सिफारिशों का ब्यौरा चाहते हैं तो वे अलग से प्रश्न करें।

अर्ल बर्ट्रेन्ड रसल

†*१४०५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा, और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सुप्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक अर्ल बर्ट्रेन्ड रसल को कुछ व्याख्यान देने के लिये भारत आने का आमंत्रण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) वे कब भारत आयेंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :(क) यह मामला विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं बता चुका हूं कि प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस तथ्य की दृष्टि से कि अर्ल रसल गणितज्ञ, दार्शनिक तथा राजनैतिक हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि वे कौन से विषय हैं जिन पर उनसे भारत में व्याख्यान देने के लिये कहा गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यदि कार्यक्रम अपनाया गया तो उनकी उम्र को ध्यान में रखकर हम यह आशा करते हैं कि वे मानवता से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में बोलेंगे।

---

† मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी

†*१४०८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अन्तर्गत एक ऐसी अखिल भारतीय समिति बनाई गई है जो कर्मचारियों का वर्गीकरण करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई गई हैं ; और

(ग) समितियों का गठन किस प्रकार किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) भूतपूर्व शाखा सचिवों तथा भतपूर्व अवीक्षण अधिकारियों की अखिल भारतीय समिति में सर्व श्री वी० एल० मेहता, डी० एस० बाखले, (रिटायर्ड) आई० सी० एस० तथा ए० राजगोपालन हैं। क्षेत्रीय समितियों में क्षेत्रीय प्रबंधक, उपक्षेत्रीय प्रबंधक तथा संबंधित, डिवीजन के डिवीजनल मैनेजर रहते हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या इस वर्गीकरण के फलस्वरूप अधिक्षण कर्मचारी राष्ट्रीय संघ के सभापति तथा सचिव को मिलाकर कुछ क्षेत्र-अधिकारियों तथा अधीक्षण-अधिकारियों की सेवायें समाप्त कर दी गईं थीं ; और यदि कर दी गई थीं तो क्या उन्हें अब फिर से नौकरी पर रख लिया गया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं और निगम उन पर विचार कर रहा है। निगम तथा कर्मचारी संघ के बीच बातचीत चल रही है और अभी वह पूरी नहीं हुई। अतएव निगम ने इन सिफारिशों के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया।

†**श्री प्रभात कार** : क्या यह सच है कि ९ सितम्बर, को राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों का जीवन बीमा निगम के अधिकारियों से द्विदलीय सम्मेलन हुआ था और यदि हुआ था तो इस सम्मेलन का क्या नतीजा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जैसा कि मैं पहिले बता चुकी हूं, फिलहाल संघ से बातचीत चल रही है और कुछ समय के बाद ही नतीजा जाना जा सकता है।

†**श्री खाडिलकर** : क्या अभी जो वर्गीकरण चल रहा है वह क्या लाल समिति द्वारा निर्धारित आधार पर हो रहा है अथवा अन्य किसी नये आधार पर हो रहा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या माननीय सदस्य का मतलब क्षेत्र-अधिकारियों के वर्गीकरण से है ?

†**श्री खाडिलकर** : क्या कार्यपालक-पदों का भी वर्गीकरण इस समय चल रहा है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैंने केवल इतना कहा है कि समिति ने एक क्षेत्र को छोड़कर प्रायः सभी क्षेत्रों की जांच कर ली है। बचे हुए क्षेत्र की जांच होनी है। समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। निगम उन पर विचार कर रहा है और निगम द्वारा निर्णय किये जाने पर ही सरकार उनका अंतिम रूप से निर्णय करेगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरूआ** : क्या श्रणीबद्ध करने की इस योजना में इस आशय का भी कुछ उपबन्ध शामिल है कि बिना कोई कारण बताय ३ महीने का नोटिस दे कर ही किसी क्षेत्र-कर्मचारी को नौकरी से अलग किया जा सकता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह सच नहीं है।

†**श्री हेम बरूआ** : यहां मेरे पास भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री बी० के० कौल का एक पत्र है और उसमें कहा गया है :

"किसी भी क्षेत्र कमचारी की सेवायें, निगम के चेयरमैन के पूर्व-अनुमोदन से, कोई भी कारण बताये बिना क्षेत्र कर्मचारी को तीन महोने का लिखित नोटिस देकर, समाप्त की जा सकती हे ।"

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा** : यह कोई सामान्य नियम नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि क्षेत्र कर्मचारियों के लिये कुछ नियम होते हैं कि उन्हें इतना काम करना चाहिये । यदि वह निर्धारित सीमा तक काम नहीं करते या लक्ष्य के ५० प्रतिशत तक भी काम पूरा नहीं करते तो कुछ शर्तों के अधीन उनकी सेवायें तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं । सिर्फ यही बात मैं ने कही है । इससे वह बात कटती नहीं है ।

†**श्री हेम बरूआ** : यह पत्र वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के नाम से है—और इस का नम्बर है ५३१।आई० एन० एस०—१।५७.....

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ने बताया कि कुछ सिद्धांत निर्धारित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह काम करने की अयोग्यता के बारे में है या काम के प्रति लापरवाही के बारे में ?

†**श्री हेम बरूआ** : इस सारी बात को केवल इस वक्तव्य की आड़ में छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि इस आशय की कोई चीज नहीं निकाली गयी है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि श्रेणीबद्ध किये जाने के फलस्वरूप क्या कुछ क्षेत्र कर्मचारियों की, जिन में फेडरेशन के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी भी शामिल हैं, नौकरियां समाप्त कर दी गयी हैं। मैं ने उनकी संख्या पूछी थी और यह जानना चाहा था कि क्या उनके मामलों पर पुनर्विचार किया गया है, और यदि नहीं तो क्यों ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्षेत्र कर्मचारियों के आंकड़े मेरे पास हैं । ५२२२ में से अब तक ११२ की नौकरियां समाप्त की गयी हैं। लेकिन, मैं बता चुकी हूं कि निगम से इस मामले में बातचीत चल रही है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : द्विदलीय सम्मेलन में किस मामले पर चर्चा हो रहा है यह विवादास्पद है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले के बारे में चर्चा की जायेगी ? यह एक एसा मसला है जिस पर भूख हड़तालें और अन्य हड़तालें हो रही हैं। इसका इंश्योरेंस उद्योग मात्र से सम्बन्ध है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ५००० व्यक्तियों में १ को बाहर कर दिया जाये तो क्या भूख-हड़ताल होने चाहिये ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : फेडरेशन के लगभग १०० पदाधिकारियों का मामला है। और उन्हें तो प्र ान मंत्री का यह आश्वासन प्राप्त था .....

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों माननीय सदस्यों के बीच कुछ गलत फहमी मालूम पड़ती है। श्री बनर्जी क्या चाहते हैं ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके मामलों पर पुनर्विचार किया गया है या नहीं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय सदस्य को मालूम है कि कर्मचारियों के फेडरेशन और निगम के बीच बातचीत चल रही है। जब तक पूरे परिणाम ज्ञात न हो जायें तब तक यह निश्चित उत्तर देना मेरे लिये संभव नहीं होगा कि अमुक अमुक व्यक्तियों की नौकरी समाप्त कर दी गयी है और अमुक अमुक व्यक्ति फिर से रखे गये हैं । स प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकती हूं ।

भारत का राज्य बैंक

†*१४०९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य बैंक ने व्यवसायिक मोटर गाड़ियां खरीद के लिये किराया-खरीद कम्पनियों को कुछ ऋण दिये हैं ;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने भारत के राज्य-बैंक का ध्यान मोटर उद्योग के लिये वित्त-व्यवस्था करने की औचित्य की ओर आकृष्ट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) मोटर उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५८) में ी गयी कुछ सिफारिशों की ओर, जो परिवहन-संचालकों को उधार की सुविधायें देने के विषय में थीं, भारत के राज्य बैंक का ध्यान, भारत के रिजर्व बैंक की मार्फत, उन पर विचार के लिये आकृष्ट किया गया था ।

(ग) १९५७ में भारत का राज्य बैंक अधिनियम में संशोधन कर उसकी धारा ३३(१) में खण्ड (च च) जोड़ दिया गया जिससे बैंक को किराया-खरीद सौदों के लिये वित्त-व्यवस्था करने वाले उपक्रमों को पेशगी देने की अनुमति मिल ग ी है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : भारत के राज्य बैंक ने अबतक कितनी पार्टियों या कम्पनियों को ऋण दिये हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्योंकि भारत के राज्य बैंक किराया-खरीद व्यापार के लिय केवल लिमिटेड कम्पनियों को वित्त दन की सीमा बांध ी है इसलिये दो कम्पनियों को कुछ ऋण मिला है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†सरदार इकबाल सिंह : प्रत्येक कम्पनी को कुल कितना कितना ऋण दिया गया है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। शर्तों के अनुसार राज्य बैंक ने ३५ लाख रुपयों के ऋण मंजूर किये हैं।

†सरदार इकबाल सिंह : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि व्यवसायिक आधार पर मोटर गाड़ियां चलाने वालों से ऋण-शुल्क २५—३० प्रतिशत तक वसूल किया गया है, क्या सरकार इस संबंध में कुछ कार्यवाही करने वाली है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जहां तक भारत के राज्य बैंक का संबंध है, ऋण की एक शर्त यह भी है कि वे कुछ निश्चित मान से अधिक ब्याज नहीं ले सकते।

†श्री हेडा : श्रीमन्, बात स्पष्ट नहीं हुई। उपमंत्री महोदया ने कहा है कि कुछ पार्टियों को ऋण दिये गये हैं, और यह भी कहा कि किसी निश्चित दर से अधिक ब्याज नहीं लिया जायेगा। सूद की दर कितनी है और क्या इस बात की जांच के लिये कुछ उपबंध है कि अधिक सूद वसूल नहीं किया जा रहा है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : दर ६-१० प्रतिशत के लगभग होने की संभावना है।

†श्री प्रभात कार : मैं एक प्रश्न पूछूं ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। माननीय सदस्य अपने स्थान बदल लेते हैं मुझे उन्हें ढूंढना कठिन होता है। ५०० सदस्य हैं।

†श्री जाधव : मैं अपने स्थान से इस लिये उठ गया था कि मुझे यहां अपने सहयोगी से कुछ बातें करनी थीं।

†अध्यक्ष महोदय : मैं दोष नहीं बता रहा हूं। मैं उन्हें इसलिये भी नहीं ढूंढ पाया कि उन्हों ने अपनी टोपी भी उतार दी है।

अब वह प्रश्न पूछें।

भारतीय मुद्राओं का स्टर्लिंग में बदला जाना

†*१४११. श्री जाधव :
श्री खीम जी :
श्री मा० म० गांधी :
श्री नाथ पाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदन और मध्यपूर्व के देशों की कुछ बैंकिंग संस्थाओं के साथ भारतीय रुपयों को स्टर्लिंग में बदलने के बारे में कोई समझौता है ;

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में कोई अनौपचारिक व्यवस्था है या किसी संहिता में इसका उपबन्ध है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में इस प्रकार कितनी-कितनी भारतीय मुद्रायें बदली गयी हैं ; और

(घ) क्या भारत के रिजर्व बैंक के भुगतान शेष विवरणों में यह राशियां दर्ज रहती हैं और यदि, हां, तो किस शीर्ष के अधीन ?

†**वित्त उतमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). भारतीय रुपयों को पौंड स्टर्लिंग में बदलने के लिये विदेश की किसी भी बैंकिंग संस्था से कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं की गयी है । फिर भी, अदन और फारस की खाड़ी के क्षेत्र में, जहां भारतीय मुद्रायें चालू चलार्थ के रुप में अब भी चलती हैं, बैंक भारत से अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये भारत से मुद्रायें मंगाती हैं और अपनी आवश्यकता से अधिक नोटों को भारत को लौटा देती हैं । उन क्षेत्रों के आयात के लिये वित्त व्यवस्था के प्रयोजन के लिये इन अतिरिक्त रुपयों को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की अनुमति दे दी जाती है ।

(ग) ये आंकड़े बताना लोक-हित में नहीं है ।

(घ) संबंधित आंकड़े आयात की मदों में शामिल हैं और भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशति किये जाने वाले भुगतान शेष संबंधी आंकड़ों में शामिल कर लिये जाते हैं ।

†**श्री जाधव** : क्या यह सच है कि बड़ी मात्रा में यह निकासी इस वजह से होती है कि फारस की खाड़ी वाले देशों में भारतीय मुद्राओं को पौंड स्टर्लिंग में बदलने पर कोई रोक नहीं है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : पहली बात तो यह है कि ऐसी बात नहीं है कि उन के बदलने पर कोई रोक ही नहीं है । जहां तक व्यापार के एक अंग के रूप में निर्बाध रूप से यह परिवर्तन होता है, उसमें तो स्टर्लिंग का कोई अवमूल्यन नहीं होता, लेकिन जहां तक यह अवैध आयात या तस्कर व्यापार के फलस्वरूप होता है, यह बात लागू होती है ।

†**श्री नाथ पाई** : उपमंत्री महोदय ने कहा है कि वास्तविक राशियां प्रकट करना लोक-हित में नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि राशियां बहुत बड़ी होंगी । इतनी बड़ी संख्या में यह राशि फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में कैसे पहुंच जाती है जब कि भारत की मुद्रायें बाहर ले जाने के संबंध में प्रतिबंध लगे हुए हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस समस्या के दो भाग हैं । प्रत्येक यात्री को २७० रुपये साथ ले जाने की अनुमति है और इसलिये उनका तात्पर्य है कि बड़ी संख्या में लोगों के जाने के फलस्वरूप बड़ी राशियां जमा हो जाती हैं । लेकिन मैं उन्हें यह विश्वास दिला सकता हूं कि यह राशि बड़ी नहीं है । मैं बता चुका हूं कि इन क्षेत्रों में रुपया ही चलता है और सामान्य बैंकिंग के कार्यों के लिये भी भारतीय रुपयों का आयात किया जाता है ।

†**श्री नाथ पाई** : मेरा प्रयोजन यह नहीं था । सरकार को पता है कि बहुत अधिक मात्रा में सोना चोरी से भारत में लाया जाता है और उसके बदले में भारतीय मुद्रायें ली जाती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : यह बात सच है। इसमें कुछ अंश अवैध बिक्री का भी होता है ।

†श्री प्रभात कार : क्या यह मुद्रायें इस वजह से वहां ले जायी जाती हैं कि भारतीय रुपया फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में विधिमान्य मुद्रा है ?

†श्री ब० रा० भगत : बह बिल्कुल विधिमान्य मुद्रा तो नहीं है लेकिन यह ऐसी मुद्रा है जो वहां खुले आम चलती है ।

†श्री हेडा : मध्यपूर्व के देशों में भारतीय मुद्राओं की लोकप्रियता और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि लेन देन वहां भारत की मुद्राओं में ही होता है, क्या सरकार अदन तथा अन्य स्थानों पर भारत के राज्य-बैंक की शाखायें खोलने का विचार कर रही है ताकि समस्त लेन देन उन्हीं की मार्फत किया जाये ?

†श्री ब० रा० भगत : यह तो कार्य के लिये एक सुझाव है और इस प्रश्न के क्षेत्र से कहीं अलग है ।

†श्री मुरारका : माननीय उपमंत्री ने अभी कहा कि भारतीय रुपया वहां की चालू मुद्रा है क्या वहां के देशों ने भारत सरकार से यह सब रुपया भेजने को लिखा है या यह सारा धन चोरी से भारत से बाहर ले जाया गया है ?

†श्री ब० रा० भगत : यह दोनों प्रकार का है। हमें यह मालूम है कि यह रुपया बैंकिंग के सामान्य माध्यमों के जरिये से सरकारी तौर पर भेजा गया है, लेकिन इसका तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि चोरी से कितना ले जाया गया है।

†श्री जाधव : क्या यह सच है कि प्रत्येक १ करोड़ के चोरी से लाये गये सोने की तुलना में १० करोड़ रुपये का सोना दूसरे देशों को जाता है ?

†श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य का यह गणित अजीब है।

†श्री नाथ पाई : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार हमारी विदेशी मुद्रायें बहुत अधिक कम हो रही हैं, या सरकार कुछ प्रभावकारी कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†श्री ब० रा० भगत : हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम समस्या पर विचार कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

+

†*१४१२. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है और उसके कार्य अधिक व्यापक क्षेत्र में शुरू किये जाने वाले हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित योजना का स्वरूप क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव इस प्रकार है :

वर्ष	भारत भर के उन बच्चों की संख्या जिनके इस योजना में प्रशिक्षित होने की आशा है	भारत भर की संस्थाओं की संख्या	प्राक्कलित व्यय
			लाख रुपये
१९५८-५९	१,५६,०००	२३५	१२
१९५९-६०	१,८०,०००	२५०	२०
१९६०-६१	२,४०,०००	३००	२६

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह योजना किस प्रकार बनायी गयी है, राज्य सरकारों की सलाह से या उनकी मांगों के कारण ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मूल रूप से यह योजना पुनर्वास मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही थी। शिक्षा मंत्रालय ने तो इसे बहुत हाल में अपने हाथ में लिया है। हमने राज्य सरकारों की राय ले ली है। कुछ राज्य सरकारों ने आगे आकर अपने अंशदान किये हैं, उदाहरण के लिये, पंजाब सरकार ने १९५८-५९ के लिये २ लाख रुपये दिये हैं और बम्बई सरकार ने ५ लाख रुपये दिये हैं। अधिक रुपया उपलब्ध होने के कारण हमारा इरादा इस योजना का क्षेत्र और विस्तृत कर देने का है लेकिन यदि राज्य सरकारें स्वयं उत्सुक हों और कुछ अंशदान करे तो इस योजना को इन वर्षों में काफी विस्तृत बनाया जा सकता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: मौजूदा क्षेत्रों और संस्थाओं का चुनाव किस आधार पर किया गया है ? क्या यह बात है कि इन क्षेत्रों में अधिक अनुशासन हीनता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह योजना मूलत : शारणार्थियों के बच्चों के लिये थी जो इन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यह योजना मूल रूप से दिल्ली में आरम्भ की गयी थी और फिर इसे बढ़ा कर इन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया। इस लिये उन्हीं क्षेत्रों में—पश्चिमी बंगाल, पंजाब, दिल्ली आदि में ही इसका विकास हुआ है। हमारा इरादा योजना के क्षेत्र को क्रमश: बढ़ाने का है। परामर्श-दाता राज्य सरकारों से मशविरा कर रहे हैं और उन्हें जहां से भी अनुकूल उत्तर मिलता है वहीं वे इस योजना को आरम्भ कर देते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : अभी तक इस योजना के अनुसार जो काम हुआ है और जो लोग निकले हैं, उन में क्या कोई विशेष परिवर्तन हुआ है और क्या उन का कोई विशेष उपयोग कहीं देखने को मिला है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यहां प्राय: प्रदर्शन होते हैं और मैं समझता हूं कि इस हाउस के मेम्बर्ज़ को उन्हें देखने का अवसर मिला होगा और प्राय: यह पाया जाता है कि जिन बच्चों को यह ट्रेनिंग दी जाती है, वे तन्दरुस्त होते हैं, उनमें डिसिप्लिन होता है और उन का जनरल आउटलुक अच्छा होता है ।

सेठ गोन्विद दास : मैं यह जानना चाहता हूं, जिसका उत्तर मुझे नहीं मिला कि क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट या कोई ब्यौरा सरकार के पास है कि जिस से यह मालूम हो कि इस का कोई स्पष्ट फल निकला है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : स्पष्ट फल तो लोगों के चरित्र से सिद्ध हो सकता है, और इतनी जल्दी इस का असर मालूम नहीं होता है । आखिरकार जब यह लोग जीवन में जायेंगे और उसमें जिस तरह से काम करेंगे, उसी से उसका फल मालूम हो सकता है । लेकिन यह स्पष्ट है कि बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाय, उन के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाये, उन को ड्रिल वगैरह में जाने का अवसर दिया जाय तो उन का शरीर अच्छा बनेगा, उन के मन का अच्छा विकास होगा और अच्छा चरित्र निर्माण होगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** शरणार्थी बच्चों में इस योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए क्या इसे बढ़ा कर गैर-शरणार्थी बच्चों के लिये भी लागू किया गया है, और यदि हां, तो कितने क्षेत्रों में ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** पूरा प्रस्ताव तो यही है । मैं कह चुका हूं कि क्रमश: इसका क्षेत्र बढ़ाया जायेगा । १९५८-५९ में हमें आशा है कि १,५६,००० बच्चों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और १९६०-६१ के अन्त तक २,४०,००० बच्चों को प्रशिक्षण दे लेने की आशा है । हमारा इरादा इसे अन्य बच्चों पर भी, जो शरणार्थी नहीं हैं, लागू करने का है ?

†**श्रीमती रेणुका राय :** यदि गैर-शरणार्थीयों के लिये कुछ योजनायें आरम्भ की गयी हों तो इसकी संख्या कितनी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास ये आंकड़े अलग-अलग नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछें तो मैं उन्हें यह जानकारी दे दूंगा ।

†**श्री उ० च० पटनायक :** अब क्योंकि शिक्षा मंत्रालय इस योजना को स्वीकार कर चुका है, तो क्या अब इसकी अन्य राष्ट्रीय संगठनों, जैसे भारत स्काउट्स, एन० सी० सी०, ए० सी० सी०, खेल कूद संगठनों और छात्रों तथा गैर-छात्रों की विभिन्न मौजूदा युवक आंदोलनों से तुलना कर इस बात पर विचार करने का कोई इरादा है कि उन्हें किस सीमा तक लागू किया जा सकता है और किस सीमा तक उनका उपयोग हो सकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इन सभी योजनाओं के विषय में मंत्रालय का सामान्य दृष्टिकोण यही है कि हम एक बहु-पक्षीय योजना लाना चाहते हैं । भारत स्काउट्स, एन० सी० सी०, ए० सी० सी० और राष्ट्रीय अनुशासन योजना आदि ऐसी विभिन्न योजनायें हैं जिनका उद्देश्य देश के

---

†मूल अंग्रेजी में

युवकों का चरित्र निर्माण करना है। हम कोई एक संगठन ही रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि इन विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय स्थापित हो जाये ताकि दो संगठन एक ही काम को न करें और मंत्रालय यही काम कर रहा है ?

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात पर विचार किया है कि यह योजना काफी लोकप्रिय हो रही है और बहुत से राज्यों से इस सम्बन्ध में मांगें आ रही हैं। तो क्या गवर्नमेंट यह कदम उठाना चाहती है कि जो व्यायाम की शिक्षा अर्थात् फिजिकल कल्चर की शिक्षा, विभिन्न विद्यालयों में पहले से चल रही हैं, उन अध्यापकों द्वारा लोगों को ट्रेनिंग दी जाय ताकि रुपया भी ज्यादा खर्च न हो और उसको एक साथ सब जगह चलाया जा सके ।

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसे-जैसे राज्यों में आवश्यकता मालूम होगी, इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं है कि जहां भी इस योजना को आजमाया गया है वहीं उसे सबसे, जिन में चीन और भारत के प्रधान मंत्री भी शामिल हैं, सब से अधिक प्रशंसा प्राप्त हुई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** जी हां, यही बात है। इस योजना को सब से अधिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है और यही वजह है कि सरकार समूचे कार्यक्रम को विकसित करने का प्रयास कर रही है ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को सुविधायें

\+

†*१४१४. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री यादव :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री जाधव :
श्री गोरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने कर्मचारियों को सुविधायें देने के बारे में जीवन बीमा निगम ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जो जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को मिल सकेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में अंतिम रूप से निर्णय करने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) .** (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निगम निःशुल्क बीमा योजना लागू कर चुका है और अनुमान है कि इसमें हर वर्ष कर्मचारियों के एक मास के वेतन के बराबर राशि व्यय होगी। इस के अलावा कर्मचारियों की चिकित्सा आदि की सामान्य लाभ की योजनाओं के लिये भी एक राशि अलग रख दी गयी है। कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे पर निगम कर्मचारियों की सलाह से विचार कर रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अर्जनसिंह भदौरिया : श्रीमन् इस का उत्तर हिन्दी में दिया जाये, औरिजिनल प्रश्न हिन्दी में था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : नहीं, इस में जो सवाल है उस में कहीं इस का ज़िक्र नहीं है कि हिन्दी में प्रश्न था। इस लिये जवाब अंग्रेजी में दिया जा रहा है। अगर अध्यक्ष महोदय चाहें तो मैं हिन्दी में जवाब दे सकती हूं।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी में भी बतला दीजिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने मन से इस का तर्जुमा करना पड़ेगा।

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जिस प्रश्न का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है उसके सम्बन्ध में अगर कोई आपत्ति होती है तो उस का जवाब फौरन ही अंग्रेजी में दिया जाता है। आप यह जानते हैं कि हमारे सदन में कई सदस्य ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते। अगर वह कोई प्रश्न हिन्दी में जानना चाहें और उसका उत्तर हिन्दी में न दिया जाय, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को केवल यही बता सकता हूं कि माननीय सदस्यों से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके बारे में क्या होता है। माननीय सदस्य हिन्दी में प्रश्न पूछने के लिये स्वतंत्र हैं। हिन्दी में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर सदैव हिन्दी में ही दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तरों का अंग्रेजी अनुवाद सदा तैयार रखा जाता है ताकि जो सदस्य हिन्दी न जानते हों उनकी सुविधा के लिये उसे पढ़कर सुनाया जा सके। यदि माननीय सदस्य का सुझाव यह हो कि जो प्रश्न मूल रूप से अंग्रेजी में नहीं भेजे जाते —उनका उत्तर आम तौर पर अंग्रेजी में ही दिया जाता है —उनका उत्तर हिन्दी में भी दिया जाय तो मैं उस पर विचार करूंगा। मैं प्रश्नों को एक ओर अंग्रेजी में और दूसरी ओर हिन्दी में छापने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं। इस में कुछ खर्चा ही होता है। यदि माननीय सदस्य उस खर्चे को स्वीकार करने के लिये तैयार हों तो मैं इसके लिये बिल्कुल तैयार हूं।

†**श्री रंगा** : केवल खर्चा ही नहीं, इससे अनावश्यक विवाद भी पैदा होता है, हमारी वैसे ही इस संबंध में काफी परेशानियां हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुछ माननीय सदस्य** : हम अपने अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल था कि सारी बातें पूरी हो चुकी हैं ।

†**श्री गोरे** : अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं मेरा नाम और श्री जाधव का नाम यहां एक साथ रख दिया गया है जब कि जो प्रश्न मैं ने पूछा था वह बिल्कुल भिन्न था । क्या कार्यालय प्रश्नों में इतना परिवर्तन कर देने को भी स्वतंत्र है कि हम उन्हें पहचान तक न सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : होता यह है कि कई माननीय सदस्य अपने प्रश्न भेजते हैं । उन प्रश्नों के कई भाग एक से होते हैं या कम से कम उन में से कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में आ जाते हैं । यदि किसी प्रश्न में कुछ भाग ऐसे हों जो बहुत महत्वपूर्ण हों तो उन्हें भी जोड़ लिया जाता है ताकि इस पूरे प्रश्न को उन सभी लोगों के नाम से रखा जा सके जिन्होंने प्रश्न भेजे थे । इन सभी भागों से मिल कर बना यह संशोधित प्रश्न सभी माननीय सदस्यों के पास उनके अनुमोदन के लिये भेज दिया जाता है । तरीका यह है । यदि, किसी वजह से कोई अंश रह गया हो तो माननीय सदस्य उसे मेरे ध्यान में लायें और मैं उसे जोड़ दूंगा ।

†**श्री गोरे** : लाल कमेटी के प्रतिवेदन की कौन कौन सी सिफारिशें अब तक सरकार ने मान ली हैं और लागू कर दी हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं बता चुकी हूं कि इस पूरी बात में लाल कमेटी के प्रतिवेदन की भावना भी निहित है । जहां तक इस योजना के अधीन मिलने वाली विशिष्ट सुविधा का प्रश्न है, उनके बारे में भी मैं उत्तर दे चुकी हूं ।

†**श्री जाधव** : जीवन बीमा निगम में प्रथम श्रेणी के कितने पदाधिकारी हैं और उनमें से कितने ५-९-१९५६ के बाद भर्ती किये गये हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह प्रश्न इस से कैसे उत्पन्न हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस से उत्पन्न नहीं होता । यह सुविधाओं के बारे में है ।

†**श्री गोरे** : यह मूल प्रश्न में शामिल था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बड़ी दुखद बात है । मैं कार्यालय से कहूंगा कि वह इन पर अधिक ब्यौरेवार ढंग से विचार किया करें । जब इसे माननीय सदस्यों के पास भेजा जाता है तो उन्हें भी यह बता देना चाहिये कि कौन सी चीज़ रह गयी है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : साधारणतया ऐसे प्रश्न अनुमोदन के लिये हमारे पास भेज दिये जाते हैं और हम यदि चाहें तो उनमें कुछ जोड़ भी सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को कुछ अधिक सावधान रहना चाहिये ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : कभी कभी कई माननीय सदस्यों से एक सा ही प्रश्न मिलता है और कभी कभी प्रश्नों के कुछ भाग एक से ही होते हैं । कुछ अंश ऐसे भी होते हैं जिन का उत्तर पिछले प्रश्नों में आ गया होता है और उन माननीय सदस्यों को अपने ऐसे प्रश्नों को ग्राह्य कराने का अधिकार नहीं होता । फिर भी ऐसे कुछ अंश हो सकते हैं जिनका उत्तर दिया जाना चाहिये, और क्योंकि किसी माननीय सदस्य का

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न होता है जो या तो पहले आ चुका होने या किसी अन्य प्राथमिकता के कारण ग्राह्य किया जा चुका होता है तो इन माननीय सदस्य का नाम भी केवल उस अंश के लिये उसमें रख दिया जाता है जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो और जो पहले किसी प्रश्न में न आ चुका हो।

अतः दूसरे माननीय सदस्य का प्रश्न अथवा उसका कुछ अंश जो कि उसका महत्वपूर्ण अंश हो सकता है, ग्रहीत प्रश्न में नहीं आता। इस कारण कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब उसमें कुछ अंश जोड़ दिया जाता है तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती किन्तु जब कुछ कमी कर दी जाती है तो वे आपत्ति करते हैं। इस कारण मैं सचिवालय को परामर्श दूंगा कि वह अन्य सबको भी मिला दे जिससे कि यह प्रश्न विशद बन जाये।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हम अधिक लम्बे प्रश्न नहीं चाहते हैं जैसा कि कभी कभी होता है। इस कारण यदि कुछ अंश उसमें से निकाल दिया जाता है और जिस पर सचिवालय तथा सदस्यों का ध्यान नहीं जाता है, तो सदस्य उसे बाद में रख सकते हैं।

†**श्री गोरे** : जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, उस के बारे में दो प्रश्न हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : प्रश्न संख्या १४२१ जो है वह १८ लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में है, इस कारण क्या आप मंत्री महोदय से उसका उत्तर देने के लिये मेरी अनुमति स्वीकार करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : किन्तु हिन्दी-अंग्रेजी विवाद में काफी समय लग गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। प्रश्न काल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

व्यापार प्रबन्ध तथा मुद्रण की संस्थाएं [1]

†*१३९७. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट केन्द्रीय संस्थायें तथा व्यापार प्रबन्ध तथा मुद्रण की संस्थायें स्थापित करने की योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये संस्थायें कहां पर स्थापित की जायेंगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई टेक्निकल शिक्षा की तीन विशिष्ट संस्थाओं में से प्रशासकीय कर्मचारी कालेज हैदराबाद में स्थापित किया गया है और अखिल भारतीय

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Institutes of Business Management and Printing.

प्रबन्ध संस्था बनाई जा चुकी है जिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुद्रण प्रौद्योगिकी की केन्द्रीय संस्था की स्थापना करने की योजना तैयार की जा रही है।

विदेशों से साइकिलें लाना

†*१४०१. **श्री राधा रमण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों की बनी हुई साइकिलें बहुत बड़ी संख्या में वैयक्तिक स्थलों से सिंगापुर से होकर भारत लाई जा रही हैं ; और

(ख) क्या इस मामले में सरकार कुछ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं। सामान संबंधी नियमों के अधीन यात्री के नेकनीयत से लाये गये सामान के रूप में प्रति यात्री एक साइकिल सीमा शुल्क दिये बिना लाने की अनुमति है। इस प्रकार यात्रियों द्वारा सिंगापुर से लाई गई साइकिलों की कुल संख्या बहुत अधिक नहीं है ; इस वर्ष के प्रथम सात महीनों में केवल लगभग ५८०० साइकिलों का आयात सामान के रूप में किया गया था, दूसरे शब्दों में इस देश में आने वाले बहुत कम यात्री अपने साथ साइकिलें लाये थे।

(ख) देश में कुल उत्पादन को देखते हुये आयात की गई साइकिलों की संख्या बहुत कम है, जो १९५७ में ८ लाख थी और विद्यमान रियायत के दुरुपयोग किये जाने का कोई स्पष्ट प्रमाण भी नहीं है ; इस कारण फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पत्तनों पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पहले से ही निदेश दिये जा चुके हैं जिन के अनुसार उन यात्रियों को शुल्क दिये बिना साइकिल नहीं लाने दिया जाता जिनके बारे में यह संदेह होता है कि वे साइकिल को अपने सामान के रूप में अपने इस्तेमाल के लिये नहीं अपितु बेचने के लिये लिये जा रहे हैं।

रेडियो सीलोन का व्यापार विभाग को विज्ञापन दिया जाना

†*१४०३. **श्री वोडयार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सरकारी संगठन रेडियो सीलोन के व्यापार विभाग के द्वारा अपने विज्ञापन निकलवाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने ऐसे विज्ञापन देने के संबंध में कोई नियम बनाये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). ऐसे विज्ञापनों के बारे में नीति यह है कि रिज़र्व बैंक निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में प्रसारण के लिये ही विदेशी मुद्रा देती है, जिसका प्रमुख आधार यह रहता है कि क्या प्रसारण से जिन-जिन देशों में वह विज्ञापन सुना जायेगा उसके द्वारा उस क्षेत्र में सामान के निर्यात में वृद्धि होगी।

केवल चार उदाहरण ऐसे हैं जिन में रेडियो सीलोन के व्यापार विभाग के द्वारा सरकारी संगनों ने अपने विज्ञापन निकलवाये हैं।

आदिमजातीय भाषाओं के लिये लिपि

†*१४०७. **श्री रा० च० गांधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति की भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिये अब तक कोई लिपी बनाई गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन आदिम जातियों के लिये लिपी बनाई गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). आदिम जाति की भाषाओं के लिए कोई विशेष लिपि बनाने का कोई विचार नहीं है। आदिम जाति की भाषाओं के लिये प्रादेशिक देवनागरी अथवा रोमन लिपी इस्तेमाल की जाती है।

संस्कृत पत्रिका

***१४१०. श्री क० भे० मालवीय :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी संस्कृत में एक पत्रिका निकाल रही है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितने लोगों को लाभ होगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सास्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) जी, हां।

(ख) यह छमाही पत्रिका होगी और इसका सम्पादन मद्रास यूनिवर्सिटी के डाक्टर वी० राघवन करेंगे ।

(ग) यह भारत और विदेश में संस्कृत पढ़ने और लिखने वालों के लाभ के लिये है । हालांकि इनकी संख्या बिलकुल सही नहीं बताई जा सकती है फिर भी काफी तादाद में होंगे ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में वाल्वों का निर्माण

†***१४१३. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने बाल्वों के निर्माण के लिये आवश्यक सामान उपलब्ध करने हेतु विदेशी मुद्रा की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने विदेशी मुद्रा जारी किये बिना ऐसे वाल्व बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के निवेदन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) वाल्वों के निर्माण करने में दो गैर-सरकारी कम्पनियों ने रुचि दिखाई है । किन्तु उनके प्रस्तावों में विदेशी उपकरणों का आयात भी अन्तर्ग्रस्त है; और उन्हें या तो आस्थगित भुगतान की शर्तों पर उपकरणों के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी अथवा यदि उपकरण उधार मंगाया जायेगा या अंश पूंजी में भाग लेने के लिये अनुमति देने पर ब्याज का भुगतान करने अथवा लाभांश देने के लिये भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । पारिश्रमिक रूप में भी भुगतान किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) परियोजना पर विचार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की लाइसेंस देने वाली समिति द्वारा किया जायेगा, यदि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया जाता है तो उपकरण के आयात के लिये मांगी गई विदेशी मुद्रा जारी करने का विचार किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पाटस्कर प्रतिवेदन

†*१४१५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या मद्रास और आन्ध्र के बीच सीमा खींचने के बारे में प्रस्तावित विधेयक में शामिल करने के सारे प्रस्ताव सरकार को राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित विधेयक राज्य विधान सभाओं के विचार के लिये भेज दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक भेजे जाने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) अभी हाल ही में दो राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग). विधेयक का प्रारूप तैयार हो जाने के पश्चात् उसे सम्बन्धित विधान मण्डलों को सम्मति प्रकट करने के लिये भेजा जायेगा । आशा यह की जाती है कि विधेयक संसद् के आयव्ययक सत्र में पारित हो जायेगा ।

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास

†*१४१६. **श्री प्रमथनाथ बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिये अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक भाषा की पुस्तकें क्रय करने पर कितनी राशि व्यय की गई ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) इस कार्य पर केन्द्रीय सरकार ने १ अप्रैल, १९५६ से २०,१७,७३९ रुपया व्यय किया है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

*१४१७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आठ वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कितने पाकिस्तानी छात्र स्नातक हुए; और

(ख) इस विश्वविद्यालय में इस समय पाकिस्तान तथा अन्य देशों के कितने-कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) एक ।

(ख) २ पाकिस्तान के और ४४ अन्य देशों के ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वदेश-रक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण[1]

†*१४१८. **श्री उ० च० पटनायक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में असैनिकों को स्वदेश-रक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** असैनिकों को स्वदेश-रक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये कोई विशिष्ट कार्यवाही नहीं की गई है किन्तु आपातकाल में सहायता करने वाले संगठनों के लिये प्रशिक्षित अनुदेशकों और कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है ।

केरल का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*१४१९. **श्री वारियर :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के तत्वावधान में केरल में अब कोई सर्वेक्षण परियोजना काम कर रही है; और

(ख) सर्वेक्षण दल और राज्य भूतत्वीय विभाग के बीच क्या सम्पर्क है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी हां। केरल राज्य के वारकल्ली क्षेत्र, वरकला, क्विलान तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में लिग्नाइट की जांच पूरी की जा चुकी है और निम्न प्रकार की जांच की गई है :—

(१) कुहानाड क्षेत्र में गंधक पाये जाने की जांच करना और नमूने एकत्र करना ।

(२) मलाबार जिले में प्रणालीबद्ध मानचित्र तैयार करने का काम जारी रखना ।

(३) कोट्टायम जिले के नरियामंगलम बांध-स्थल की जांच जारी रखना ।

(ख) राज्य में काम करते समय भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के पदाधिकारी स्थानीय प्राधिकारी से सम्पर्क रखते हैं तथा उनके द्वारा की गई जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में प्रतिवेदन नियमित रूप से राज्य सरकार को भेजे जाते हैं ।

बुनियादी शिक्षा

*१४२०. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्था द्वारा की गई गवेषणा के परिणाम प्रकाशित किये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) इन गवेषणाओं के परिणामों को किस हद तक काम में लाया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां, कुछ परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं।

(ख) इसकी प्रतियां लोक-सभा के पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं ।

(ग) संस्थायें, अध्यापक, अनुसंधानकर्ता तथा बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी अन्य लोग इन अनुसंधानों के परिणामों का उचित उपयोग कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Training in Home Defence.

केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन

†*१४२१. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दामानी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० च० सामन्त :
श्री वाजपेयी :
श्री पद्म देव :
श्री साधू राम :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय वेतन आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस में किस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ज्वालामुखी में तेल तथा गैस

*†१४२२. **सरदार इकबाल सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी में तेल अथवा गैस का अन्तिम प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र का अन्तिम प्राक्कलन तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) दो से तीन वर्ष ।

केरल में शेल लाइम

†*१४२३. **श्री वारियर :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **इस्पात, खान, और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण की कोई योजना केरल राज्य की वेमबैण्ड झील तथा अन्य पश्चजल[1] में 'शेल लाइम निक्षेप' की जांच करने की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: जी हां । केरल राज्य में क्विलान के आस-पास लेटराइट से नीचे जिस चूने के मिलने की सूचना मिली है और पश्चजल में शेल लाइम स्टोन का प्रणालीबद्ध परीक्षण करने की योजना भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Back Water.

अग्रिम संयंत्र

†*१४२४. **श्री राम कृष्ण :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ७ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के उन क्षेत्रों में जिनमें धातुकर्मिक कोयला उपलब्ध नहीं है, लौह-अयस्क के बारे में प्रयोग करने के लिये एक अग्रिम संयंत्र स्थापित करने की योजना किस प्रक्रम में है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : लोहे को नान-कोकिंग कोयले से पिघलाने के लिये निम्न उद्‌ग भट्टी अग्रिम संयंत्र[1] की स्थापना करने के लिये उपकरण तथा मशीनें बनाने का काम राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर, में किया जा रहा है ।

ग्राम संस्थायें

†*१४२५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ग्राम संस्थाओं को विश्वविद्यालय का स्थान देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के क्या नाम हैं; और

(ग) उनके ग्रेड को ऊंचा उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का लागू किया जाना

†*१४२६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान में अवेक्षित अनुच्छेद १४२ के अधीन उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में संसद् में विचार किये जाने के लिये कुछ उपाय लागू करने की आवश्यकता और वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख). इस बारे में संसद् में किसी प्रकार का विधान जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है । संविधान के अनुच्छेद १४२ के अधीन बनाया गया उच्चतम न्यायालय (डिग्री तथा आदेश) प्रवर्तन आदेश, १९५४ से अब तक जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे पता चला है कि प्रयोजन की पूर्ति हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Low-Shaft Furnace Piot Plant.

बम्बई राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के दौरे

†२३७७. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त ने बम्बई राज्य का कितनी बार दौरा किया; और

(ख) उन्होंने राज्य के किन-किन स्थानों को देखा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) नो बार ।

(ख) (१) औरंगाबाद
(२) अहमदाबाद
(३) बड़ौदा
(४) बुल्सर, ज़िला सूरत
(५) नासिक-मिम्बक
(६) बम्बई
(७) भिनार
(८) बंसदा और उमरकुई गांव; बंसदा तालुका
(९) धरमपुर, सेरीमल, मनीवट्टियल, सुखाला और परदी; धरमपुर तालुका ।
(१०) साबरमती आश्रम
(११) अहमदाबाद में छारानगर
(१२) कालीवेल, ज़िला डांग्ज
(१३) सेवाग्राम, वर्धा योतमाल
(१४) पंचमहल ज़िले में सन्तरामपुर
(१५) पंचमढ़ी ज़िले के दोहाद तालुके में गरबदा
(१६) होयलोल तालुका में पथारगढ़
(१७) थाना जिले में छोलवाद के निकट बोरड़ी ।

बम्बई में पकड़ी गई चोरी छिपे लाई गई चीज़ें

†२३७८. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक चोरी-छिपे लाई गई और पकड़ी गई चीज़ें जिनमें सोना और जवाहिरात भी सम्मिलित हैं, कुल कितने मूल्य की थीं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** १९५७-५८ में २,१९,६३,११८ रुपये और १९५८-५९ में (३१ अगस्त, १९५८ तक) २०,५५,२७० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई राज्य की बेरोज़गारी दूर करने के लिए सहायता

†२३७९. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई को अब तक १९५६-५७ और १९५७-५८ में बेरोजगारों को सहायता सम्बन्धी योजनाओं के लिये कितना ऋण और अनुदान दिया गया है; और

(ख) बम्बई की सरकार द्वारा रोजगार की सम्भावनायें बढ़ाने के लिये अब तक क्या योजनाओं और उपायों का सुझाव दिया गया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा उनकी विकास योजनाओं के लिये दी गई सहायता से कुछ हद तक बेरोज़गारी दूर होती है । बम्बई राज्य में बेरोज़गारी को दूर करने के लिये विशेष रूप से एक योजना स्वीकृत की गई है । यह "रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये विद्युत् सुविधाओं का विस्तार" के नाम से जानी जाती है जिस के लिये १९५६-५७ और १९५७-५८ में क्रमशः ८९ लाख रुपये और २२·५ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।**[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३]**

आन्ध्र प्रदेश में सेनाछात्र दल

†२३८०. **श्री मं० वें० कृष्ण राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की सेनाछात्र दल में कितने लोग हैं; और

(ख) उसमें कितने डिवीज़न कार्य कर रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश की छात्रसेना दल में १-९-५८ को ४४९ पदाधिकारी और १५,७९७ छात्र सैनिक थे । विभिन्न डिवीज़नों और उपभोग की अलग-अलग संख्या नीचे दी जा रही है :—

	पदाधिकारी	छात्र सैनिक
सीनियर डिवीजन		
सेना उपभाग	१८३	७,०५८
नौ सेना उपभाग	१०	३६०
वायु सेना उपभाग	८	३००
जूनियर डिवीज़न		
सेना उपभाग	१०५	३,४६५
नौ-सेना उपभाग	३०	९९०
वायु सेना उपभाग	२३	७५९
बालिका डिवीज़न		
सीनियर उपभाग	२९	९६०
जूनियर उपभाग	६१	१,९०५
योग	४४९	१५,७९०

† मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†२३८१. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में १९५६–५७ और १९५७–५८ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां और मकान बनाने के लिये जो राशि नियत की गई थी वह गैर-अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के लोगों को दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में (जिलेवार) ऐसे कितने मामले हुए हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क), (ख) और (ग). उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन से पता लगता है कि हुनलानी और क्योंझार जिलों के अतिरिक्त और कहीं भी इस योजना के अधीन गैर-अनुसूचित जाति और आदिम जाति के लोगों को अनुदान नहीं दिया गया था। और आगे की जानकारी संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी।

पैट्रोल पम्पों का लूटा जाना

२३८२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक ऐसा गिरोह है जो पैट्रोल पम्प लूटता है;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में अब तक ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं; और

(ग) क्या इस गिरोह के कुछ व्यक्ति पकड़े गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क), (ख) और (ग). ऐसी तीन घटनाओं का पता लगा है। इस सम्बन्ध में चार आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और उन के मामले अदालत के विचाराधीन हैं।

सामान के निर्यात पर बिक्री कर की छूट

†२३८३. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से उस पर बिक्री-कर में छूट देने के लिये लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव की अभी कुछ राज्य सरकारें जांच कर रही हैं।

आन्ध्र प्रदेश में शिक्षा विकास कार्यक्रम

†२३८४. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश को उस के शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिये अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश के राज्य शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिये (जिस में टैक्नीकल शिक्षा योजनायें) भी सम्मिलित हैं। कुल उपबन्धित १२·६४ करोड़ रुपये की राशि में से, योजना आयोग द्वारा प्रतिवर्ष निम्न राशि आवंटित की गई और जो आयव्ययक में शामिल कर दी गई है :

	करोड़ रुपये
१९५६-५७	०·९९
१९५७-५८	१·९५
१९५८-५९	१·६२

१९५८-५९ की योजना के लिये योजना आयोग ने हाल में दो योजनाओं के लिये सहमति दी है जिस के लिये १·६२ करोड़ रुपये का आयव्ययक में व्यवस्था होने के अतिरिक्त ०·४१ करोड़ रुपये का और उपबन्ध है।

१९५६-५७ में वास्तविक व्यय कुल ०.४२ करोड़ रुपये हुआ। पुनरीक्षित प्राक्कलन से पता लगा है कि १९५७-५८ में १.५२ करोड़ रुपये व्यय हुआ।

मध्य प्रदेश के लिये आई० ए० एस० पदाधिकारी

२३८५. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की भारतीय प्रशासन सेवा पदाली में एक अतिरिक्त पदाधिकारी इस बीच नियुक्त किया गया है जैसा कि गृह-कार्य मंत्रालय की वर्ष, १९५७-५८ की रिपोर्ट के पृष्ठ २ में बताया गया है ; और

(ख) अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा के कितने रक्षित स्थान खाली पड़े हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि विशेष भर्ती योजना के मातहत नियुक्तियां आल इंडिया बेसिस पर की गई थीं, इसलिये अनुसूचित जातियों के लिये स्थान अलग अलग राज्यों के हिसाब से नहीं बल्कि कुल नियुक्तियों के हिसाब से ही रिजर्व रखे गये थे। अतः मध्य प्रदेश में किसी रिजर्व स्थान के खाली पड़े रहने का सवाल ही नहीं उठता।

कोटा (राजस्थान) में तेल के लिये छिद्र किया जाना

†२३८६. **श्री ओंकार लाल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य के कोटा डिवीजन में तेल पाये जाने की कोई सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ग) क्या छिद्रण कार्य आरम्भ हो गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लक्कादीव द्वीप समूह में विकास योजनाएं

†२३८७. **श्री नल्ला कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह की योजनाओं के लिये १९५८-५९ में कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) उस में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४**]

प्रत्यक्ष कर पद्धति

†२३८८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व केन्द्रीय बोर्ड के उन पदाधिकारियों ने, जिन्हें प्रत्यक्ष कर पद्धति का अध्ययन करने के लिये विदेश भेजा गया था, सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकार किये जाने के लिये उन्हों ने क्या महत्वपूर्ण विचार और सुझाव दिये हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) राजस्व केन्द्रीय बोर्ड के तीन पदाधिकारी जुलाई, अगस्त, १९५६ में अमरीका, स्वीडन और जापान उन देशों की कर पद्धति और प्रशासन का अध्ययन करने के लिये भेजे गये थे । इस दल का यह काम नहीं था कि वह सरकार के विचार अथवा उस की स्वीकृति के लिये कोई सिफारिश करे । फिर भी इन लोगों द्वारा उन देशों में प्राप्त किया गया प्रारम्भिक ज्ञान और जानकारी का उपयोग भारत में हाल में लागू की गई एकीकृत कर पद्धति को कार्यान्वित करने में किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

होस्टल बनाने के लिये ऋण

†२३८९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू होने के बाद से आज तक विभिन्न वर्ग की संस्थाओं को होस्टल बनाने के लिये कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) १९५७-५८ में ऋण के लिये कितने आवेदनपत्र आये थे;

(ग) इन में से कितने आवेदनपत्रों पर ऋण दिया जा चुका है और कितने अभी भी विचाराधीन हैं; और

(घ) क्या यह ऋण योजना १९५८-५९ में भी चालू रहेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ६६,८७,४४८ रुपये ।

(ख) २२२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५७-५८ में ३२ आवेदकों को ऋण दिया गया था और ५० आवेदन पत्र अभी भी विचाराधीन हैं ।

(घ) जी, हां ।

संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन

†२३९०. **श्री राम कृष्ण :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवालयों की प्रशासन व्यवस्था को पुनर्गठित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जैसा कि ११ सितम्बर, १९५८ को लोक-सभा में प्रश्न संख्या ११६९ के उत्तर में पहिले ही बताया जा चुका है कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्संगठन के लिये व्यापक प्रस्ताव बना लिये गये हैं और उन पर ब्यौरेवार विचार हो रहा है । अन्य संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा, के बारे में भी शीघ्र ही उसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†२३९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (३१ अगस्त, १९५८ तक) काश्मीर राज्य के पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से कितने पाकिस्तानी काश्मीर राज्य में आ गये थे;

(ख) उन में से कितनों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के इस प्रकार अवैध प्रवेश को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). फिलहाल यह जानकारी बताना लोक हित में उचित नहीं है ।

(ग) जम्मू और काश्मीर सरकार ने अपने सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है ।

दिल्ली में स्कूल की इमारतें और शिक्षक

†२३९२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में आज कल कितनी स्कूल की इमारतों तथा कितने प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये १९५८-५९ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) .

सरकारी स्कूलों की इमारतें

आज कल १४० सरकारी स्कूल हैं और इन में से ५३ सरकारी इमारतों में, २४ अंशतः सरकारी इमारतों में और अंशतः तम्बुओं में, १९ किराये की इमारतों में, १६ अंशतः तंबुओं में और अंशतः किराये की इमारतों में तथा २८ केवल तम्बुओं में ही चल रहे हैं ।

फिलहाल जो २० स्कूलों की इमारतें बन रही हैं वे दिसम्बर, १९५८ तक पूरी हो जायेंगी । इसके अतिरिक्त इसी वर्ष और २६ इमारतें बनाने का प्रस्ताव है ।

(२) प्रशिक्षित शिक्षक

निम्नलिखित वर्ग के प्रशिक्षित शिक्षकों की बड़ी कमी है :—

१. गृह-विज्ञान शिक्षक ।

२. शारीरिक शिक्षा की शिक्षिकायें ।

३. विज्ञान तथा गणित की शिक्षिकायें ।

४. स्वच्छता तथा शरीर विज्ञान के शिक्षक ।

काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये तथा विज्ञापनों के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों को भर्ती करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

दिल्ली में माइक्रोफोनों का उद्योग

†२३९३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में माइक्रोफोनों का उपयोग करने की मनाही है ;

(ख) क्या यह सच है कि मई १९५८ में रवीन्द्र जयन्ती मनाने के लिये आयोजित सभी सभाओं में माइक्रोफोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो अनुमति न देने का क्या कारण था;

(घ) मई १९५८ में नई दिल्ली में माइक्रोफोनों का उपयोग करने के लिये कितनी अर्जियां आई थीं और उन में से रवीन्द्र जयन्ती की सभाओं के लिये कितनी अर्जियां थीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां । नगर कंटक अधिनियम, १८८९, मद्रास, जो कि दिल्ली पर भी लागू है, के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर साउंड अम्प्लीफायर्स के उपयोग की मनाही है ।

(ख) जी, नहीं । आगे (घ) में स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा बताया गया है कि मई, १९५८ में स्थानीय प्राधिकारियों के पास माइक्रोफोनों के उपयोग के लिये लगभग १२० अर्जियां आई थीं । इन में से केवल एक अर्जी लोदी

---

†मूल अंग्रेजी में

कालोनी में रवीन्द्र जयंती उत्सव से संबंधित थी और इस में माइक लगाने की अनुमति १० मई, १९५८ को दे दी गई थी ।

सामान्य निर्वाचन

२३९४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने गत सामान्य निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन कार्य के सम्बन्ध में बहुत सी दरियां, मेज, लालटेनें तथा इसी प्रकार की अन्य चीजें खरीदी थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) उन्हें ठीक तरह से रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) प्रश्न में जिस प्रकार की चीजों का उल्लेख किया गया है वे केरल और मद्रास राज्य और दिल्ली तथा मनीपुर संघ राज्य क्षेत्रों के सिवाय शेष सब राज्यों में गत साधारण निर्वाचनों के दौरान में इस्तेमाल के लिये तत्सम्बन्धी सरकारों द्वारा खरीदी गई थीं । केरल और मद्रास राज्यों में तथा दिल्ली और मनीपुर संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी चीजें उधार या किराये पर प्राप्त की गई थीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किये गये खर्च का कुल योग लगभग ५,५४,००० रुपया है ।

(ग) इन में बहुत सी ऐसी चीजें जो जल्दी खराब होने वाली थीं, आम नीलाम या दूसरे ढंग से बेच दी गई हैं, टिकाऊ किस्म की चीजें भविष्य में इस्तेमाल के लिये संभाल कर रख दी गई हैं ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†२३९५. **सरदार इकबाल सिंह :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री उन संस्थाओं का नाम बताने की कृपा करेंगे जहां राष्ट्रीय अनुशासन योजना लागू की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५]

सरकारी कार्यालयों में मितव्ययिता

†२३९६. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष संगठन एकक की संख्या बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्वरूप की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख), जी, हां। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है। कार्य-अध्ययन तकनीक में प्रशिक्षित उपयुक्त व्यक्तियों की कमी के कारण इस में रुकावट हो रही है। इस को दूर करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों के चुने हुए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस के फलस्वरूप व्यवहार्य सीमा तक कार्य का विकेन्द्रीकरण भी हो जायेगा।

सैनिक, नाविक एवं वैमानिक बोर्ड

†२३९७. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५८–५९ में (प्रत्येक राज्य के) सैनिक, नाविक, एवं वैमानिक बोर्ड को कितना अनुदान देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अपना अनुदान बढ़ाने के लिये कहा है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) इस संबंध में १८ अप्रैल को अतारांकित प्रश्न संख्या २५६८ के भाग (क) का लोक-सभा में जो उत्तर दिया गया था उस की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग), १९५८–५९ के पंजाब राज्य के जिला सैनिक, नाविक एवं वैमानिक बोर्ड के प्राक्कलनों में १९५७–५८ के प्राक्कलनों की अपेक्षा कुछ बढ़ती हो गई है। केन्द्रीय सरकार इन बोर्डों के कुल खर्च का ५० प्रतिशत देती है। राज्य सरकार ने १९५८–५९ के खर्च का जो प्राक्कलन दिया है उस के लिये ५६,११२ रुपयों का अनुदान दिया जा चुका है। १९५६–५७ में राज्य में जिला सैनिक, नाविक एवं वैमानिक बोर्डों पर वास्तव में जो खर्च हुआ है उस का यथाविधि प्रमाणीकृत विवरण प्राप्त हो जाने पर शेष रकम चुका दी जायेगी और राज्य सरकार को इस साल अभी तक जो रकम अनुदान में दी जा चुकी है, उस का समायोजन कर दिया जायेगा।

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

†२३९८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी-पाकिस्तान सीमा पर पिछले ६ महीनों में कितने पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी मारे गये हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: ३१ जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाली पिछली छः माही में पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर चोरी छिपे माल लाने वाले ८ पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी मारे गये हैं।

दैवी विपत्तियों के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

†२३९९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैवी विपत्तियों से संबंधित सहायता कार्यों को शुरू करने के लिये १९५९ में अब तक किन राज्यों को (कार्यों के वर्गों के अनुसार) वित्तीय सहायता दी गई है और हर राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन्हें ऋण तथा अनुदान के रूप में अलग अलग कितनी रकम दी गई है; और

(ग) उन्हें सहायता के रूप में कितना सामान दिया गया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख) .

राज्य	वर्ग	ऋण	अनुदान
			(लाख रुपये)
बिहार	बाढ़ तथा सूखा सहायता	२५०.००	७०.३०
उत्तर प्रदेश	बाढ़ सहायता	७०.००	२१.७४
पश्चिमी बंगाल	बाढ़, सूखा तथा चक्रवात सहायता	३००.००	१२०.५०

(ग) वित्त मंत्रालय सामान के रूप में कोई सहायता नहीं देता ।

कलात्मक-वस्तु क्रय समिति

†२४००. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक कलात्मक-वस्तु-क्रय समिति ने कुल कितनी राशि खर्च की है; और

(ख) जो चीजें खरीदी गई हैं उन का ब्यौरा और कीमत क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) १,८५,२८०.२३ रुपये ।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६]**

एम० ई० एस० के ठेकेदारों को भुगतान

†२४०१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी काम के पूरा होने के पहिले ही एम० ई० एस० के प्राधिकारी अपने ठेकेदारों को भुगतान कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामले सरकार को बताये गये हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, नहीं । ठेकेदारों द्वारा जितना काम कर दिया जाता है उस के मूल्य का ९० प्रतिशत और जो सामान दिया जाता है उस का ७५ प्रतिशत काम के चालू रहने के समय इसलिये चुका दिया जाता है ताकि वे काम चालू रख सकें । शेष रकम ठेकेदारों को उसी समय दी जाती है जब कि वे काम पूरा कर लेते हैं और उन के अन्तिम बिलों की जांच हो जाती है ।

(ख) और (ग) . जी हां । कानपुर के एम० ई० एस० प्राधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत की गई थी । एक मामले की पड़ताल की गई थी और शिकायत आधार रहित पाई गई थी । इस बारे में एक और शिकायत आई है और उस की पड़ताल की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आर्डनेंस डिपो

†२४०२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री गोरे :
श्री जाधव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डिनेंस डिपो में द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में जो व्यक्ति भरती किये गये थे, उन में से कितनों को स्थायी नहीं बनाया गया; और

(ख) उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) ५७९१ ।

(ख) जब कभी भी जगहें खाली होती हैं तब लोगों को स्थायी किया जाता है । जगहों का खाली होना अनेक पस्थितियों पर निर्भर है अतएव यह कहते हुए खेद होता है कि यह बताना असंभव है कि उन्हें कब स्थायी किया जायेगा ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा राष्ट्रीय सेना छात्र दल

†२४०३. **श्री वाजपेयी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों के राष्ट्रीय सेना छात्र दल में भर्ती होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार से इस प्रकार की कोई शिकायत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) से (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय सेना छात्र दल नियमावली के नियम ५ (६), ६(च) और १६ (छ) के उपबन्धों के साथ उसकी अनुसूची तीन के पैराग्राफ १ के अनुसार किसी जातीय या राजनैतिक संगठन या अहिंसा अथवा जातीय भेद-भाव में विश्वास रखने वाले संगठनों के सदस्य राष्ट्रीय छात्र सेना दल के वरिष्ठ डिवीजन, तथा कनिष्ठ डिवीजन में अधिकारियों के रूप में भरती नहीं किये जा सकते । सेना छात्र दल के महिला विभाग में लड़कियों को शामिल न करने से सम्बन्धित इसी प्रकार के उपबन्ध छात्र-सेना दल नियमावली के नियम ४ (घ) और १३ (ङ) में दिये गये हैं । इसके अनुसार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य छात्र सेना दल में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वह एक राजनैतिक संगठन है ।

इस बारे में एक शिकायत की गई थी कि एक विद्यार्थी को इस आधार पर छात्र सेना में शामिल नहीं किया गया था कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य है परन्तु वास्तव में वह उसका सदस्य नहीं था । जांच-पड़ताल के बाद यह निश्चय किया गया था कि इस छात्र को छात्र सेना दल में भर्ती किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ताज महल

†२४०४. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज महल की मरम्मत का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक १९५८ में मरम्मत पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) १ जनवरी, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५८ तक ५६,८१९ रुपये खर्च हुए हैं ।

मराठवाड़ा में समाज कल्याण केन्द्र

†२४०५. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में कितने समाज कल्याण केन्द्र शुरू किये गये हैं ;

(ख) इस अवधि में इन केन्द्रों ने किस प्रकार के कार्य किये हैं ; और

(ग) प्रत्येक कार्य में कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

खासी पहाड़ी जिला की भूमि

†२४०६. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खासी पहाड़ियां जिला आदिम जाति संघ की कार्यकारिणी समिति में पारित इस सम्बन्ध के एक प्रस्ताव की प्रति सरकार को भेजी गई है कि असम की राज्य सरकार का खासी की भूमि पर "निरन्तर अतिक्रमण" जारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला राज्य सरकार को बताया गया है । उसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

केरल में अंजिन्गो का किला

†२४०७. **श्री कुमारन् :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के अंजिन्गो किले को समुद्री कटाव के कारण खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो किले को बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात की कीमतें

†२४०८. **श्री बि० दास गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान में इस्पात के उत्पादन की औसत लागत की तुलना में भारत की इस्पात के उत्पादन की औसत लागत कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: आजकल भारत के मुख्य उत्पादकों को प्रति टन के हिसाब से जो प्रतिधारण कीमत रखने की अनुमति दी गई है, वह ४०५ रुपये है। जापान में उत्पादन की लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य सरकारों को पेशगियां

†२४०६. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री १८ अगस्त, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मई १६५८ से अब तक प्रत्येक राज्य को राज्य योजनाओं और केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये कुल कितनी रकम दी गई है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: राज्य की योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये मई १६५८ से अब तक प्रत्येक राज्य को जो रकम दी गई है वह निम्न-लिखित है :—

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	अब तक दी गई रकम
आंध्र प्रदेश	८.५१
आसाम	३.६१
बिहार	८.२१
बम्बई	१३.६६
केरल	३.८४
मध्य प्रदेश	६.२४
मद्रास	८.३५
मैसूर	६.१३
उड़ीसा	५.३६
पंजाब	८.००
राजस्थान	४.६६
उत्तर प्रदेश	१२.७७
पश्चिम बंगाल	८.६१
जम्मू और काश्मीर	२.०४
कुल	१०३.३२

†मूल अंग्रेजी में

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य योजनायें

२४१०. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५६–५७ में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जो २ लाख ७१ हजार रुपये की धनराशि मंजूर की गयी थी (देखिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट), वह मध्य प्रदेश में किस प्रकार खर्च की गयी है ; और

(ख) मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को कितनी धनराशि दी गयी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कमिश्नर द्वारा दिए गये आंकड़े उस स्वीकृत रकम के आधार पर दिए गए हैं जो सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७]** १९५६–५७ की प्रोग्रेस रिपोर्ट और १९५७–५८ के वार्षिक प्लान से ऐसा मालूम होता है कि राज्य सरकार इन ग्रांटों में से कोई रकम खर्च नहीं कर सकी । इस बारे में राज्य सरकार के जवाब की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) भारत सरकार जिला वार ग्रान्ट नहीं देती है ।

विदेशी भाषाओं के शब्दकोष

†२४११. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी भाषाओं के शब्दकोष बनाने और प्रकाशित करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) अब तक किन विदेशी भाषाओं के शब्दकोष बन चुके हैं ; और

(घ) इस वर्ष किन विदेशी भाषाओं के शब्द कोष बनाये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) साहित्य अकादमी द्वारा रूसीयन-हिन्दी शब्दकोष प्रकाशित हो चुका है ।

(घ) साहित्य अकादमी ने सिद्धान्ततः तिब्बती-हिन्दी शब्दकोष तथा चीनी-हिन्दी शब्दकोष तैयार कराना मंजूर कर लिया है । परन्तु वे इस वर्ष पूरे नहीं हो पायेंगे ।

वित्त तथा लेखा अधिकारी सम्मेलन

†२४१२. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में २३, २४ और २५ अगस्त को सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं के वित्त तथा लेखा अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) उसकी कार्यावलि क्या थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय हुए हैं ; और

(घ) निर्णयों का पालन करने के लिये किन उपायों का प्रस्ताव रखा गया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन की कार्यावलि बताने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल में पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८]**।

(ग) सम्मेलन की कार्यवाही की प्रति ज्यों ही प्राप्त हो जाएगी, त्यों ही उसे संसद् पुस्तकालय में रख दिया जाएगा।

(घ) सम्मेलन की कार्यवाही का अन्तिम निर्णय हो जाने पर उसकी प्रतियां सम्बन्धित प्रशासनीय मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जायेंगी। सम्मेलन द्वारा की गई इन सिफारिशों को अपनाने के लिये सम्बन्धित उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्ड के परामर्श से सम्बन्धित प्रशासनीय मन्त्रालय/विभागों द्वारा आवश्यक तथा व्यवहार्य सीमा तक कार्यवाही की जाएगी।

आई० एन० एस० "तलवार"

†२४१३. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या आई० एन० एस० "तलवार" जहाज को पानी में उतार दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : जी हां, १८ जुलाई १९५८ को।

मेरठ जिले के उखीलिना में प्राप्त प्राचीन वस्तुयें

†२४१४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ जिले की उखीलिना में ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन वस्तुयें पाई गई हैं ; और

(ख) उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) इन प्राचीन वस्तुओं से दो मुख्य संस्कृतियों का पता लगा है। उनमें से एक हड़प्पा संस्कृति है और भूरे रंग से रंगी हुई वस्तुओं को भारत के पुरातत्वत्ता विशेष रूप से प्राचीन आर्य संस्कृति से सम्बन्धित मानते हैं। इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति से सम्बन्धित पाई गई वस्तुओं में रंगे हुए एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्त्तन, पकी हुई मिट्टी की अनिश्चित उपयोग में आने वाली सादी गोल चक्कतियां, फीयान्स की मालायें तथा चूड़ियां हैं। इसके अतिरिक्त पकी हुई मिट्टी से बनी वस्तुओं के टुकड़े, जानवरों की आकृतियां, गहने, शिकारी गाड़ी के पहिये, कुम्हार के रंग आदि पोतने की कूंचियां, सूरज घड़ी की सुईयां[1] तथा हड्डियों से बनाये गये तीरों की नोकें आदि हैं। इस प्रावस्था में ठीक ठीक यह कह सकना कठिन है कि बाद की ये वस्तुयें किस संस्कृति की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

१. Stylii.

भारत का राज्य बैंक

२४१५. श्री भक्त दर्शन :
श्री मुरारका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १६ फरवरी, १९५८ से किन-किन स्थानों पर किन-किन तिथियों को भारत के राज्य बैंक की शाखायें खोली गयी हैं ;

(ख) भविष्य में किन किन स्थानों पर इसकी शाखायें खोलने का विचार है ; और

(ग) यह कार्य शीघ्र करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डाक्टर गोपाल रेड्डी) : (क) और (ख). सभा की मेज पर दो विवरण रख दिये गये हैं जिनमें मांगी गयी सूचना दी गयी है ।

(ग) भारत का राज्य बैंक अभी हर महीने लगभग नौ शाखाएं खोलता है और इसे काफी सन्तोषजनक समझा जाता है । शाखाओं को जल्दी खोलने के लिए भारत का राज्य बैंक, राज्य सरकारों की सलाह से, उपयुक्त स्थान और दूसरी सुविधाएं प्राप्त करने के लिये भी कार्रवाई कर रहा है ।

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी

†२४१६. श्री नागी रेड्डी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री जोगेन्द्र सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में पंजाब का वेतन मान हिमाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस वेतनमान को राज्य क्षेत्र परिषद् के कर्मचारियों पर भी लागू किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां । कुछ पृथक् मामलों को छोड़ कर सब पर लागू किया गया है ।

(ख) और (ग). राज्य क्षेत्र परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ३२ के अधीन राज्य क्षेत्र परिषदों को अपना काम ठीक ढंग से तथा सक्षमता से चलाने के लिये आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा उनकी सेवा की शर्तों के लिये विनियमन बनाने के लिये शक्ति दी गई है । परन्तु जहां तक परिषद् के उन कर्मचारियों का सम्बन्ध है जिनकी प्रशासन से परिषद् में बदली की गई है, वहां तक उनके उस प्रशासन वाले वेतनमान को ही बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है जिसके लिये वे हकदार हैं । यह आश्वासन उनकी परिषद् में बदली हो जाने पर भी अधिनियम के उन उपबन्धों और उसके अंतर्गत बनाए गए इस सम्बन्ध के नियमों के अनुसार दिया गया है कि "किसी व्यक्ति पर, उसकी बदली राज्य क्षेत्र परिषद् में किसी पद पर होने के पूर्व, जो सेवा की शर्तें लागू होती थीं वे केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, उसके लाभ के लिये नहीं बदली जाएंगी ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद्

†२४१७. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री जोगेन्द्र सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से लोक-निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को हस्तांतरित किये गये हैं ; और

(ख) उपर्युक्त निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये कौन-कौन से प्रविधिक कर्मचारी प्रादेशिक परिषद् को दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हिमाचल, प्रशासन द्वारा प्रादेशिक परिषद् को हस्तांतरित किये गये निर्माण कार्यों की सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ख) एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, दो सब डिवीजनल आफिसर और १३ ओवरसियर इस परिषद् को दिये गये हैं । प्रादेशिक परिषद् को और भी कर्मचारी देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

विदेशी मुद्रा

†२४१८. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में पर्यटकों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ख) १९५७–५८ में विदेश जाने के लिये भारतीय राष्ट्रजनों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी और इसमें कितनी राशि सरकारी शिष्ट मण्डलों पर हुए खर्च के लिये थी ?

†**राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) १९५७ में पर्यटकों से हुई आय १६ करोड़ रुपये कूती गयी है । १९५८ की पहली तिमाही में हुई प्राप्ति के सम्बन्ध में अस्थायी अनुमान हैं कि यह ३.४ करोड़ रुपये के लगभग होगी ।

(ख) १९५७ में अनुमोदित प्रयोजनों के लिये विदेश जाने के लिये भारतीय राष्ट्रजनों के लिये ६.८ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रायें मंजूर की गयीं और १९५८ की पहली तिमाही में १.४ करोड़ रुपये मंजूर किये गये । सरकारी तौर पर जाने वालों के लिये दी गयी विदेशी मुद्राओं के लिये १९५७ और १९५८ के आंकड़े क्रमशः .३ करोड़ रुपये और .०५ करोड़ रुपये थे । इन आंकड़ों में सरकारी शिष्ट मण्डलों के व्यय के लिये दी गयी कुल राशियां शामिल हैं ; भुगतान शेष के प्रयोजन के लिये रिज़र्व बैंक में जो वर्गीकृत आंकड़े रखे जाते हैं उनमें सरकारी शिष्ट मण्डलों पर हुआ व्यय पृथक् दर्ज नहीं किया जाता ।

स्टेनों ग्राफरों की परीक्षायें

†२४१९. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :
श्री ठाकुर दास मल्होत्रा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनोग्राफरों की संघ लोक सेवा आयोग की १९५७ की परीक्षा में कितने व्यक्ति उत्तीर्ण हुये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक उनमें से कितने काम पर लगाये जा चुके हैं ;

(ग) शेष व्यक्तियों को कब तक काम पर ले लिया जायेगा ;

(घ) कितने अनर्ह स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफरों के पद पर काम कर रहे हैं ;

(ङ) १९५८ में जून में स्टेनोग्राफरों की जो परीक्षा हुई थी उसके परीक्षा-फल कब तक घोषित किये जायेंगे ; और

(च) क्या अप्रैल, १९५९ में किसी समय स्टेनेग्राफरों की परीक्षा रखने का कोई प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ७०१ ।

(ख) ४४३ । इनके अलावा ७५ अभ्यर्थियों को रखने के प्रस्ताव किये गये थे पर वे अभी आये नहीं हैं ।

(ग) इसके बाद वाली परीक्षा का परीक्षा-फल आने तक नियुक्तियों के लिये इसी सूची का उपयोग किया जायेगा ।

(घ) ६६ ।

(ङ) परीक्षा-फल अक्तूबर, १९५८ में घोषित होने की आशा है ।

(च) यह मामला विचाराधीन है ।

त्रिपुरा प्रशासन

†२४२०. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन ने पिछली तीन वर्षों में प्रशासनिक पदालियों के कुल कितने पदाधिकारियों को त्रिपुरा के बाहर से भर्ती किया है ;

(ख) त्रिपुरा प्रशासन को प्रतिवर्ष इन पदाधिकारियों को अतिरिक्त भत्तों के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता है ; और

(ग) उनके स्थान पर स्थानीय पदालियों से पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). मतलब शायद उन पदाधिकारियों से जिन्हें पिछले तीन वर्षों में अन्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है और शायद उन राशियों से जिनका इन पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति वेतन के रूप में भुगतान किया जाता है । अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और तैयार होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) ८ सितम्बर, १९५८ के प्रश्न संख्या १६९० के उत्तर में बताया जा चुका है कि अन्य राज्यों से ऐसे पदाधिकारियों की सेवायें समय समय पर केवल उसी स्थिति में प्राप्त की जाती हैं जब सम्बन्धित स्थानों को स्थानीय सेवाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों से नहीं भरा जा सकता है । संघ राज्य क्षेत्रों के लिये पृथक् पदालियां संगठित करने और बाहर से पदाधिकारियों को उधार लेने से बचने के अन्य तरीक़े निकलने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन

†२४२१. **श्री सूपकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन के प्रविधिक और वैज्ञानिक कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या क्या है ; और

(ख) क्या उपुंक्त संगठन में इलेक्ट्रानिक्स के बारे में कोई गवेषणा और नियंत्रित क्षेप्यास्त्रों[1] के अध्ययन की संगणना चल रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) राजपत्रित और अराजपत्रित वैज्ञानिक और प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या क्रमश: १४६ और १२३ है । इनमें अभी केवल ६१ राजपत्रित और १०१ अराजपत्रित कर्मचारी काम कर रहे हैं ।

(ख) इस क्षेत्र में अभी कुछ आरम्भिक अध्ययन किया जा रहा है । इसका स्वरूप अभी गवेषणा से अधिक वैज्ञानिक तरीक़ों के प्रशिक्षण का है ।

शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारी

†२४२२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय में कितने असिस्टेंट और क्लर्क हैं ; और

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क)

असिस्टेंट	१२५
क्लर्क	४६९
(अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क)	

(ख) अनुसूचित जाति	४२
अनुसूचित आदिम जाति	२

वित्त मंत्रालय के कर्मचारी

†२४२३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय में कितने असिस्टेंट और क्लर्क हैं ; और

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Guided Missiles.

†**राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : १ सितम्बर, १९५८ को स्थिति इस प्रकार थी :—

(क)	असिस्टेंट	५२७
	क्लर्क	९५२
(ख)	अनुसूचित जातियों के असिस्टेंट . .	२०
	अनुसूचित आदिम जातियों के असिस्टेंट .	एक भी नहीं ।
	अनुसूचित जातियों के क्लर्क . . .	११२
	अनुसूचित आदिम जातियों के क्लर्क .	१७

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

†२४२४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिये पिछले साल जो पुनर्विलोकन होने वाला था क्या वह नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) पुनर्विलोकन किये गये थे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

समय से पहले सेवा-निवृत्ति

†२४२५. **श्री ह० ना० सोनुले :**
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ और १९५७–५८ प्रत्येक मंत्रालय के आधारभूत नियम ५६(ख)(१) से शासित होने वाले कितने कर्मचारियों की नौकरियां उनकी उम्र ५५ वर्ष की होते ही समाप्त कर दी गयी थीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जायेगी और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कालिदास का स्मारक

†२४२६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन में महाकवि कालिदास का उपयुक्त स्मारक बनाने की योजना बनायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह समिति का रंगमंच

---

†मूल अंग्रेजी में

युक्त एक कालिदास भवन का निर्माण करने और महाकवि तथा संस्कृत-नाटकों के सम्बन्ध में गवेषणा के लिये एक गवेषणा-केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है ।

(ख) योजना का ब्यौरा अभी तैयार नहीं है ।

पूंजी निगम नियंत्रण

†२४२७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निर्गम नियंत्रण में छूट के सम्बन्ध में संगठित औद्योगिक संगठनों से कुछ अभ्यावेदन और सुझाव मिले हैं; और

(ख) उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) ये सुझाव विचाराधीन हैं ।

इस्पात के कारखानों के लिये इंजीनियर प्रशिक्षार्थी

†२४२८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों इस्पात के कारखानों के लिये प्रशिक्षण पाने वाले इंजीनियरों को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्रशिक्षण दे रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कित` प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं; और

(ग) कितने अब भी वहीं हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) केवल रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के इंजीनियर प्रशिक्षार्थियों को अग्रेतर प्रशिक्षण के लिये विदेश जाने से पूर्व टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में २ या ३ मही` का छोटा सा ओरियेन्टेशन कोर्स पूरा करना पड़ता है । भिलाई इस्पात परियोजना वाले इंजीनियर प्रशिक्षार्थियों को रूस रवाना होने से पहले परियोजना-स्थान पर आरम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है ।

(ख) ३८४ ।

(ग) १० ।

त्रिपुरा जूट व्यापारी संघ

†२४२६. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूट लाने ले जाने पर आसाम सरकार जो सड़क-कर और उपकर वसूल करती है क्या उसके सम्बन्ध में अब तक त्रिपुरा जूट व्यापारी संघ से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आसाम सरकार से यह सवाल पहले स्थानीय प्रशासन ने और फिर भारत सरकार ने उठाया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक में हाल में इस पर भी चर्चा हुई थी और उसने यह सिफारिश की है कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर अखिल भारतीय आधार पर विचार करे और उसी के अनुसार इस पर विचार करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली की जेल में सुधार

†२४३०. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के जेल में लम्बी सज़ा वाले कैदियों को बेड़ियां डाल कर रखने का तरीका खतम कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक किया जायेगा;

(ग) पिछले दो वर्षों में दिल्ली की जेल में ऐसे किस प्रकार के सुधार किये गये हैं जिनका प्रभाव कैदियों पर पड़ता हो; और

(घ) आगामी वर्ष में कौन-कौन से सुधार लागू किये जाने वाले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) जी नहीं; पंजाब जेल नियम संग्रह के अनुसार लम्बी सजा पाये किसी कैदी के जेल में प्रवेश करने पर तीन महीने तक उसे बेड़ियां डाल कर रखा जाता है।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११]**

(घ) यह प्रश्न विचाराधीन है।

दिल्ली राज्य में राजनीतिक पीड़ित

†२४३१. **श्री कुन्हन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ और १६५८-५६ में अब तक दिल्ली राज्य के राजनीतिक पीड़ितों से सहायता के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उनमें से कितनों को सहायता मंजूर हुई है और कितनों के आवेदन ठुकरा दिये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	सहायता की मंजूरी पाने वालों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	विचाराधीन आवेदनों की संख्या
१६५७-५८	५३३	८१	४४६	३
१६५८-५६ ३१-८-५८ तक	३१७	४६	८४	१८७
जोड़ .	८५०	१२७	५३३	१६०

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा का शिक्षा निदेशालय

†२४३२. **श्री दशरथ देब :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ और १६५८-५६ में अब तक त्रिपुरा के शिक्षा निदेशालय ने पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के बाहर से क्या-क्या वस्तुयें खरीदी थीं; और

(ख) ये वस्तुयें पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा से बाहर से खरीदने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा०का० ला० श्रोमा ली)**: (क) १६५७-५८ में विज्ञान सम्बन्धी साधित्र[1], शिक्षा और विज्ञान सम्बन्धी उपकरण और फिल्में खरीदी गयी थीं ।

१६५८-५६ में अब तक कोई भी वस्तु त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल से बाहर से नहीं खरीदी गयी है ।

(ख) लोक-सेवा के लिये सामान खरीदने के नियमों के अनुसार कम से कम खर्च में यह सामान खरीदने के लिये ।

अगरताला का एम० बी० कालेज

†२४३३. **श्री दशरथ देब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अगरताला के एम० बी० कालेज में हाल में आग लगाने के प्रयास किये गये थे; और

(ख) क्या अपराधियों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गयी थी और उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) और (ख). कालेज में आग लगने की तीन छोटी-छोटी घटनायें हुई थीं और पुलिस उनकी जांच कर रही है ।

उड़ीसा की खानें

†२४३४. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की लौह अयस्क, मैंगनीज़ और क्रोमाइट की खानों की अधिकतम संचालन क्षमता कितनी है; और

(ख) क्या उड़ीसा की लौह, क्रोमाइट और मैंगनीज़ की खानों में उनकी संचालन क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). खान की अधिकतम संचालन क्षमता बहुत सारी बातों पर, जैसे भूतत्वीय, भौगोलिक और स्थानवृत्तीय अवस्थाओं, श्रम, मशीनों, बिजली पानी की उपलब्धता, बाजार में मांग की स्थिति, सीजन की दशा आदि पर निर्भर करती है । ये अत्यधिक परिवर्तनशील हैं । इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि किसी खान की अधिकतम संचालन क्षमता कितनी है । उपर्युक्त बात का ध्यान रखते हुए इस बात का निश्चय करने का भी कोई तरीका नहीं है कि किसी खान में उसकी अधिकतम संचालन क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है या नहीं ? ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Apparatus

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

†२४३५. { **श्री का० च० जेना:**
श्री वि० चं० प्रधान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिये नयी छात्रवृत्तियां मंजूर करने और पुरानी छात्रवृत्तियों के नवीकरण के लिये उड़ीसा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों से इस वर्ष कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या उनसे मिले सभी आवेदन पत्रों का निबटारा हो चुका है और छात्रवृत्तियां मंजूर की जा चुकी हैं ; और

(ग) देर से देर कब तक उन की संबंधित संस्थाओं को छात्रवृत्ति की पहली किश्त भेज दिये जाने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) . उड़ीसा राज्य के मैट्रिकोत्तर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों भारत सरकार की अन्तर्देशीय छात्रवृत्तियों के लिये १९५८-५९ के लिये निम्नलिखित आवेदन पत्र (जिन में नये और नवीकरण दोनों के आवेदन पत्र शामिल हैं) प्राप्त हुए हैं :

जाति का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या		
	नई	नवीकरण के लिये	जोड़
अनुसूचित जातियां .	११२	४१	१५३
अनुसूचित आदिम जातियां	१०८	५६	१६४
अन्य पिछड़े वर्ग . .	१,०१८	३७३	१,३९१
जोड़	१,२३८	४७०	१,७०८

(ख) जी नहीं। केवल उन्हीं लोगों के लिये छात्रवृत्तियां मंजूर की जा रही हैं जिनके आवेदन पत्रों में मांगी गई पूरी जानकारी मौजूद है। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि १ सितम्बर, १९५८ थी ।

(ग) पत्र छात्रों को भुगतान के लिये शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों को चार महीनों के लिये तदर्थ राशियां जुलाई १९५८ में भेज दी गई थीं। छात्रवृत्तियों की शेष राशि का शीघ्र से शीघ्र भुगतान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों के लिये बस्तियां

†२४३६. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के लिये बस्तियों का निर्माण करने के प्रयोजन से १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन वर्षों में राज्यों ने कितना धन व्यय किया है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य की कितनी-कितनी राशि १९५६-५७ और १९५७-५८ में व्ययगत हो गई ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों के लिये बस्तियां अथवा गृह-निर्माण के कार्यक्रमों के लिये विभिन्न राज्यों को मंजूर की गई प्रत्येक राज्य द्वारा व्यय की गई और प्रत्येक राज्य की व्ययगत हुई राशियों का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। १९५७-५८ के लिये मैसूर और जम्मू तथा कश्मीर से प्रगति-प्रतिवेदन की राह देखी जा रही है।

१९५८-५९ में पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन सहायक अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा प्रति मास अर्थोपाय पेशगी के रूप में दिया जाता है और बाद में वास्तव में हुए व्यय के आधार पर इसका अन्तिम रूप से हिसाब ठीक कर लिया जायेगा। १९५८-५९ में व्यय की गई राशि का पता वर्ष पूरा हो जाने के बाद ही चल सकेगा।

डा० भगवान दास का निधन

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : आज के समाचार पत्र में डा० भगवान दास के निधन का समाचार पढ़ कर मुझे बहुत दुख हुआ। डा० भगवान दास का हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी तथा सार्वजनिक जीवन में गत ५० वर्षों से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनके निधन से जो क्षति हुई है उस की पूर्ति कठिनता से हो सकेगी। वह एक पीढ़ी के प्रतिनिधि थे जो लगभग बीत चुकी है और हमारा पथ-प्रदर्शन करने के लिये अब उस पीढ़ी का कोई प्रतिनिधि शेष नहीं है।

डा० भगवान दास की ख्याति केवल देश के भीतर ही नहीं थी वरन् विदेशों में भी थी। वह एक सन्त और महात्मा थे ; वह भावना तथा हृदय से शुद्ध और पवित्र थे ; रहन-सहन तथा वेशभूषा में स्वच्छ और सुथरे थे ; और जो कार्य वह करते थे वह एक सुयोजित ढंग से करते थे। वह एक प्रसिद्ध विद्वान्, दार्शनिक, धर्मशास्त्री थे और उन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वस्व लगा दिया ; उन्होंने उन सांस्कृतिक विशेषताओं का विकास किया जो हमारे प्राचीन कालीन जीवन की मुख्य विशेषता थी।

संस्कृत साहित्य, धर्म दर्शन मनोविज्ञान, समाज शास्त्रय आदि के वे अद्वितीय विद्वान थे वह केवल एक साहित्यकार ही नहीं थे वरन् एक कर्मठ व्यक्ति भी थे। देश की पुकार पर काफी प्रौढ़ावास्था में भी वह जेल गये। वह अनेक शिक्षा संस्थाओं के संस्थापक थे और काशी विद्यापीठ तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ आरंभ से ही उन का घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने अपने देश और देश की जनता की यथाशक्ति सेवा की। उन का दृष्टिकोण सर्वदेशीय था और यद्यपि वह बहुत धर्मनिष्ठ थे फिर भी वह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में वह शान्ति तथा एकता के महान दूत थे।

उनके सम्बन्ध में अधिक कहने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे देश के इतिहास में सदैव जीवित हेंगे। अपने बहुमुखी योग्यताओं के कारण वह बहुत सम्मानित थे। श्रीमान्, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस सभा की सहानुभूति उन के सुयोग्य पुत्र, श्री श्रीप्रकाश तथा उन के परिवार के अन्य सदस्यों को भेजने की कृपा करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा डा० भगवान दास जी से बचपन से सम्बन्ध रहा है। उन में ज्ञान और कर्म का एक अद्भुत मिश्रण था। जहां तक उन की ज्ञान शक्ति का सम्बन्ध है उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की परन्तु वे केवल उन ज्ञानी मनुष्यों में ही नहीं थे जोकि केवल ज्ञान के सागर में गोते लगाया करते हैं और जब कर्म का कोई अवसर आता है तो उस समय उस ज्ञान के अनुरूप कर्म नहीं करते।

डा० भगवान दास जी का जहां ज्ञान क्षेत्र में उच्चतम स्थान था, वहां साथ ही जब कोई भी ऐसा अवसर आया जब उन्हें कर्म करने की आवश्यकता थी, तो वे उस क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहे। अभी जैसाकि माननीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के युद्धों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। वे उन लोगों में नहीं थे जोकि ऐसे अवसरों पर इस प्रकार के आन्दोलनों से दूर रहकर केवल अपनी लेखनी चलाया करते हैं। एक ओर जहां वह चिंतक थे, तो दूसरी ओर वे कर्मठ व्यक्ति भी थे।

जहां तक उनके साहित्य का सम्बन्ध है, उन्होंने जो कुछ लिखा है वह एक स्थायी वस्तु है। उनका लेखन ऐसा नहीं हुआ कि आज वे कुछ लिख दें और कल जो कुछ उन्होंने लिखा था वह विस्मृत हो जाता। वे भारतीय संस्कृति के एक महान् पोषक थे।

अभी माननीय गृह मंत्री ने यह कहा कि उनका सब धर्मों पर समान विश्वास था। उसका कारण था हमारे भारतीय मनीषियों ने, तत्व वेत्ताओं ने, दार्शनिकों और संतों ने एक बात का पता लगा लिया था जिसके कि आगे आज भी विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिक चिन्तक नहीं जा पाये हैं और वह यह कि यह समस्त सृष्टि यथार्थ में एक ही तत्व है। ऋग्वेद का एक सूत्र है "सर्वं खल्विदं ब्रह्म", अर्थात् यह समस्त विश्व, यह समस्त सृष्टि एक ही तत्व है। हमारे डा० भगवान दास जी को वह ज्ञान प्राप्त था और इसलिये उनकी वह समदृष्टि हो गई थी कि जिस समदृष्टि में अलग-अलग धर्म मानने वाले समुदाय और व्यक्ति भी एक दृष्टि से देखे जा सकते हैं।

मुझे उनके अनेक व्यक्तिगत अनुभव हैं। हमारे कुटुम्ब का उन से सम्बन्ध तो था ही, लेकिन मेरा उन से व्यक्तिगत सम्बन्ध था, जैसा मैं ने अभी निवेदन किया, और उस सम्बन्ध में जो मैंने उन में सर्वोपरि बात देखी वह उनकी निस्पृहता थी। वे हमारी केन्द्रीय धारासभा के सदस्य थे। जिन टिकटों के लिये, जिन स्थानों के लिये हम आज इतनी दौड़धूप देखते हैं, मैंने देखा कि जब उन्होंने इस बात को जाना कि वह स्थान उन के लिये उपयुक्त नहीं रहा, तो उस समय हमारे दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई से उन्हों ने बार-बार कहा कि उन्हें इस कार्य से छुटकारा दे दिया जाये और उन्हों-ने उस समय की केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तैफा दे दिया।

उन्हें भारतरत्न की उपाधि से विभूषित कर एक सर्वथा उचित कार्य हमारी भारतीय सरकार ने किया। मैं तो यह मानता हूं कि यथार्थ में यह उपाधि उनके लिये विभूषण नहीं थी परन्तु इस उपाधि का स्थान बढ़ा है कि यह उपाधि उनके लिये सदृश व्यक्ति को दी गई।

गृह मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज देश ने एक महान् व्यक्ति को खोया है। उस परम्परा का शायद अब कोई व्यक्ति नहीं रहा कि जिस परम्परा के भगवान दास जी थे। मुझे उन का वियोग अपने पिता के वियोग के तुल्य जान पड़ता है, और मैं उस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं जो गृहमंत्री जी ने आप के सामने रखा है। हम लोगों की समवेदना को आप श्री श्रीप्रकार जी तथा उनके कुटुम्ब के पास भेजने की कृपा करें।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : गृह-कार्य मंत्री तथा सेठ गोविंद दास के साथ ही मैं भी अपने समूह की ओर से डा० भगवान दास को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह एक ऐसे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु से देश ने अपना एक महान् रत्न खो दिया है । उनके निधन से देश को बड़ी क्षति हुई है । भारतीय परिपाटी के अनुसार उन्होंने विशद ज्ञानार्जन किया था पर उन्हें अपनी विद्वता पर अभिमान नहीं था । देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया था और वह केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य भी थे। इस सभा के सभी सदस्यों की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जानी उचित ही है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : माननीय गृह मंत्री ने जो उद्गार प्रकट किये हैं उनसे हम सभी सहमत हैं । स्वर्गीय डा० भगवान दास हमारे देश की एक विभूति थे । हमारे देश को रामन् महर्षि तथा डा० भगवान दास जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं—सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन—में हमारा मार्ग प्रदर्शन कर सकें ।

उनकी विद्वता हिमालय के समान उच्च तथा उनका जीवन गंगा के समान पवित्र था । जैसा कि प्रोफेसर मुकर्जी ने कहा उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं है । आगे आने वाली पीढ़ी के लिये वह विद्वता तथा कर्मठता के प्रतीक होंगे ।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची-पूर्व) : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने जो उद्गार प्रकट किये हैं उनके साथ मैं, स्वतंत्र संसदीय समूह की ओर से, सहमत हूं। डा० भगवान दास में प्राचीनता व आधुनिकता का एक अनोखा समन्वय था ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : डा० भगवानदास के निधनपर गृह कार्य मंत्री ने जो उद्गार प्रकट किये हैं मैं उनसे सहमत हूं । यद्यपि मुझे उनसे मिलने का कोई अवसर नहीं मिला पर अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उन्हों ने दर्शन साहित्य पर जो कुछ लिखा है उससे पता लगता है कि वह सभी धर्मों की एकता के प्रति कितने सजग थे । आज हमें उन जैसी योग्यता तथा अध्ययन-रुचि का अभाव दिखाई देता है । डा० भगवान दास जैसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना समुचित ही है ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने तथा अन्य वक्ताओं ने पूज्य डा० भगवान दास जी के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है मैं शत प्रति शत उस में अपने को सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सम्मिलित करता हूं ।

श्री भगवान दास जी जिस पीढ़ी के थे वह पीढ़ी हमारे देश से अब उठती चली जा रही है । वह उस पीढ़ी से सम्बन्ध रखते थे जिससे राष्ट्रपिता का सम्बन्ध था । राष्ट्रपिता ने जिस तरह से राष्ट्र को एक तरह से बनाया, उसी तरह दूसरी तरीके से भगवानदास जी ने भी अपने साहित्य द्वारा और अपने धार्मिक विचारों द्वारा मुल्क को बनाने की कोशिश की । हम जैसे युवकों को उनके ग्रन्थ ही पढ़ने का अवसर मिल सका है । लेकिन इतना हम जानते हैं कि डा० भगवान दास जी ने जो राष्ट्र को देन दी है वह चिरस्मरणीय रहेगी । उन जैसे व्यक्तियों का मुल्क में इस वक्त पाना असम्भव नहीं तो कठिन जरूर होगा । मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, ये विचार उनके कुटुम्ब और विशेषकर उनके सुपुत्र श्री श्रीप्रकाश जी को पहुंचा दें ।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश (शिवपुरी) : अध्यक्ष महोदय, आज का यह दिन भारतवर्ष के लिये अत्यन्त दुःखद दिन है, इसलिये कि आज इस देश से एक महान ज्योतिर्पुंज उठ गया ।

यों तो हमारी संस्कृति के अनुसार संसार में जन्म लेना और मरना कोई बड़ी बात नहीं है । परन्तु दुःख इसलिये होता है कि आज सारा संसार अन्धकार की ओर जा रहा है और संसार को इस

---

†मूल अंग्रेजी में

समय प्रकाश दिखाने की अत्यन्त आवश्यकता है, और हम यह आशा करते हैं कि यह प्रकाश केवल भारतवर्ष से ही मिल सकता है और ऐसे समय में डा० भगवान दास सरीखी महान ज्योति का बुझ जाना देश के लिये बहुत खेद की बात है ।

संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है और यह बात हम डा० भगवान दास जी के जीवन में प्रत्यक्ष देखते हैं । उनका नाम भगवान दास था, अस्तु वह संसार में मनुष्य का दास बनना पसन्द नहीं करते थे, बल्कि भगवान का ही दास बनना पसन्द करते थे, और जो भगवान का दास है वह मनुष्य का अहित कभी कर ही नहीं सकता है, इसलिये कि कण-कण में सर्वत्र एक ही भगवान व्याप्त है, और जब प्राणिमात्र में भगवान व्याप्त है तो मनुष्य ही क्या कोई भी प्राणि उसके द्वारा पीड़ित और दुःखित नहीं हो सकता । यही हिन्दू संस्कृति है और इस हिन्दू संस्कृति के वे महान् पंडित थे । उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और देश सेवा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कार्य किया और "यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः" यह जो हमारे धर्म का सार है, अर्थात् परलोक में और इहलोक में दोनों में ही हमारा जीवन सार्थक हो, यहां भी हमारा अभ्युदय हो और परलोक में भी हमें निःश्रेयस की प्राप्ति हो, इस को डा० भगवान दास जी ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया । उन्होंने अपनी इहलौकिक लीला भी महानता के साथ बिताई और अपने जीवन को उन्होंने पूर्ण रूप से सफल करके दिखाया । और यह महान् पुण्य की बात है कि उनके अन्त समय में उनका सारा परिवार उनके पास ही था । काशी जैसी पवित्र नगरी में जन्म लेकर उन्होंने काशी को भी सार्थक कर दिया । जो आदमी काशी में जाकर बसता है उस का जन्म सार्थक हो जाता है, लेकिन डा० भगवान दास जी ने इस कलिकाल में अपनी महानता से काशी के नाम को भी सार्थक कर दिया । मुझे इस समय इस सम्बन्ध में एक अंग्रेजी की पोयम याद आती है :

Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime ;
And departing leave behind us,
Foot-prints on the sands of time.

[महापुरुषों का जग-जीवन, सूचित करता हमें पुकार ।
"तुम भी अपना जीवन जग में, कर सकते हो इसी प्रकार" ।।
समय-रेणु पर अपने पद-चिन्हों को जाते छोड़ ।
अन्य पुरुष भी देख चलेंगे, इसी हेतु ही आते छोड़ ।।]

हमें रोने के लिये फुरसत नहीं है । यह देश रोकर जीवित नहीं रह सकता । रोने के बजाय हमको चाहिये कि आज हम इस भारतीय-लोक-सभा में यह प्रतिज्ञा करें कि हम डा० भगवान दास जी की दिवंगत आत्मा को शांति देने के लिये और उन के नाम को उज्जवल करने के लिये जो कुछ उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है उस को अपने जीवन में साकार करके दिखायेंगे । इसी प्रकार हम दिवंगत आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और यह मेरी प्रार्थना है कि भगवान उन के संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने का साहस प्रदान करे ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, डा० भगवान दास जी काशी के सन्त थे । उनको श्री और सरस्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था । वे सुधारवादी थे । सच्चे हिन्दू थे । उनको इस बात का गर्व था वे हिन्दू हैं वह चाहते थे कि भारतवर्ष हिन्दू धर्म के मौलिक सिद्धान्त को समझे ।

[श्री रघुनाथ सिंह]

मानव धर्म सार, उनका संस्कृत का ग्रन्थ है। उस में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जन्म से मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है। यह उनके जीवन का सब से बड़ा सिद्धान्त था।

हरिजन आन्दोलन में उन्होंने बहुत बड़ा भाग लिया था। इस के लिये उन पर बहुत अत्याचार हुए। उन पर लाठियां भी पड़ीं। ढेले भी पड़े। लेकिन काशी में रहते हुए भी उन्हों ने कहा कि चूंकि मनुष्य २ में भेद नहीं है इसलिये हरिजन एवं सवर्ण हैं इसलिये उस में भी भेद नहीं हो सकता। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आदर्श था।

मैं इन शब्दों के साथ उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा में जो उद्गार प्रकट किये गये हैं मैं उन से पूर्णतः सहमत हूं। केन्द्रीय विधान मंडल में मैं भी उनके साथ था। वह राजनीतिज्ञ कम और संत अधिक थे। बड़े मनोयोग से लोग उनकी बात सुनते थे। उनकी श्वेत, शुद्ध ढाढ़ी तथा उनका स्मित हमें प्राचीन ऋषियों का स्मरण कराता था। उनका सब से बड़ा कार्य यह था कि उन्होंने हिन्दूधर्म को उदार बनाने का प्रयत्न किया। मनुष्य मनुष्य में वह कोई भेदभाव नहीं मानते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे। आशा है उन का मार्ग दर्शन हमारे देश को तथा हम को हमेशा मिलता रहेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनकी आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट के लिये मौन खड़े रहें।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मनीपुर और त्रिपुरा हिन्दू विवाह पंजीयन नियम

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन):** मैं हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ की धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ९ जुलाई, १९५८ की मनीपुर गजट अधिसूचना संख्या आई/जे/३७/५२-५८ में प्रकाशित मनीपुर हिन्दू विवाह पंजीयन नियम, १९५७।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ९३१/५८]

(२) दिनांक ५ अक्तूबर, १९५७ की त्रिपुरा गजट अधिसूचना संख्या एफ० ३(१४५)-एल आर।५५ में प्रकाशित त्रिपुरा हिन्दू विवाह पंजीयन नियम, १९५७।

[पुस्तकालय में रखी गयी —देखिये संख्या एल० टी० ९३२/५८]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) :** मैं विभिन्न सत्रों में, जैसाकि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ८, चौथा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३]

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अनुपूरक विवरण संख्या १०, तीसरा सत्र, १९५७ ।
[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १५, दूसरा सत्र, १९५७ ।
[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १६ पहला सत्र, १९५७ ।
[देखिये परिशिष्ट ६ , अनुबन्ध संख्या १६]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा (३) की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७९० ।

(२) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७९१ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी-- देखिये संख्या एल० टी० ९३७/५८]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(१) कि राज्य-सभा ने अपनी १७ सितम्बर, १९५८ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २७ अगस्त, १९५८ को पारित व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक, १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि राज्य सभा ने अपनी १८ सितम्बर, १९५८ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५८ को पारित औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक, १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)** : आपकी अनुमति से मैं आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(१) आज की कार्य सूची से बचे हुए किसी कार्य पर विचार ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिन्हा]

(२) निम्न विधेयकों पर विचार करना तथा उनको पारित करना :

(एक) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८

(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक, १९५८

(तीन) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९५८;

(३) ११ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रखे गये संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) निविनियम, १९५८ में रूपभेद करने के प्रस्तावों पर विचार ;

(४) संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करना और उसे पारित करना ;

(५) सवारी गाड़ियों के समय पर न आने की स्थिति के सम्बन्ध में गुरुवार, २५ सितंबर १९५८ को ४ बजे श्री फीरोज़ गांधी तथा पंडित द्वा० ना० तिवारी नियम १९३ के अधीन चर्चा उठायेंगे ; और

(६) रेलवे में जीवन की असुरक्षा तथा सम्पत्ति के खतरे के सम्बन्ध में शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८ को पंडित द्वा० ना० तिवारी नियम १९३ के अधीन चर्चा उठायेंगे ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : क्या केरल के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होनी जैसाकि आप ने वादा किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय को मैं सोमवार को प्रस्तुत करूंगा । डा० मेनन ने भी एक प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाये हैं । मैंने उन से प्रलेख आदि मांगे थे । उन्होंने कुछ प्रलेख दिये हैं और मैं उन्हें देख रहा हूं । अतः उस दिन मैं डा० मेनन को समय दूंगा, केवल यह जानने के लिये कि सभा की क्या राय है और क्या मामले पर चर्चा की अनुमति दी जा सकती है । उनके बाद मैं विचार करूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ।

समितियों के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उपनियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उपनियम (३) द्वारा अपेक्षित रीति से ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले कार्यकाल की शेष अवधि में श्रीमती रेणुका राय और श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिये हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक-लेखा समिति

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, ३०९ के उपनियम (१) के साथ पठित नियम, २५४ के उपनियम (३) द्वारा अपेक्षित रीति से ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले कार्यकाल की शेष अवधि में श्री त्रिभुवन नारायण सिंह के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, लोक-लेखा समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं संबंधी ज्ञापन के बारे में प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ से १६, १८ और १९ पर चर्चा करेगी । इसके लिये कुल १० घंटे का समय रखा गया था जिसमें से ४ घंटे का समय शेष है । श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह अपना भाषण जारी करें ।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** (औरंगाबाद–बिहार) : श्रीमान् कल मैं बता रहा था कि योजना आयोग परियोजनाओं के विवरण पर अच्छी तरह विचार नहीं करता । इसी कारण अनेक परियोजनाओं के प्राक्कलन काफी बढ़ गये हैं । यदि आयोग इस संबंध में सावधानी रखता तो हमारे संसाधनों में काफी बचत हो गयी होती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

सोने के तस्कर व्यापार द्वारा हमारे विदेशी मुद्रा की बहुत हानि हो रही है आप को विदित होगा कि फारस की खाड़ी में सोने का मूल्य ६२ रु० ५० नये पैसे प्रति तोला है जबकि भारत में १०५ रु० प्रति तोला है। अतः लोग खूब आनन्द से सोने का तस्कर व्यापार कर रहे हैं। लोग वहां से सोना लाकर हमारे देश में बेच कर बहुत लाभ उठा रहे हैं। १९५५-५६ में इस संबंध में हमें १०.२ करोड़ की, १९५६-५७ में २२.९ करोड़ की, १९५७-५८ में ४५ करोड़ की हानि हुई। चालू वर्ष के अन्त तक यह हानि १०० करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी।

विदेशी मुद्रा की कमी के कारण एक ओर हमें १० केन्द्रीय परियोजनाओं तथा ६४ अन्य परियोजनाओं को रोक देना पड़ा दूसरी ओर हमें इतनी बड़ी राशि का नुक्सान हो रहा है। योजना आयोग ने इन परियोजनाओं को रोकने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सीमा पर कुछ मोटर की नावें लगाने से यह काम नहीं रुक सकेगा। इसके लिए हमें बड़ी निगरानी तथा प्रभावी उपाय काम में लाने होंगे। मुझे बहुत खेद है कि पिछले तीन वर्षों में हमें देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अत : मेरा निवेदन है कि योजना मंत्री इन बातों पर अच्छी प्रकार विचार करें।

इस संबंध में मैं एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि दो प्रकार के नोट बनाये जायें। एक देश में भीतर प्रयोग के आने के लिए और एक बाहरी काम के लिए। ऐसा करने पर जो लोग सोने का तस्कर व्यापार करते हैं उनको आप देश के भीतर प्रयोग करने वाले नोट ही ले जाने दीजिए इन नोटों से वहां वे सोना नहीं खरीद सकेंगे और यदि वे नोट इंगलैंड हमसे बदलना चाहे तो हम उसे बदले भी नहीं क्यों कि वे तो देश के भीतर काम के नोट हैं। इस प्रकार दो प्रकार के नोट बना कर हम कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि योजना आयोग इस बात का पूरा ध्यान रखे।

योजना के संबंध में भी हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। योजना के बाहर के कामों के लिए धन को क्यों व्यय किया जा रहा है। मैं योजना मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह योजना आयोग के प्रशासन को ठीक करें ताकि योजना आयोग अपनी नीति को समुचित ढंग से कार्यान्वित करे। कृषि के संबंध में भी मैं योजना मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाऊंगा। पहले उन्होंने उद्योग को प्राथमिकता दी बाद में कृषि के महत्व पर जोर दिया गया। कृषि की हालत खराब है। कृषकों के संबंध में विचार करते समय हमें कृषकों के स्वभाव, उनकी परिस्थितियों आदि अनेक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

उस दिन एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हमने ६३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए नहरों आदि की व्यवस्था कर दी है पर केवल ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी। बताया गया कि किसानों ने इस सुविधा का अधिक उपयोग नहीं किया। क्यों ? आप फिर भी उन पर सुधार कर लगा रहे हैं। जब आप अन्य उद्योगों की रियायतें दे रहे हैं तो आप किसानों को रियायत क्यों नहीं देते। उनको रियायत देने से कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। आज किसानों का भविष्य बिल्कुल अनिनिश्चत है। आप नये सुधार तथा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बातें कहते हैं। पर आप इस योजना काल में यह सब नहीं कर पायेंगे। यदि आप यह सब नहीं

†मूल अंग्रेजी में

कर पायेंगे तो आप साफ शब्दों में घोषित कर दें कि आगामी १० वर्षों तक आप कुछ भी नहीं करेंगें। ऐसी घोषणा करने से किसान अपने सुधार कार्य में जी लगा सकेगा तथा उत्पादन भी बढ़ायेगा। आप उसको इस संदिग्ध स्थिति से बाहर निकालें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें किसानों का सहयोग लेंगे तभी आप को सफलता मिलेगी। किसानों की स्थिति का ध्यान रख कर ही आप अग्रेतर सुधार करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप को फिर देश के भीतरी संसाधनों की कमी की शिकायत नहीं रहेगी।

अन्त में, मैं खेतों की चकबन्दी का प्रश्न लूंगा। आप ने बताया था कि चकबन्दी सब के लिए तथा सारे क्षेत्र के लिए होगी। पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। मैं पंजाब के एक गांव में—पंजाब को इस संबंध में आप आदर्श मानते हैं – गया था वहां मैंने देखा कि बड़े बड़े जमीदारों के खेतों की चकबन्दी की गयी है पर छोटे-छोटे किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। उनके खेत अब भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। गत वर्ष भी मैंने यह प्रश्न उठाया था। अतः यदि आप पूरे क्षेत्र या गांव की चकबंदी करना चाहते हैं तो आपको छोटे-छोटे किसानों का भी ध्यान रखना चाहिए।

†**श्री सोमानी** (दौसा): योजना मंत्री ने कहा है कि पंच वर्षीय योजना को लचीली होना चाहिये, जिससे परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन तथा परिवर्धन किये जा सकें। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। वस्तुतः कुछ कठिनाइयां उपस्थित होने पर ही आज योजना में कुछ परिवर्तन कर देने पड़े हैं।

लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि योजना के प्राक्कलनों में आश्चर्यजनकरूप से वृद्धि हो रही है। पहिले यह कहा गया था कि योजना के लिये ११०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमी होगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह कमी १७०० करोड़ रुपये तक पहुंचेगी। इसी प्रकार मूल योजना में तीनों इस्पात परियोजनाओं पर ३५० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया था लेकिन अब यह राशि बढ़ कर ५०० करोड़ हो गई है। इसी प्रकार योजना मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकारी क्षेत्र की सभी औद्योगिक योजनाओं को क्रियान्वित करने का व्यय ६१७ करोड़ से वढ़कर ८१५ करोड़ हो गया है। यह बहुत गम्भीर बात है कि परियोजनाओं का व्यय इस प्रकार बढ़ता जा रहा है। मंत्री महोदय को सभा में यह बताना चाहिये कि प्राक्कलनों में इतनी बड़ी भूल क्योंकर हुई और पहिली बार ही उनका सही अनुमान लगाना संभव क्यों नहीं हुआ।

जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है हमारे वित्त मंत्री तथा अन्य अधिकारियों के प्रयत्नों से स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया है और आशा है कि आगे हमें विदेशी मुद्रा का इतना अभाव नहीं होगा। लेकिन मैं श्री ही० ना० मुकर्जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमें लोकतन्त्री देशों से सहायता नहीं लेनी चाहिये या विदेशी उद्योगपतियों की पूंजी का स्वागत नहीं करना चाहिये यदि हम उक्त देशों और विश्व बैंक से सहायता न लें तो उसके कितने भयावह परिणाम होंगे। उससे हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जायेगी। मेरे विचार से ऐसा कहना अनुत्तरदायिता है। हम राजनैतिक दृष्टिकोण से भले ही कुछ कहें तथापि हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिये। इसलिये यदि कोई मित्र देश हमें आर्थिक सहायता दे, या विश्व बैंक हमारी आर्थिक नीति की आलोचना करे तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिये। तथापि उसके सुझावों के अनुसार काम करने या न करने के लिये हम स्वतन्त्र हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोमानी]

अब मैं आन्तरिक संसाधनों का प्रश्न लेता हूं। मूल योजना में अतिरिक्त कर लगा कर केन्द्र द्वारा २२५ करोड़ रुपये प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। केन्द्र द्वारा अतिरिक्त करारोपण से ७२० करोड़ पये की आय हुई है तथापि ५०० करोड़ रुपये या तो प्रतिरक्षा में व्यय हो गये या अन्य योजना की परिधि के बाहर अनुत्पादक कार्यों में व्यय हो गये। यह बहुत गम्भीर बात है। माननीय मन्त्री ने यह संकेत किया है कि निर्माण कार्यों में २५प्रतिशत कटौती की जाये ी तथापि इतना ही पर्याप्त नहीं है। प्रशासन में मितव्ययिता का बहुत क्षेत्र है। अभी तक यह नहीं बताया गया है कि ३०० करोड़ या ३५० करोड़ रुपये की कमी किस प्रकार पूरी होगी। यह संकेत दिया गया है कि अतिरिक्त कर लगाये जायेंगे तथापि पहिले ही इतने कर लग चुके हैं कि अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार के कर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं हैं। यदि आप एक ओर कर लगायेंगे तो उसकी दूसरी ओर अनुचित प्रतिक्रिया होगी। फलतः अर्थव्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं होगा।

जहां तक दूसरी योजना के लिये निश्चित विनियोजन, नियोजन और राष्ट्रीय आय के लक्ष्यों का सम्बन्ध है, ये लक्ष्य सरकारी क्षेत्र में कुछ कमी करने के उपरान्त भी पूरे हो सकते हैं जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ है। केवल इसके लिये गैर सरकारी क्षेत्र को उप ुक्त अवसर तथा प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। अब भी गैर सरकारी क्षेत्र में विनियोजन बढ़ा कर तथा कार्यक्रम में उचित परिवर्तन कर निश्चित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं।

जहां तक कृषि उत्पादन का प्रश्न है यह देख कर दुख होता है कि कृषक लोग नहरी पानी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। योजना आयोग को चाहिये कि वह इस काम को अपने हाथ में ले और कृषकों को पानी का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। राज्य सरकारों को चाहिये कि वह पहिले दो तीन वर्षों तक पानी के उपयोग में कर न लगायें।

उर्वरकों के सम्बन्ध में भी भारत अन्य देशों से बहुत पिछड़ा है। यदि समुचित उर्वरकों का प्रयोग किया जाय तो उत्पादन बहुत बढ़ सकता है हम करोड़ों रुपयों के खाद्यान्न का प्रतिवर्ष आयात कर रहे हैं जब कि २० करोड़ रुपये की लागत से एक उर्वरक कारखाना खुल सकता है। राजस्थान में ऐसे कारखाने को खोलने की बहुत सम्भावनायें और सुविधायें प्राप्त हैं। इसके लिये योजना आयोग तथा तत्सम्बन्धी मन्त्रालयों से कई बार प्रार्थना भी की जा चुकी है तथापि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि देश में एक दो उर्वरक कारखाने और खोले जायं।

श्री अशोक मेहता ने यह कहा है कि कपड़ा उद्योग पर्याप्त संरक्षण दिये जाने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ सका है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उद्योग की उत्पादन शक्ति और श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये इस उद्योग का वैज्ञानिकन और आधुनिकीकरण करना अनिवार्य है। जिस पर बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वस्तुतः यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हम अन्य देशों से प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकेंगे और इससे हमारे उद्योग को बहुत धक्का लगेगा।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां): सभा में योजना के मूल्यांकन का प्रस्ताव रखा गया है। मेरे विचार से हमें योजना के स्थान पर योजना आयोग

†मूल अंग्रेजी में

का मूल्यांकन करना चाहिये । योजना आयोग में चाटुकार व्यक्ति नहीं रहने चाहियें । वहां स्वतन्त्र विचारों वाले तथा निर्भीक व्यक्ति होने चाहियें, जो निर्भयता से अपने सुझाव दे सकें ।

योजना आयोग का काम बिल्कुल असन्तोषजनक रहा है । वे प्रतिवर्ष यहां आकर क्षमायाचना करते हैं और आश्वासन देते हैं कि इतना होने पर भी वे निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं । वस्तुतः उन्हें निर्भयतापूर्वक हमें वे बातें बतानी चाहिये थीं जिनके कारण ये कठिनाईयां पैदा हुईं । आवश्यकता होने पर उन्हें आकर बताना चाहिये कि ये कठिनाइयां संघीय शासन प्रणाली के कारण हो रही हैं और हमें संविधान में परिवर्तन कर एकीय शासन प्रणाली लागू करनी चाहिये ।

योजना किसी देश या समुदाय के आर्थिक अंग तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये अपितु जनता का सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिये । तथापि हम देखते हैं कि योजना का रुपया अधिकारियों के पेट्रोल, कार तथा अन्य खर्चों में व्यय होता है ग्रामवासियों को नगण्य लाभ होता है । दामोदर घाटी परियोजना बनाते समय आपने वायदा किया था कि वहां के संथाल गांवों का विकास किया जायेगा । लेकिन आज ८ वर्ष पश्चात् भी हम उन्हें बसाने में भी समर्थ नहीं हुये हैं ।

योजना समायोजित होनी चाहिये । खाद्य समस्या हल न होने का एक कारण यह भी है कि हम स्थिति को वास्तविकता के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहते हैं । उदाहरणार्थ हम जनता का समर्थन प्राप्त किये बिना ही हम चकबन्दी किसानों पर लादना चाहते हैं या शराब बन्दी करना चाहते हैं । इन सब बातों के लिये पहिले हमें जनता का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है ।

योजना आयोग ने सुधार कर लगाने का सुझाव दिया है । इस कर के कारण किसान जल का उपयोग नहीं कर रहे हैं । वस्तुतः कई वर्षों तक किसानों को नहरी पानी का मुफ्त उपयोग करने देना चाहिये ।

मुझे दुख है कि जंगलों के संबंध में योजना आयोग की कोई निश्चित नीति नहीं है और न शिक्षा के संबंध में स्थिति को देखते हुये नीति में कोई परिवर्तन किया जा रहा है । टेक्नीकल शिक्षा संस्थायें, कारखानों से सैकड़ों मील दूर हैं जहां तक शिक्षा प्राप्त करने जाना हर किसी के बस की बात नहीं है ।

इसी प्रकार रूरकेला संयंत्र को बनाने के लिये ५२ गांव हटाये जायेंगे । जो लोग हटाये गये हैं उन्हें वैकल्पिक भूमि नहीं दी जा रही है यदि दी जा रही है तो वह उनके गांव से मीलों दूर है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हतिया में एक भारी मशीन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है लेकिन जिनकी भूमि से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । इसी प्रकार झाड़खंड क्षेत्र में, जो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है शिक्षा को औद्योगिक शिक्षा देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । फल यह होता है कि वहां के कारखानों में आपको उस राज्य को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों और देशों के व्यक्ति दिखाई देते हैं ।

मेरा यह सुझाव है कि शराब बन्दी समाप्त कर दी जाय क्योंकि यह असफल रही है । इसके स्थान में हमें शराब न पीने की शिक्षा देनी चाहिये ।

[श्री जयपाल सिंह]

हमें योजना में खाद्य को सर्वप्रथम पूर्ववर्तिता देनी चाहिये । भारत पिछले कई वर्षों से खाद्य के संबंध में परावलम्बी रहा है यदि ऐसी ही स्थिति रहेगी तो अगले कई वर्षों में भी उसकी यही स्थिति रहेगी। इसलिये योजना आयोग में ऐसे सदस्यों को रखना चाहिये जो गांवों की समस्या से अवगत हों। योजना में गांव व गांव के लोगों को प्रथम महत्व दिया जाना चाहिये। ऐसा करने से ही हम प्रगति कर सकते हैं ।

मैं सूची दो के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ का समर्थन करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : योजना के मूल्यांकन और भविष्य के बारे में जो ज्ञापन दिया गया है वह इस बात की प्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति है कि हमारे प्राक्कलन कितने गलत थे । वस्तुतः योजना आयोग को इस बात का अनुमान पहिले ही होना चाहिये था इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि योजना संबंधी जटिल प्रश्नों को कितने अवैज्ञानिक तरीकों से सुलझाया जा रहा है ।

खाद्य समस्या हमारी योजना की सब से महत्वपूर्ण समस्या है तथापि इस संबंध में कोई ठोस हल नहीं निकाला जा सका है । अभी तक देश की सिंचाई क्षमता का ६० प्रतिशत अंश अप्रयुक्त पड़ा है। यह दुख की बात है कि योजना आयोग और तत्संबंधी अधिकारी इस संबंध में पहिले ही विचार नहीं कर सके कि इन परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा।

मुद्रास्फीति का प्रभाव प्रथम योजना के अन्त से ही दृष्टिगोचर होने लगा था इसी का यह परिणाम हुआ कि योजना में १५० करोड़ की वृद्धि हो गई ।

घाटे की अर्थव्यवस्था सीमा से अधिक बढ़ती जा रही है। भुगतान शेष की स्थिति भी अच्छी नहीं रही है। पोंड पावना जो १६५४ में ७५० करोड़ रुपये था घट कर २०० करोड़ रुपये रह गया है। निसन्देह कर बहुत लगाये गये हैं फलस्वरूप करों से आशातीत आय हुई है। लेकिन साथ ही व्यय में और भी वृद्धि हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चस्तर में व्यय और आय के संबंध में कोई समायोजन ही नहीं है द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हमें ६०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमी रहेगी। हमारे वित्त मंत्री आर्थिक सहायता प्राप्त करने विदेश गये हैं। और समाचार पत्रों ने उनकी सफलता का उल्लेख किया है लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि उनकी यात्रा असफल रही है। भारत को मार्च १६५६ तक ३५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का भुगतान करना है जिनमें से वित्त मंत्री महोदय को केवल १५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का आश्वासन मिला है। योजना आयोग को यह बताना चाहिये कि अवशेष राशि की व्यवस्था कैसे की जायेगी।

प्रशासन में मितव्ययिता की जानी चाहिये विशेषतः तीन इस्पात परियोजनाओं में जो बहुत मंहगे सिद्ध हो रहे हैं। हमारा निर्यात भी घट रहा है उनमें ५० करोड़ रुपये की कमी हुई है।

अतः हमें अपने दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा। इसके लिये हमें पुनः योजना का मूल्यांकन करना चाहिये और उसे तीन वर्गों में विभाजित करना चाहिये। सबसे आवश्यक वर्ग को पहिले लेना चाहिये बाकी दो वर्गों को अभी लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही इसके लिये हमें समाज सेवाओं का परित्याग करना पड़े। वस्तुतः हमारी सारी योजना ही खटाई में पड़

†मूल अंग्रेजी में

रही है लेकिन किसी को इस बात की चिन्ता नहीं है कि देश पर इसका क्या परिणाम होगा। अतः मेरा आग्रह है कि योजना मंत्री और आयोग के सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिये और अन्य सुयोग्य व्यक्तियों को उसमें शामिल करना चाहिये जो योजना के संबंध में मौलिक और क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकें।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन्** (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल से सब भाषणों को सुना है। स्पष्ट बात यह है कि सभी वक्ताओं ने माननीय योजना मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये तुरन्त कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। दोनों योजनाओं में जल साधनों को उपलब्ध कराने की बात पर जोर दिया गया है। योजना आयोग के कुछ लोगों ने उर्वरकों के उत्पादन का विरोध किया है। रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन का विरोध करना मैं देश के वैज्ञानिक विकास में बाधा समझता हूं। मैं मंत्री महोदय पर जोर दूंगा कि इसके उत्पादन की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। अभी हाल ही में रासायनिक विकास परिषद् ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें उर्वरकों की आवश्यकताओं के संबंध में सविस्तार उल्लेख है और यह बताने का यत्न किया गया है कि इससे हमें कितना लाभ पहुंचेगा। अतः योजना आयोग को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि उसे देश में उर्वरक उत्पादन के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिये। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इसका विकेन्द्रीयकरण हो जाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि मद्रास में उत्पादन सब से अधिक होता है इसका कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ही है। इससे हम अपना उत्पादन १०० प्रतिशत बढ़ा सकते हैं।

मद्रास में सभी उपलब्ध साधनों को सिंचाई और विद्युत विकास के कार्य में लगा दिया गया है। अब हम अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं के लिये पड़ौसी राज्यों पर ही आश्रित हैं। बहुत सा पानी केरल होकर बिना प्रयोग के ही बह जाता है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उन्हें तीसरी पंच वर्षीय योजना में इस पानी के उपयोग की कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। केरल में यदि इस पानी का उपयोग किया जाये तो लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इससे मद्रास राज्य न केवल आत्म निर्भर हो जायेगा प्रत्युत निर्यात करने में भी सफल होगा।

अन्य प्रश्न जिस की ओर कि माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया गया वह विदेशी विनिमय का है। इसमें काफी ह्रास हुआ है, मेरा विचार है कि इसका कारण योजना आयोग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और रक्षित बैंक के समुचित समन्वय का अभाव है। यदि इसका पूरा लेखा जोखा रखा जाता और प्रत्येक वर्ष ठीक ढंग से अनुमान लगाया जाता, तो यह अवस्था उत्पन्न न होती। अब योजना मंत्री को इसका पूरा चित्र अपने समक्ष रखना चाहिये। जो अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं वे भी आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। और इसके सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये। आज के युग में जब इंजीनियरिंग विज्ञान का काफी विकास हो चुका है मेरा विनम्र निवेदन है कि योजना आयोग में कुछ इंजीनियर भी सम्मिलित किये जाने चाहिये ताकि योजना आयोग में आने से पूर्व योजना की पूरी छान बीन कर ली जाया करे।

अन्य बातें कच्चे माल के प्रयोग और विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के असन्तुलन के सम्बन्ध में हैं। दक्षिण भारत के लोगों की शिकायत है कि सभी अच्छे और बड़े उद्योग उत्तर में हैं, इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पी० रा० रामकृष्णन्]

पर विचार किया जाना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि दक्षिण में भी बड़े-बड़े संयंत्र चालू किये जायें, ताकि कोई यह न कह सके कि दक्षिण की उपेक्षा की जा रही है । इसके साथ ही योजना आयोग को एक गवेषणा विभाग बनाना चाहिये, ताकि प्रत्येक कच्चे माल के समुचित उपयोग की गवेषणा हो सके । इस प्रकार कच्चे माल के उपयोग से कई चीजों का उत्पादन हो सकता है, जिससे कम से कम ५० करोड़ का विदेशी विनिमय बच सकता है । इसमें अख़बारी काग़ज तथा कपड़ा प्रमुख हैं ।

श्री रामम् (नरसापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हम एप्रैआइज़ल एंड प्रौसपेक्ट्स आफ सेकेंड फ़ाइव इयर प्लान की बात करते हैं और मैंने प्लानिंग कमिशन द्वारा प्रकाशित इस सम्बन्ध में रिपोर्ट को भी देखा और मैंने पाया कि आंकड़ों में कुछ घटा बढ़ी की गई है । लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि योजनाओं की प्लानिंग के बारे में बुनियादी तौर से जो कमज़ोरियां हैं उनको दूर करने के बारे में इस रिपोर्ट में कोई सुझाव नहीं है ।

हमारा कोई भी प्लान और कोई भी योजना उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक कि तमाम जनता का सक्रिय सहयोग हमें न मिले । अगर हम पूरी ताक़त के साथ राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी ज़रूरी योजनाओं को कामयाब बनाने के लिये जुट जांये तो ज़रूरत पड़ने पर हम अपने टार्गेट्स में कुछ कमी भी कर सकते हैं और अपनी सहूलियत के अनुसार उनको बढ़ा भी सकते हैं । हमें यह देखना होगा कि आया जो रिसोर्सेज़ हमारे देश में सुलभ हैं उनका हम कहां तक इस्तेमाल करते हैं और इन योजनाओं पर हम फारेन एक्सचेंज का रुपया कितनी सावधानी के साथ खर्च करते हैं । मैं प्लानिंग कमिशन के मेम्बरों और भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि आज योजना सम्बन्धी कामों और उनसे सम्बन्धित प्रशासन पर बहुत अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है, काफ़ी रुपये की बर्बादी हो रही है । इसके अलावा फारेन एक्सचेंज को हमने ऐसे ंग से खर्च किया जिससे कि हमारा उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ा । औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ पर हमने काफ़ी रुपया खर्च किया लेकिन जो उसका वांछित परिणाम निकलना चाहिये था वह नहीं निकला और जिससे कि यह ज़ाहिर हो जाता है कि हमने सही ढंग से रुपया खर्च नहीं किया और हमने बहुत काफ़ी तादाद में रुपया बर्बाद किया । हम अगर सावधानी वर्तते और सचेत रहते तो इस अत्यधिक खर्च में हम कमी कर सकते थे । मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी सरकार द्वारा सावधानी के साथ रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है और काफ़ी रुपया बर्बाद जाता है और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह अब भी चेते और इस भयंकर बर्बादी को जो कि आजकल चल रही है, रोके ।

जो रुपया हमने अपने देश की फ़ौज को मज़बूत करने के लिये हथियार आदि सामग्री विदेशों से मंगाने पर खर्च किया है वह हमने ठीक ढंग से खर्च किया है, ऐसा नहीं कह सकते हैं । हमने विदेशों से पुराने हथियारों को ही खरीदा है और उसमें भी मैं समझता हूं कि २५० करोड़ रुपये की बर्बादी ही हुई है ।

फ़ौज का खर्च और अन्न का इम्पोर्ट इन दोनों पर कुल मिला कर लगभग ५०० करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं । सेकेंड फ़ाइव इयर प्लान के दौरान में फुड इम्पोर्ट्स के लिये हमने २४० करोड़ रुपया अलग रक्खा है । देश में कुछ भागों में जो खाद्य संकट आया और लोगों को परेशानी और

दिक्कत उठानी पड़ी और देश के लोगों की पुकार सरकार के कानों तक पहुंची और वह भी चेत उठी है। हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की खाद्य समस्या की ओर विशेष रूप से अपनी सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा है और वे खाद्यसमस्या कितनी महत्वपूर्ण है इसको समझ गये हैं। यह खेद का विषय है कि सरकार को जितना ध्यान इस खाद्य समस्या और देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने की ओर देना चाहिये था, उतना उसने नहीं दिया। अब सरकार उसकी गम्भीरता को भली प्रकार समझ गई प्रतीत होती है और देश की खाद्य समस्या को सफलता-पूर्वक हल करने की दिशा में उसका ध्यान इस समय लगा हुआ दिखाई देता है। यह सब तो ठीक है लेकिन मेरे ख़याल में बुनियादी तौर पर जो कमज़ोरियां हैं उनको हटाये बिना हम अपनी योजनाओं को पूरा करने में प्रगति नहीं कर सकते हैं। हमें अपने देश में जो रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश करनी होगी और हमको केवल इस बात पर कि पूर्व से हमें कितना क्रेडिट मिलेगा और पश्चिम के देशों से कितना मिलेगा और उस उधार के रुपये के मुताविक अपनी योजनाओं में घटा बढ़ी करना, बहुत ख़तरनाक बात है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम विदेशों की ओर ही सहायता के लिये मुंह ताकते न रहें और हम अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना सीखें। इस देश में उसके लिये अनुकूल वातावरण पैदा करें ताकि जनता के तमाम वर्गों का हमें इन कामों में पूरा पूरा सहयोग मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिये कि अगर विदेशों से अमरीका अथवा विलायत से हमें १०० करोड़ रुपया उधार मिल गया तो हम अपने प्लांस् को बढ़ा लें, आज यही देखने में आ रहा है और अगर विदेशी सहायता में कुछ कमी हो गई तो आज हमारा प्लान भी घटा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से विदेशी सहायता के ऊपर एकदम निर्भर करना हमारी योजना के लिये और हमारे देश के लिये कल्याणकारी नहीं है। हमको यह चीज़ तरक्क़ी की ओर ले जाने वाली नहीं है। अब हमको यह बतलाया जाता है कि कपड़ा हमारे यहां काफ़ी सरप्लस जमा पड़ा है। उसके दो, तीन महीने पहले हमको बतलाया गया कि शुगर ज्यादा हो गई है। एक दिन एक बात निकलती है तो दूसरे दिन दूसरी बात होती है। मुझ को यह पालिसी अच्छी नहीं मालूम होती है। जैसा मैंने पहले कहा सरकार को अपनी प्लानिंग को कामयाब बनाने के लिये जनता का पूर्ण रूप से सहयोग पाने का प्रयास करना चाहिये जो कि आज उसे नहीं मिल पा रहा है और जिसके कि कारण हमारी प्लानिंग कामयाब नहीं हो पा रही है। अगर हमें इन कामों में जनता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो सका तो फिर हमें अपने आंकड़ों में तबदीली करने और अपने प्लान्स के बारे में चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस हालत में आज की तरह हमें अपने टार्गेट्स में कमी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि उनको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। सरकार और प्लानिंग कमिशन को इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिये कि किस तरह से जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और हमारे प्लान्स में जो बुनियादी कम-ज़ोरियां हैं उनको किस तरीक़े से दूर किया जा सकता है। मेरी यह शिकायत है कि इस ओर उनका ध्यान नहीं गया है।

हमारे योजना मंत्री श्री नन्दा ने एकोनामिक रैव्यू में एक लेख लिखा है जिसमें एक विशेष बात यह है कि लैंड रिफ़ार्म्स के सम्बन्ध में हम बहत सफल नहीं हो सके हैं, इसे वे किसी हद तक स्वीकार करते हैं। उन्होंने उसमें यह बतलाया है कि कई राज्य सरकारें अपने वहां पर लैंड रिफ़ार्म्स करने को तैयार नहीं है अगर कुछ किया भी है तो केवल नाम मात्र को किया है और जिसका कि नतीजा यह हुआ है कि किसानों को ज़मीन नहीं मिली, टेनेंट्स को भी अपनी ज़मीन से निकाल दिया है और टेनेंट्स भी संतुष्ट नहीं हुये, ऐसा हमारे प्लानिंग के वज़ीर नन्दा जी मानते हैं। यह

[श्री रामम्]

खुशी की बात है कि वह असलियत को समझते हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि उसके लिये वे क्या क़दम उठा रहे हैं जिससे कि किसानों का उन्हें पूर्ण सहयोग मिल सके और देश में अन्न का उत्पादन बढ़ सके.....

श्री त्यागी (देहरादून) : ठीक बात है।

श्री रामम् : देश में अन्न का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये सरकार को जो लैंड रिफ़ार्म्स करने चाहिये थे उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उसके बारे में कोई सुझाव नहीं है। किसानों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये फ़र्टिलाइज़र्स की जो आवश्यकता है उसको हल करने की दिशा में कोई सुझाव अथवा सक्रिय क़दम नहीं है। एक सदस्य का कहना है कि आज किसानों को देश में अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये इंसेंटिव नहीं है यह सुन कर मुझे बहुत ही अफसोस होता है। आज हक़ीकत यह है कि हमारे देश का किसान ज़मीन के लिये और पानी के लिये तड़फता है लेकिन पानी उसको वक्त पर नहीं मिलता है।

यह तुंगभद्रा और कुनार प्राजेक्ट्स जिन पर कि २०, २५ करोड़ रुपया लगा है, वहां की क्या हालत है। नाला जो कि बनाया जाना चाहिये था नहीं बनाया और यह २०, २५ करोड़ रुपये से डैम बना रहे हैं। अब यह योजना का दोष है कि बिना नाला बनाये डैम को बना करके यह २०, २५ करोड़ रुपये वहां पर बर्बाद किये। अगर किसानों के खेतों के पास तक नाला होगा तो वे डिस्ट्री-ब्यूटरीज़ अपने आप खोद लेंगे। आजकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की महंगाई के दिनों किसान अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। यह योजना तो बिना योजना की योजना मालूम पड़ती है क्योंकि आपने बांध बना दिया है पर नाला नहीं बनाया है। इसको तो प्लान लैस प्लान ही कहना पड़ेगा। इसमें रुपया तो खर्च हो गया है लेकिन पानी इस्तेमाल में नहीं आ रहा है।

इतना ही नहीं है। आप इंडस्ट्रियल फ्रंट को भी देखिये। मैन्योर के बारे में हमारे राम किशन जी ने कहा है। एग्रीकल्चर के लिये फरटिलाइजर का कितना महत्व है। लेकिन हम १९५६ में रूरकेला में एक प्लांट एलाट करते हैं और एक प्लांट नेईवैली में एलाट करते हैं। नेईवैली में अभी तक लिगनाइट नहीं निकला है। लेकिन वहां के लिये हमने प्लांट एलाट किया है। अगर कोत्ता-गूडम में सैंक्शन कर देते तो अब तक प्रोडक्शन होने लगता, लेकिन वैसा नहीं किया। हम नेईवैली में सैंक्शन कर सकते हैं रूरकेला में अभी तक गैस भी नहीं है, पर वहां के लिये एलाट कर दिया है। कौनसा काम पहले करना चाहिये इस बारे में भी मालूम होता है योजना कमीशन ने अच्छी तरह से विचार नहीं किया है।

अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसको पहले थोड़ा थोड़ा आसानी से हजम होने वाला और पुष्टिकारक खाना दिया जाता है और बाद में धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तभी उसको लाभ हो सकता है। लेकिन हमने बड़ी बड़ी रकमें एलाट कर रखी हैं पर जिसमें जल्दी फायदा हो इस तरह से हम पैसा खर्च करना नहीं जानते। योजना में इस प्रकार की बुनियादी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से अभी तक लोगों को, किसानों को, मज़दूरों को यकीन नहीं दिलाया जा सका है। इस चीज़ को बदलना होगा तभी योजना सफल हो सकेगी।

राम किशन जी ने बताया कि बगास से पेपर बनाना चाहिये। शुगर फैक्टरीज में बहुत बड़ी मात्रा में बगास पड़ा रहता है। अगर पांच या साढ़े पांच करोड़ रुपया लगा कर न्यूजप्रिंट फैक्टरी

बना ली जाये तो एक ही साल में उससे ३० हजार टन न्यूजप्रिंट निकल सकता है जिससे ढाई करोड़ के फारिन एक्सचेंज की बचत हो सकती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाये जाते। इतनी लाभदायक फैक्टरी को 'कोर आफ दी प्लान' में नहीं रखा गया। यह तो बड़ी भारी गलती है।

जब योजना का रिव्यू करते हैं और कोर का चुनाव किया जाता है तो इस सदन के किसी सेक्शन के प्रतिनिधियों से राय नहीं ली जाती। अपने आप बना कर रख लेते हैं। इससे नुकसान होता है। इस तरह से आप किसानों को यकीन नहीं दिला सकते।

अब हमारे राष्ट्रपति जी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये एक मूवमेंट करना चाहते हैं। जब तक योजना की बुनियादी कमजोरियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक चाहे राष्ट्रपति जी बोलें या प्रधान मंत्री जी बोलें, हम किसानों को यकीन नहीं दिला सकते। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिये।

जो फरटिलाइजर मिलता है वह सीलिंग रेट पर नहीं मिलता। वह चोर बाजार में चला जाता है और इससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। इस पर विचार करना चाहिये।

समय बहुत कम है। मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। वह है लैंड रिफार्म के बारे में। कल सदन में इस बारे में कुछ चर्चा भी हुई थी। मसानी साहब ने कहा कि जब आप इंडस्ट्रीज़ में सीलिंग नहीं रखते तो जमीन के लिये ही सीलिंग क्यों होनी चाहिये। इस बारे में जो भारत को चलाने वाला दल है, यानी कांग्रेस दल, उसमें भी परस्पर विरोधी भावना है। प्लानिंग कमीशन हमको बताता है कि अगर लैंड रिफार्म होगा तो उससे लोगों को फायदा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस दल में एक बहुत बड़ा ताकतवर सेक्शन है जो कि इसको नहीं होने देना चाहता। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इस बारे में सेंट्रल कैबिनेट के मंत्रिगण तक के भिन्न-भिन्न अभिप्राय हैं। आज हालत यह है कि जो बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी है उसमें इस सवाल पर अगर ५० आदमी पक्ष में हैं तो ५० विपक्ष में हैं। इस हालत में योजना को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जो बुनियादी काम है उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, उसको रोक दिया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे प्लानिंग सचिव दुबले पतले आदमी हैं। वह इस योजना को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस योजना को पीछे खींचने वाले ताकतवर मालूम पड़ते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि उन लोगों की ताकत रोज रोज बढ़ती जाती है।

हम देखते हैं कि रूरल वाइस के नाम पर अखबार निकलते हैं। आन्ध्र में पंजाब के रिटायर्ड एग्रीकल्चर के अफसर इस लैंड रिफार्म को रोक देना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कांग्रेस दल के अन्दर और इस सदन में बड़े बड़े नेता इस लैंड रिफार्म के बारे में भिन्न भिन्न मत रखते हैं। इस अवस्था में यह योजना कैसे सफल हो सकती है। यह हालत उस पार्टी में है जो कि देश का शासन चला रही है।

हम थोड़ी देर के लिये यह मान लेते हैं कि यह योजना अच्छी है। इसमें बहुत सोच विचार कर टारजेट बनाये गये हैं। लेकिन उन पर अमल कौन करेगा? इसके लिये एग्जीक्यूटिव मिकेनिज्म क्या है। जो हमारा मिकेनिज्म है वह इस योजना को सफल करने के लिये काफी ताकत नहीं रखता। [illegible] मिकेनिज्म का इरादा है कि इसको सफल बनाये। पुराने जमाने में जब गोरे लोग हमारे देश पर हुकमत करते थे, जब निजाम, बड़ौदा और दूसरे बड़े बड़े राजे और नवाब इस देश में

[श्री रामम्]

थे और यहां फ्यूडल व्यवस्था चलती थी तो उस समय उस व्यवस्था को कायम रखने के लिये, लुटेरों को लाभ पहुंचाने के लिये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिकेनिज्म था उसको वैसा का वैसा ही कायम रखा गया है, उसी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा हम योजना को सफल कराना चाहते हैं। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी में अगर ५० आदमी एक राय रखते हैं तो दूसरे ५० उनके विरुद्ध राय रखते हैं यह हाल है। आज हालत यह है कि इस योजना के रथ को अगर कुछ बैल आगे को खींचते हैं तो दूसरे मजबूत बैल उसको पीछे को खींचते हैं। ऐसी हालत में यह रथ कहां जायेगा। मुझे यह अवस्था देख कर बड़ा अफसोस होता है। इस बारे में कुछ सोचा जाना चाहिये। हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मिकेनिज्म को सुधारना चाहिये, कांग्रेस में एक राय रखना चाहिये और डिसिप्लिन रखना चाहिये। इसके बिना यह काम नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको खत्म करना चाहिये।

श्री रामम् : मेरा निवेदन है कि इस बारे में योजना मंत्रालय को सोचना चाहिये और इस ओर कुछ कदम उठाने चाहिये। इसके बिना कोई अच्छा नहीं निकल सकता।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मेम्बर ने कहा कि कांग्रेस में फूट है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां जान होती है, काम करने की शक्ति होती है, वहां पर फूट और लड़ाई का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संस्कृत में कहा गया है—स्पर्धया वर्धते विद्या। जहां जीवन नहीं होता है, वहां काम करने की शक्ति भी नहीं होती है। एक मुर्दा—एक डेड बाडी—कोई काम नहीं कर सकता है।

†**श्रीमती मन्जुला देवी** (ग्वालपाड़ा) : श्रीमान्, जब योजना बनाई जाये तब बढ़ने वाली जनसंख्या, प्राकृतिक संकटों इत्यादि की ओर भी तो योजना बनाने वालों का ध्यान जाना चाहिये। सरकार को पहले यह सब बातें देखनी चाहिये थीं कि आप अनुज्ञप्तियां निर्बाध रूप से देने से विदेशी मुद्रा की कमी हो जायेगी। किन्तु योजना आयोग ने इस बात पर पूर्ण विचार नहीं किया। वास्तव में हमें विद्यमान संसाधनों का पुर्नमूल्यांकन कर लेना चाहिये। हमारी योजनायें सुव्यवस्थित होनी चाहियें।

गीता में भगवान ने कहा है :

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन : ।
बहुशाखा ध्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥

हमारी बुद्धि बहुशाखा विभक्त नहीं होनी चाहिये।

हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि जितनी अधिक विदेशी सहायता हम लेंगे उतनी ही अधिक बाधायें विदेशी मुद्रा संसाधनों के बारे में हमारे मार्ग में खड़ी होंगी।

मुझे प्रसन्नता है कि अब खाद्य तथा कृषि के मामले को प्रधानता दी जायेगी। वास्तव में राज्य को अनाज लेने तथा वितरण करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये। हमें प्रशासनिक विभाग भी ज्यादा

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़े नहीं बनाने चाहिये क्योंकि उससे व्यय होता है। थोड़े कर्मचारियों को अधिक प्रोत्साहन दे कर जनता की सेवा के लिये नियुक्त करना चाहिये। जहां जहां सामुदायिक परियोजनायें हैं वहां वहां ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न होना चाहिये।

यदि हमने सामाजिक प्रगति के कार्यों के लिये व्यय कम किया तो उससे जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सहयोग हमें न मिलेगा। हमें जनता से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

योजना का उद्देश्य जन कल्याण है किन्तु यदि लोगों के कल्याण के लिये पाठशालायें, चिकित्सालय आवास स्थान ही न बने तब जनता क्या यह समझेगी कि योजना से उन्हें कोई लाभ है।

मैं यह नहीं कहती कि और अधिक कर लगाया जाये। इससे तो जनता में और भी अधिक निराशा फैलेगी और अविश्वास बढ़ेगा।

हम सिंचाई, उद्योगों और परिवहन तथा संचार से ६०/७० करोड़ रुपया बचा सकते हैं और उसे समाज कल्याण की बातों पर व्यय कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर ध्यान करेंगे।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलदुर्ग) : श्रीमान्, मंत्री महोदय तथा माननीय सदस्यों के भाषण सुन कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारी योजना कठिनाइयों में फंस गई है। विदेशी मुद्रा की कमी पड़ गई है और मूल्यों में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई है।

यह बात नहीं कि कठिनाइयां अचानक ही आ गईं बल्कि पहली योजना से ही उनका आभास तो होने लग गया था किन्तु हमारे आयोग ने किसी भी चीज की ओर यथार्थ दृष्टि से न देखा। योजना आयोग ने ४,८०० करोड़ रुपये की योजना बनाई। उनका विचार था कि यह सारा रुपया उन्हें देश में ही मिल जायेगा। उनकी राय में अतिरिक्त करों से भी रुपया आ सकता था। कई लोगों ने तो उसी समय इस योजना पर सन्देह की दृष्टि की थी किन्तु सरकार आशावान थी किन्तु अब कठिनाइयां ही कठिनाइयां हमारे समक्ष हैं

मैं केवलमात्र एक ही बात पूछना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग ने पहले इन सब बातों पर नहीं सोचा। वास्तव में उन्होंने नहीं सोचा।

योजना आयोग को व्यवहार्य योजना बनानी चाहिये थी किन्तु खेद है कि उन्होंने वास्तविकता की ओर ध्यान न दे कर अनुमान के आधार पर ही योजना बना डाली और उससे और भी उलझनें खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा ४५० करोड़ के अतिरिक्त कर लगाये जायें किन्तु यह न सोचा कि इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। उन्होंने राज्यों का हिस्सा २,२०० करोड़ निर्धारित किया पर यह न सोचा कि क्या राज्यों में उतनी क्षमता भी है। योजना आयोग ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर कोई भी ध्यान न दिया।

इसी प्रकार उन्होंने विदेशी मुद्रा के प्रश्न पर भी कुछ न सोचा। उनका कर्तव्य था कि वे सब इन बातों की बाबत सोचते। आखिर योजना आयोग में निशेद हैं अनुभवी लोग होने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहम्मद इमाम]

अब रहा सरकार का प्रश्न। वह योजना का नाम ले ले कर कर लगाती जा रही है। १९५६ से लगाकर वह कर लगाती चली आ रही है। किन्तु अधिकतर रुपया तो योजनातिरिक्त विषयों पर ही चला जाता है।

अब जहां तक जनता का संबंध है वह कर दे रहे हैं और भार से दबे हुए हैं। सहयोग भी पूरा कर रहे हैं।

अब सरकार ने योजना को छोटे भागों में बांट लिया है। कुछ तो अत्यावश्यक परियोजनायें हैं कुछ कम आवश्यक इत्यादि। इन सब को देखने से ज्ञात होता है कि सरकार ने दक्षिण को तो बिल्कुल ही छोड़ सा रखा है। केरल के लिये केवल ५० लाख का आवंटन है। मैसूर को ४½ करोड़। ये राशियां बहुत ही कम हैं। उत्तर प्रदेश में तो रिंहड बान्ध सी योजनाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है जो कि पहले इसमें शामिल किये जाने के लिये रखी ही न गई थी किन्तु दक्षिण की चिन्ता किसी को भी नहीं है। क्या हमारे साथ सौतेली मां का सा व्यवहार इसी कारण किया जा रहा है कि हम दिल्ली से दूर रहते हैं। हमारे साथ भी न्याय होना चाहिये।

मैं कृषि विकास के विरुद्ध नहीं हूँ। यह तो होना ही चाहिये किन्तु सामुदायिक योजना क्षेत्रों में रुपया व्यर्थ नहीं जाना चाहिये। यदि उन्होंने ५०,००० रुपये व्यय करने होते हैं तो १,५०,००० रुपये तो वे कर्मचारियों पर व्यय करते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बड़ी खुशी के साथ वह तकरीर सुनी है जो हमारे श्री नन्दा साहब ने इस हाउस में दी थी। मैं उनकी फ्रेकनेंस (स्पष्टवादिता), उनकी रीयलिज्म (यथार्थवाद) और साथ ही साथ उनकी सिंसेरिटी (सद्भावना) की बहुत तारीफ करता हूं। ऐसी ही मैं उनसे उम्मीद भी रखता था। जहां मुझे उनकी तकरीर सुन कर खुशी हुई वहां साथ ही मुझे बड़ा दुःख भी हुआ.....

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उनकी तकरीर पर?

पंडित ठाक्कुर दास भार्गव : उनकी तकरीर सुन कर दुःख भी हुआ, यह मैं कह रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि रीयलिस्टिक तौर पर उन्होंने यह महसूस किया है जिसे इस हाउस के बहुत से मैम्बर भी महसूस करते हैं कि इतना कर्जा लेकर अपने प्लान के लिए हमारी सरकार ने देश को दबा दिया है, प्लानिंग कमिशन ने दबा दिया है। आने वाली नसलें जिन के वास्ते यह पांच साला प्लान बना है इस प्लानिंग कमिशन को क्या कहेगी यह मैं नहीं जानता। जो मैंने सुना है और जो कुछ मैंने किताबों में पढ़ा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कई वर्षों तक हमको एक अरब रुपया सालाना देना पड़ेगा और यह देखकर और सुन कर मेरा कलेजा मुंह को आता है। मुझे डर है कि इतना बड़ा कर्जा देकर और इस स्कीम को बना कर तथा कार्यान्वित करके, मैं नहीं जानता, किस कद्र अकलमन्दी से काम लिया गया है....

श्री म० चं० जैन (कैथल) : पार्लियामेंट ने इसे मंजूर किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इसको जानता हूं और मैं भी पार्लियामेंट का एक मैम्बर होने की हैसियत से यहां तकरीर कर रहा हूं। पार्लियामेंट ने इतना विदेशी कर्जा लेना कभी मंजूर नहीं किया।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इतना बड़ा कर्जा लेने की जो बात है वह नन्दा साहब ने भी महसूस की है और कहा है कि आगे हमको अनरीज़नेबल प्रोपोर्शन से (अनुचित मात्रा में) कर्जा नहीं लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि उन्हें यह अहसास तो हुआ है। मुझे आशा है कि उस तरह का कर्ज़ और मजीद नहीं लिया जाएगा और देखा जाएगा कि देश के अन्दर इस तरह का एटमसफीयर (वातावरण) न बने कि देश यह महसूस करने लग जाए कि ऐसी स्कीमें जिन के बारे में पता नहीं कि जब नतीजा निकलेगा, कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। और देश दबता चला जा रहा है और देश में इसके खिलाफ बेचैनी फैलती चली जा रही है।

अब मैं एक छोटी सी बात लैंड रिफार्म्स (भूमि सुधार) के बारे में कहना चाहता हूं। उधर से बोलने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने लैंड रिफार्म्स के बारे में कहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लैंड रिफार्म्स जैसे कि हमारे प्लानिंग कमिशन ने कही हैं वे उसी तरह से यों कि यों मंजूर कर दी जाये तो यह देश के लिए बड़ी नुक्सानदेह चीज़ होगी। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। पंजाब के अन्दर रूरल एरिया के वास्ते यह कहना कि ३०० रुपया से अधिक कोई गांव वाला न पावे और इससे अधिक किसी की आमदनी न हो और न ही कोई कर सके मैं समझता हूं इससे ज्यादा सख्त और ज्यादा अनरीयल और कोई बात नहीं हो सकती है। पांच आदमियों के एक कुनबे के लिए जिसमें एक बाप हो, एक मां हो और तीन बेटे हों यह कहना कि उसकी ३०० रुपये से ज्यादा आमदनी न हो जिसका मतलब यह है कि एक आदमी की आमदनी दो रुपये रोज़ से ज्यादा न हो किस तरह से ठीक समझा जा सकता है। पंजाब के अन्दर छोटे से छोटा मजदूर भी दो रुपये रोज़ पाता है.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

†**श्री बाला साहिद पाटिल** (मिराज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १७ सितम्बर, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मेरा एक संशोधन था।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य पहले नहीं उठे। अब जब उनका विधेयक आये तब वे अवसर प्राप्त करें। आज उनके विधेयक के आने की आशा नहीं है, इसलिये कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अयोग्य व्यक्ति बंध्यीकरण विधेयक

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्होर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ प्रकार के व्यक्तियों को आवांछनीय शारीरिक एवं मानसिक अवस्था वाली संतान उत्पन्न करने से रोकने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कुछ प्रकार के व्यक्तियों को अवांछनीय शारीरिक एवं मानसिक अवस्था वाली संतान उत्पन्न करने से रोकने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जगदीश अवस्थी : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

छावनी (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री झूलन सिंह द्वारा ५ सितम्बर, १९५८ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी कि :

"छावनी अधिनियम १९२४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री झूलन सिंह अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री झूलन सिंह** : (सीवन) : विधेयक का मुख्य उद्देश्य छावनी संस्थापनों का लोकतंत्रीकरण है। मैंने इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के छयालीसवें प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया था। अब मैं एक जरनैल के भाषण से उद्धरण दूगां जो कि उन्होंने १९२४ में केन्द्रीय सभा के समक्ष इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करते हुए दिया था। जरनैल लार्ड रावलिनसन् ने कहा था "आरम्भ में छावनियां सैनिक शिविरों के रूप में थीं जहां सेनायें शान्ति के समय ठहरा करती थीं किन्तु समय व्यतीत होने पर वहां पर असैनिक जनता आई और लोग बसे। अतः अब उन प्रगतिशील बातों के आधार पर हमें नए सिरे से सोचने की अवश्यकता है। अब छावनियों का प्रशासन समय की गति से होने वाले परिवर्तनों के आधार पर भी होना चाहिये।"

यह बात ब्रिटिश समय के एक सैनिक की है। अब तो स्थिति और भी अधिक बदल गई है। अब सरकार को वह अविश्वास नहीं रखना चाहिये जो प्राचीन शासकों को था।

छावनियों के प्रशासन का लोकतंत्रीकरण समय के अनुसार होना ही चाहिये। इस व्यवस्था के अधीन भी सैनिकों के स्वास्थ्य संबंधी विषयों का पूरा ध्यान रखा जा सकेगा। अब सेनाओं के कार्य का प्रभार सैनिक पदाधिकारियों पर है अतः असैनिक जनता को भी अपना काम सम्हालने का अवसर प्राप्त हो जाना चाहिये। अब तो समूची स्थिति ही बदल गई है। हम अपने देश को स्वतः चला रहे हैं अतः हमें असैनिक जनता पर किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारी यह इच्छा नहीं कि किसी भी प्रकार से हम अपनी सेनाओं को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचायें।

अब जो असैनिक समितियां छावनी बोर्डों से संलग्न हैं अथवा कोई महत्व नहीं है। उनके निर्णय केवल सिफारिश होते हैं। पर आवश्यक नहीं उन्हें कि माना ही जाये । उनकी प्रशासन में कोई भी मांग नहीं है।

१९४९ में सरकार ने इस प्रश्न की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की थी और उनकी सिफारिश भी यह थी कि असैनिक क्षेत्र का प्रशासन असैनिक जनता के ही हाथ में रहने दिया जाना चाहिये। किन्तु अभी तक वह सिफारिश भी वैसे ही पड़ी है।

१९५४ में छावनी प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया था इस सम्मेलन में भी जो निर्णय हुए उन पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

हमारे देश में ५९ छावनियां है और यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सरकार इनके प्रशासन के लोकतंत्रीकरण में हिचकिचा कर यह सिद्ध कर रही है कि वह भी अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चल रही है। खैर मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य झूलन सिंह जी ने जो विधेयक यहां पर रखा है, मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने इस विधेयक को यहां प्रस्तुत करके इस सदन को अवसर प्रदान किया है कि वह छावनियों के संबंध में अपने विचार प्रकट कर सके। जहां मैं इस विधेयक का सिद्धांततः समर्थन करता हूं वहां मुझे श्री सिंह जी यह कहने के लिये क्षमा करें कि उन्होंने जो विधेयक यहां रखा है उसमें उन्होंने मूल अधिनियम में, मूल एक्ट में जो धारायें हैं, उनमें से केवल तीन धाराओं का ही उल्लेख किया है और वह चाहते हैं कि १३ और ६० जो धारायें हैं उनमें ही कुछ संशोधन कर दिये जायें तथा धारा १४ को समाप्त कर दिया जाय। यह बिल्कुल नाकाफी है। मैं समझता हूं कि जो अधिनियम है वह सन् १९२४ में बना था और उसमें समय समय पर संशोधन भी होते हैं और मुझ माननीय रक्षा उपमंत्री क्षमा करेंगे जब मैं यह कहूं कि इसमें से कोई भी धारा ऐसी नहीं मालूम पड़ती कि जिस का संशोधन आवश्यक न हो। मैं समझता हूं कि आमूल-चूल, जड़ से लेकर चोटी तक उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस लिये जो केवल तीन धाराओं में संशोधन करने की जो मांग की गई है उससे मुझे संतोष नहीं है। माननीय सदस्य ने जो बिल रखा है उसका मैं समर्थन करते हुये भी यह महसूस करता हूं कि मुझे उससे संतोष नहीं होता है ।

एक प्रकार से यह अधिनियम तो सन् १९२४ का बना हुआ है यानी ३४ वर्ष इसको बने हो गये हैं लेकिन इसके पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है वह बाबा आदम के ज़माने की मालूम पड़ती है। कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लोग अपने ही भारतीय नागरिकों पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं ।

छावनियों के शासन प्रबन्ध के संबंध में, वहां पर जो अधिनियम लागू है उसके संबंध में जब कभी भी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो यही तर्क पेश कर दिया जाता है कि शासन की ओर से ये छावनियां हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिये स्थापित की गई थीं तथा उनको ही वहां प्राथमिकता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

ी जानी चाहिये। वहां जो नागरिक आये, वे बाद में वहां पर बसे हैं और यह एक तरह का अहसान उन पर किया गया है कि उनको वहां बसने दिया गया। इस वास्ते देश के दूसरे नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं स्वायत्त शासन के यानी लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के वे उनको वहां नहीं मिलने चाहियें। मैं समझता हूं कि यह तर्क कुछ वर्ष पहले तो उचित माना जा सकता था लेकिन आज देश की बदली हुई परिस्थितियों में, लोकतंत्र के जमाने में यह ग्रहण ोग्य नहीं हो सकता है। आज सशस्त्र सेनाओं और साधारण नागरिकों में क्या अन्तर है। एक प्रकार से नागरिक निःशस्त्र सैनिक हैं और हमारी जो सशस्त्र सैनिक ैं वे एक प्रकार से सशस्त्र नागरिक हैं। इतना ही उनके बीच में अन्तर है। एक दूसरे के काम की पूर्ति करना, एक दूसरे की सहायता करना यह हमारा कर्त्तव्य है। इसलिये जिस अविश्वास की भावना के ऊपर इस कानून को बनाया गया है या उस पर अमल किया जा रहा है, इसकी जड़ को ही हटाना पड़ेगा।

कुछ वर्ष पहले यहां जब हमारे मंत्री महोदय ने इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था, आज से कोई चार वर्ष पहले तो उस समय यह आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही बड़ा संशोधन विधेयक, एक कम्प्रिहैंसिव बिल वह लाने वाले हैं। कई प्रश्न सदन में समय समय पर होते रहे हैं। और हमें हमेशा यह जवाब मिलता रहा है कि उस पर विचार हो रहा है। पिछले दिनों इसी सदन की जो प्राक्कलन समिति है, जो एस्टीमेट्स कमेटी है, उसने इस प्रश्न पर काफी बारीकी के साथ विचार किया था और मार्च १९५७ में अपनी रिपोर्ट इस सदन में पेश की थी, और गवर्नमेंट के सामने भी पेश की थी। उस महत्वपूर्ण समिति की रिपोर्ट पर अभी तक मंत्रालय ने कोई निर्णय नहीं किया, यह बहुत खेदजनक बात मालूम पड़ती है।

गवर्नमेंट की अपनी कठिनाइयां हो सकती हैं, इसे मैं स्वीकार करता हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि छावनियों के अन्दर, वहां जो परिस्थितियां हैं उनके रहते हुये हम बिल्कुल पूरे तौर से उन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं जोकि अन्य नागरिक क्षेत्रों में या नगरपालिकाओं में या म्यूनिसिपेलिटियों में पालन करने के लिये बनते हैं और कुछ थोड़ा सा अन्तर हमें अवश्य करना पड़ेगा लेकिन उनके बीच में इतना अन्तर नहीं होना चाहिये कि रक्षा मंत्रालय को इस बात के लिये ोषी करार दिया जाये कि भारत में दो तरह के नागरिक हैं, एक नागरिक तो वेहैं जो साधारण नागरिक हैं और दूसरे नागरिक वे हैं जो छावनियों के अन्दर सौभाग्य से या दुर्भाग्य से रहे हैं और उनके शासनतंत्र के दूसरे पाटों में पिस रहेहैं।

मैं आशा करता हूं कि जब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये खड़े होंगे तो शायद वह बतलायगे कि पहले जो बाजार कमेटियां थी उनकी जगह पिछली बार जब एमेंडिंग बिल आया था तो नागरिक क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया था, उस समय उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सिविल एरिया कमेटीज़ जो हैं उनको एक तरह से लोकल अटोनामी (स्वायत्तता) या अधिकार दिये जायेंगे और ये जो निर्णय करेगी, उसको कंटोनमेंट बोर्ड में रख करके एक प्रकार से स्वीकार कर लिया जाया करेगा। लेकिन मेरा अपना व्यावहारिक अनुभव यह है, और शायद यह मंत्री जी को भी मालूम होगा कि जगह जगह से शिकायतें आई हैं, कि ये कमेटियां बहुत काम नहीं कर रही हैं। इसका कारण यह है कि जो विषय नागरिक क्षेत्र के हैं वे ही विषय पूरे छावनी बोर्ड के हैं। मैंने देखा कि शुरू-शुरू में एक वर्ष तक नागरिक समितियों की बैठकें हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हीं विषयों पर वहा दुबारा बहस होती है तो उन्हीं के सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि उन मामलों को अलग कमेटियों में न रख कर कैंटोनमेंट बोर्ड में ही रक्खा जाय। तो एक तरह से यह समितियां अनावश्यक (रिडन्डेंट) हो गई क्योंकि एक बार नागरिक क्षेत्र समितियों में उन पर विचार होकर

और फिर पूरे छावनी बोर्ड के सामने उनको रक्खा जाता है। इससे एक तरह से समय ही बरबाद होता है। इस प्रकार यह समितियां एक प्रकार से डिफेक्ट हो गईं, मेरा ऐसा ख्याल है।

फिर माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस समय जो एक परपेचुअल आफिशल मैजारिटी चल रही है, उसको हटा कर के छावनी बोर्डों में इस बात का परीक्षण कर के सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या को बराबर कर दिया जायगा। मुझे पता नहीं कि सब जगह यह आदेश दिया जा चुका है या नहीं और उन पर अमल हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आया उस आश्वासन की पूर्ति की गई है या नहीं।

आज छावनियों का अधिनियम जिस तरह से लागू किया जा रहा है वह भी एक ऐसा मामला है कि छावनी बोर्ड जितने भी प्रस्ताव करता है, जितने भी बजट भेजता है, उनमें इतनी देरी हो जाती है उनको स्वीकृत करने में कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इस अधिनियम की बनावट ऐसी है कि जिसके कारण महीनों लग जाते हैं। मैं उदाहरण दूं। हर कैंटोनमेंट बोर्ड के भीतर, जो वहां के जनरल आफिसर कमान्डिग हैं, वे प्रधान भी हैं व पदेन अध्यक्ष भी हैं। जो भी प्रस्ताव या सुझाव किसी कैंटोनमेंट बोर्ड से जाता है, वह जाकर कमांड में रुक जाता है। कमांड में एक डिप्टी डाइरेक्टर साहब को नियुक्त किया गया है, वे एक प्रकार से जी० ओ० सी० इन चीफ के दाहिने हाथ की तरह से काम करते हैं। जी० ओ० सी० इन चीफ को कहां फुर्सत है ? उनको फौजी मामलों से ही फुर्सत नहीं है क्योंकि उनके सामने बहुत सी समस्यायें हैं। उदाहरण के लिये जो ईस्टर्न कमांड है उसके सामने नागा हिल्स का सवाल है और जो वैस्टर्न कमांड है उसके सामने सारे जम्मू कश्मीर और फ्रंटियर का सवाल है। इस प्रकार आफिसर कमान्डिग के पास फुर्सत नहीं कि वह कैंटोनमेंट बोर्डों के सुझावों पर विचार कर सकें। इसका नतीजा यह होता है कि जो, भी डिप्टी डाइरेक्टर्स नियुक्त किये गये हैं, मुझे आप क्षमा करेंगे अगर मैं यह कहूं कि वे तानाशाह की तरह से काम करते हैं। और जितने प्रपोजल्स नीचे से जाते हैं अक्सर उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है। कोई भी उनके सुझाव हों, उनको ऊपर नहीं जाने दिया जाता। मैं एक उदाहरण दूं। मेरे इलाके में लैंसदान का कैंटोनमेंट बोर्ड है। वहां से कई सुझाव भेजे गये। यहां पूछता हूं डाइरेक्टोरेट में या मिनिस्ट्री में, तो कहा जाता है कि वहां से आये ही नहीं, रास्ते में होंगे। उनकी गाड़ी बीच में ही अटक जाती है पता नहीं कहां वे रुक जाते हैं। कोई जरूरी बजट बन कर आता है या कोई प्रपोजल आता है विकास या सुधार के संबंध में तो उसके संबंध में भी तमाम अड़चें आ जाती हैं।

मैं इस संबंध में खास तौर पर यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस एक्ट में पूरा संशोधन किया जाय। उसके लिये हमारे मंत्री महोदय वचनबद्ध ह। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे अपने वचन को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करें। इसे ज्यादा नहीं टाला जा सकता। इस तरह के कई उदाहरण छावनी बोर्डों के बारे में हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये थे तो कहा गया था, इस सदन के अन्दर कि हम छावनियों को आदर्श बनाना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम छावनियों में अपना सीधा शासन इसलिये रख रहे हैं कि वे नगरपालिकाओं के लिये, नागरिक क्षेत्रों के लिये एक मौडल (आदर्श) का काम करें। यह बड़ी सुन्दर बात है, लेकिन क्या आज वे आदर्श स्वरूप हैं। आप के सामने मैं उदाहरण दूं। आप उत्तर प्रदेश को ही लीजिये। वहां हर एक म्यूनिसिपल एरिया में, नोटिफाइड एरिया में, टाउन एरिया में, प्राइमरी कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा जारी की जा चुकी है, लेकिन केन्द्रीय सरकार की छाया छावनी बोर्डों के ऊपर होते हुये भी उनमें अभी तक निःशुल्क शिक्षा जारी नहीं की गई। इसका क्या कारण है ? तथ्य यह है कि यह जो ऐक्ट है वह रास्ते में कावट डाल रहा है और कांस्टिट्यूशन, संविधान की भी कुछ धारायें ऐसी हैं जिनसे अड़चन पड़ती हैं। इस लिये माननीय श्री झूलन सिंह

[श्री भक्त दर्शन]

से पूरी तरह सहमति रखते हुये भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैबन्द लगा कर काम नहीं चलेगा। एक धारा में संशोधन कीजिये, दो धाराओं में संशोधन कीजिये, कुछ धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्खा गया था, और कुछ में किया भी जा चुका है, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। । जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था, इसकी बुनियाद ही नये सिरे से रखनी होगी। अहिंसावादी होते हुये मुझे यह शब्द नहीं कहने चाहियें, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है कि इस पुराने मकान को उजाड़ कर नये सिरे से दूसरा महल आप कायम करेंगे तब जाकर, जिस तरह से आज छावनी बोर्डों का शासन चल रहा है, जिस तरह की वहां पर व्यवस्था चल रही है, उसमें सुधार किया जा सकता है।

मैं अधिक समय न ले कर माननीय मंत्री जी से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि छावनी बोर्डों के सम्बन्ध में जो अधिनियम बनाया गया है उसमें संशोधन करने के बारे में उन्हें शीघ्रता करनी चाहिये। आखिर कांस्टिट्यूशन में जो अड़चनें हैं, उनके बारे में वे हमें समझाने की कृपा करें। मैंने बताया कि चार साल पहले उन्होंने बचन दिया था, उन्होंने कहा था कि वे एक परीक्षण कर रहे हैं सिविल एरिया कमेटियों में, उन्हें देखा जाय। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह परीक्षण बिल्कुल निरर्थक हो गया और बेकार हो चुका है, उससे छावनी बोर्डों की जनता को कोई सन्तोष होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिये उनकी इस स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिये। प्राक्कलन समिति ने जो रिपोर्ट रक्खी उस पर उनको ध्यान गया, सारे सदन और गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया गया, लेकिन आज डेढ़ वर्ष के बाद भी यह नहीं बदला जा सका, और अभी तक वह विधेयक नहीं आ सका। अतः मैं खास तौर पर यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बीच की मंजिलें हैं, जो नया विधेयक बनाया जाय, उसमें इन बीच की मंजिलों को समाप्त किया जाना चाहिये। उसमें जो देरी करने वाली धारायें हैं, डाइलेटरी तरीके हैं, उनको हटाना चाहिये। मैंने पहले भी सुझाव दिया था और आज भी दोहराना चाहता हूं कि एक कमेटी ऐसी होनी चाहिये जिसे आप ऐडवाइजरी कमेटी कह सकते हैं, केन्द्र के मंत्रालय को सलाह देने के लिये उसे होना चाहिये, जिस के अन्दर छावनी बोर्डों के प्रतिनिधि हों। ऐक्ट के अन्दर यह चीज होनी चाहिये। उस में संसद् के भी प्रतिनिधि हों, और हमारे छावनी बोर्डों की क्या आवश्यकतायें हैं, इस पर वे समय-समय पर सुझाव दे सकें।

मैं रक्षा मंत्रालय का अनुग्रहीत हूं कि छावनी बोर्डों को पिछले दो तीन वर्षों में विकास के लिये काफी रुपया दिया गया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन रुपया देने के साथ में, उनकी विकास योजनाओं को स्वीकार करने के साथ में, उनकी जनता को कुछ अधिकार भी मिलने चाहियें, और उन्हें कुछ विश्वास भी दिलाया जाना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यहां केवल शाब्दिक आश्वासन ही न दें,बल्कि दृढ़ निश्चय से घोषणा करें कि अगर अगले अधिवेशन में नहीं, क्योंकि उस अधिवेशन में वे कुछ कर नहीं सकते, भविष्य में देर से देर, मैं इतना ही समय देने के लिये तैयार हूं, तो अगले बजट अधिवेशन में वे जरूर यह विधेयक ले आवेंगे। आज वे इस का आश्वासन दें। मैं श्री झूलन सिंह जी का, वे जो छोटा सा कानून लाये हैं, उस के लिये बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। कैंटोनमेंट की जनता उनकी आभारी है कि उन्होंने इस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया, और गवर्नमेंट का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल नाकाफी है, व अपर्याप्त है, और इससे पूरी समस्या सुलझने वाली नहीं है क्योंकि केवल तीन धाराओं के संशोधन से कुछ नहीं होगा। हमें सारे विधेयक पर ही विचार करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान्, मैं श्री भक्त दर्शन द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूर्णतया सहमत हूं । छावनी अधिनियम १९२४ में पारित किया गया था जिसका १९५२ तथा १९५७ में संशोधन किया गया मेरा अपना भी विचार यही है कि श्री झूलन सिंह ने यह संशोधन ठीक ही प्रस्तुत किया है क्योंकि छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों को नामनिर्देशित सदस्यों के कारण नुकसान पहुंच रहा है और वे अपना कार्य ठीक प्रकार नहीं कर पाते । १९५५ में श्री राजाराम शास्त्री इस सभा में बता चुके हैं कि किस प्रकार कानपुर में छावनी बोर्ड के सभापति जो उस स्थान के समादेशक पदाधिकारी होते हैं---के निर्णय के विरुद्ध निर्वाचित सदस्यों ने जब आवाज उठाई तो उनको यह कह कर दबा दिया गया कि ऐसा करना विद्रोह करना होगा। अब आप देखिये कि किस प्रकार का रवैया अपनाया जाता है ।

समिति के संगठन को लीजिये; इसमें समादेशक पदाधिकारी होता है तथा इसके अन्य सदस्य जिलाधीश द्वारा नामनिर्देशित एक प्रथम श्रेणी का दण्डाधिकारी, स्वास्थ्य पदाधिकारी, इंजीनियर, समादेशक पदाधिकारी और नामनिर्देशित चार सैनिक पदाधिकारी और सात निर्वाचित सदस्य होते हैं । यदि कोई पहले दर्जे की छावनी है तो निर्वाचित सदस्य सात होते हैं । जब निर्वाचित सदस्य कम होते हैं तो क्या होता है उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। कानपुर के छावनी बोर्ड के प्राधिकारी स्वच्छकरण करों को बढ़ाना चाहते थे परन्तु उन्हें भय था कि इसका विरोध किया जायेगा इसलिये इसे गुपचुप प्रस्तुत किया गया और निर्वाचित सदस्यों पर जबरदस्ती इस निर्णय को थोपा गया । जब इसको सामने लाया गया तो निर्वाचित सदस्यों ने पदत्याग की धमकी दी और यह मामला शायद केन्द्र तक लाया गया । तभी इन करों को नहीं बढ़ाया जा सका ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री झूलन सिंह ने दस संशोधन को प्रस्तुत किया है। इन छावनियों को अंग्रेजों ने बनाया था इसलिये हमारी सरकार को विचार करना चाहिये कि क्या इनकी अब भी आवश्यकता है। मेरा छावनियों से बड़ा सम्बन्ध रहा है तथा अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि छावनी बोर्डों की कोई आवश्यकता नहीं है और इनको समाप्त कर देना चाहिये। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि सैनिकों को अलग न रखा जाये। सैनिकों को अलग अवश्य रखा जाना चाहिये परन्तु बाजार क्षेत्रों आदि को जिनमें असैनिक रहते हों, छावनी में नहीं रखा जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे ।

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की हालत बहुत खराब रहती है । इनको न तो प्रतिरक्षा कर्मचारी माना जाता है और न ही स्थानीय बोर्ड का कर्मचारी । वेतन आयोग के सामने यह प्रश्न उठाया गया परन्तु वेतन आयोग ने कहा कि क्योंकि यह प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी नहीं हैं इसलिये इनके सम्बन्ध में वह विचार नहीं कर सकता है ।

(श्री बर्मन पीठासीन हुये)

बड़ी अजीब सी बात है कि प्रशासनिक कार्यों व अनुशासनिक मामलों में इन कर्मचारियों पर सैनिक अधिनियम लागू किये जायें परन्तु वेतन आयोग के सामने मामला पेश करने में उनको प्रतिरक्षा मंत्रालय का कर्मचारी न माना जाये। सरकारी पदाधिकारियों का इनमें बहुमत होने के कारण निदेशक तथा उप-निदेशक बोर्ड के कर्मचारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं । अब सरकार को निश्चित करना चाहिये कि इन कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में वेतन आयोग विचार करेगा अथवा कर्मचारियों की मांग के अनुसार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नि युक्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० म० बनर्जी]

किया जायेगा । इनको वेतन तथा भत्ते छावनी बोर्ड की आय के अनुसार दिये जाते हैं । जब भी कभी इनको बढ़ाने के बारे में कहा गया तभी हमें बताया गया कि छावनी बोर्ड के साधन सीमित होने के कारण इनको नहीं बढ़ाया जा सकता है । परन्तु आंकड़े देखने से पता लगता है कि ऐसी बात नहीं है अपितु भ्रष्टाचार के कारण अपव्यय हो रहा है । हमें भ्रष्टाचार को रोकना चाहिये और इसको रोकने का तरीका यही है कि कर्मचारियों को अधिक वेतन दिये जायें । उनकी काम करने की शर्तों में सुधार किया जाये । प्रतिरक्षा मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को ८५ अथवा ९० रुपये मिलते हैं परन्तु छावनी बोर्ड के इसी श्रेणी के कर्मचारी को ५६ रुपये मिलते हैं । आज जब अनुशासनिक कार्यवाही करने का अवसर आता है तो उन पर प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियमों को लागू किया जाता है । इसलिये मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इन कर्मचारियों की हालत पर विचार करें और पुराने विधेयक में आमूल परिवर्तन करदें । इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र श्री झूलन सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि १९२४ के विधेयक के परिवर्तन करने वाला नया विधेयक शीघ्र प्रस्तुत करें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मेरे एक मित्र ने बताया कि हमें छावनियों को समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि इनको अंग्रेजों ने बनाया था । परन्तु अंग्रेजों ने तो बहुत सी चीजें बनाई थीं जिनको हमने नष्ट नहीं किया है । इसलिये यह तर्क कि अंग्रेजों ने छावनियों को बनाया था इसलिये इनको समाप्त कर देना चाहिये, मुझे ठीक नहीं जंचा । मैं तो यह चाहता हूं कि हमें और छाविनियां बनानी चाहियें जिससे हमारे सैनिक तथा उनके परिवार ठीक तरह से रह सकें । जहां तक मैं समझता हूं छावनी वह स्थान है जहां पर सशस्त्र सेनायें तथा सैनिकों के परिवार रह सकें । हमारे देश में बहुत कम ऐसे सैनिक स्टेशन हैं जहां पर सैनिक परिवार सहित रह सकते हों ।

यह कहा गया कि इन छावनियों में दो प्रकार के नागरिक रहते हैं, एक सैनिक तथा दूसरे असैनिक । मैं समझता हूं कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिये । हम सब तो एक देश के नागरिक हैं और इसे दो प्रकार की नागरिकता बताना बहुत ग़लत बात है ।

मैं भी चाहता हूं कि छावनी अधिनियम में परिवर्तन किये जाने चाहियें क्योंकि सब से पहले यह १९२४ में बनाया गया था और इसको बहुत दिन हो चुके हैं और तब से अब तक बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं । इस विधेयक के खण्ड २ का मैं समर्थन करता हूं यह बहुत अच्छा खण्ड है और मैं इसके पक्ष में हूं कि निर्वाचित तथा नामनिर्देशित सदस्यों का अनुपात २:१ होना चाहिये ।

श्री झूलन सिंह ने मूल अधिनियम की धारा १४ को हटाने के बारे में जो संशोधन रखा है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं । किसी समय भी आपतकाल आ सकता है और इसीलिये हमें यह उपबन्ध रखना चाहिये । संविधान में भी आपतकाल में राष्ट्रपति के शासन की व्यवस्था रखी गई है ।

खण्ड ४ के बारे में, मेरे माननीय मित्र श्री भक्त दर्शन ने विलम्ब के मामलों के बारे में बताया जिनके लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्यालय जिम्मेदार है । मेरा अपना विचार है कि यह बिलम्ब केवल छावनियों में ही नहीं बल्कि समस्त प्रशासनों में होता है । इसलिये विधेयक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु फिर भी मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह देखे कि बिलम्ब किस प्रकार कम किया जा सकता है ।

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की शिकायतों पर भी माननीय उपमंत्री को ध्यान देना चाहिये । विधेयक के खण्ड ४ द्वारा धारा ६० का संशोधन किया गया है । धारा ६० में दिया है कि बोर्ड,

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, किसी भी नगरपालिका में लगे हुये कर को लगा सकता है। इससे तो समादेशक पदाधिकारी के अधिकार पर एक नियंत्रण ही लगाया गया है, इसलिये हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये ।

मैं खण्ड ३ तथा ४ का समर्थन नहीं करता, परन्तु खण्ड २ का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि पुराने अधिनियम में वर्तमान स्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जाये चाहियें।

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रूखाबाद) : मैं अपने मित्र को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करके सरकार का ध्यान छावनी अधिनियम, १९२४ की ओर आकर्षित कराया है। मैं भी श्री भक्त दर्शन से सहमत हूं कि १९२४ के अधिनियम में आमूल परिवर्तन किये जाने चाहियें। ऐसा मालूम होता है कि सरकार की भी ऐसी ही राय है कि छावनियों के कार्य संचालन में कुछ हद तक लोकतंत्रीय पद्धति अपनाई जाये। मैं समझता हूं कि पिछले साल एक अधिसूचना परिचालित की गई थी कि छावनियों में बंगलों की विस्तृत भूमि को भवन बनाने के लिये बेचा जायेगा। यदि वह चीज़ अब भी है तो इसका मतलब होगा कि बंगलों की ज़मीनें आम जनता को बेच दी जायेंगी और जब छावनियों में इतने सारे लोगों के आने की संभावना है तो फिर विधेयक को स्वीकार कर लेने में कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिये । छावनियों में रहने वाले असैनिकों को वहां पर बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। मेरा इससे यह मतलब नहीं है कि सैनिकों की सुविधाओं, स्वास्थ्य आदि का ध्यान न रखा जाये परन्तु साथ ही साथ इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे बहुमत द्वारा किए गये निर्णय को असैनिकों पर ज़बरदस्ती न लागू किया जाये ।

१९२४ के अधिनियम के द्वारा छावनियों को नगरपालिका के अधिकार दिये गये थे। जब इतने वर्ष पहले ऐसे अधिकार दिये गये थे तो इस विधेयक को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । सरकार को जनता तथा सैनिकों दोनों के हितों की रक्षा करनी चाहिये ।

मैं आशा करता हूं कि माननीय उपमंत्री इस विधेयक को स्वीकार कर लेंगे जिससे जनता को वह सभी सुविधायें मिल जायें जो सरकार देना चाहती है।

†**श्री बाला साहब पाटिल** (मिराज) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**सभापति महोदय** : घंटी बजाई जा रही है —अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय उपमंत्री अपना भाषण आरम्भ करें।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : श्रीमान्, मेरे प्रदेश पंजाब में एक कहावत है कि सोते हुए को जगाना तो आसान है परन्तु जो सोने का बहाना बनाये पड़ा हो, उसको जगाना बड़ा कठिन है। मेरे मित्रों ने लोकतंत्र के बारे में, और अंग्रेज़ों आदि के बारे में बहुत कुछ कहा। यदि श्री बनर्जी की बातों को मान लिया जाये तो उनके समस्त भाषण को ही हटा देना चाहिए क्योंकि उनका भाषण भी अंग्रेज़ी में ही जिसे अंग्रेज़ों ने ही लागू किया था। इसके साथ-साथ अंग्रेज़ों ने राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन आदि बनाये, इनको भी नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि यह भी तो उन्हीं के बनवाये हुए हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा वह उन्होंने वैसे ही कहा था। इसलिए मैं इस बात को यहीं समाप्त करके विधेयक के प्रस्तावक द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[सरदार मजीठिया]

जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने तीन संशोधनों का सुझाव दिया है। पहला छावनी बोर्डों में और अधिक सदस्यों का रखा जाना है। मैं इस बात को दोहराता हूं कि छावनी बोर्ड इसलिए बन क्योंकि सैनिक इन प्रदेशों में आये। असैनिक जनता भी यहां पर रहती है। परन्तु मझे यह बात बड़ी अजीब है कि जब आप कुछ लोगों को लोकतंत्र के अधिकार दें तो जो अन्य लोग वहां पर रहते हैं उनको उन अधिकारों से वंचित कर दें। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अब तक सामान्य असैनिक जीवन की गड़बड़ियों से हमने सैनिकों को अलग रखा है, क्योंकि यदि छावनी के कार्यसंचालन के अधिकार हम सैनिकों को दे देंगे तो मुझे भय है कि सैनिक अपने मूल उद्देश्य अर्थात् देश की प्रतिरक्षा की ओर अधिक ध्यान नहीं देंगे। हमने इसलिए नामनिर्देशन की व्यवस्था रखी है।

इससे यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए। सभा को पता है कि हमारे यहां छावनियां १, २-क, २-ख, २-ग और ३ श्रेणियों की हैं और इनमें सदस्यता भी भिन्न प्रकार की है। पहले दर्जे की छावनी में ८ नामनिर्देशित तथा ७ निर्वाचित सदस्य होते हैं अर्थात् निर्वाचित सदस्यों से नामनिर्देशन एक अधिक होता है। उसी प्रकार २-क दर्जे की छावनी में ७ नामनिर्देशित तथा ६ निर्वाचित, २-ख दर्जे की छावनी में छः तथा पांच, २-ग दर्जे की छावनी में पांच तथा चार और तीसरे दर्जे की छावनी में दो तथा तीन सदस्य क्रमशः नामनिर्देशित और निर्वाचित होते हैं। संभवतया छावनियों के यहां पर बहुत कम सदस्य हैं इसलिए एक वर्ष पूर्व हमने जो आदेश दिये थे उनको उन्होंने अच्छी तरह से नहीं समझा है। उस आदेश के द्वारा हमने तीसरे दर्जे की छावनी के अतिरिक्त अन्य सभी छावनियों में नामनिर्देशित तथा निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या समान कर दी है।

यह उस समिति की, जिसके सभापति श्री त्यागी थे, एक सिफारिश के अनुसार किया गया था। इसकी दूसरी सिफारिश भूमि नीति के पुनरीक्षण के बारे में थी। जिसको कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है। तीसरी सिफारिश छावनी बोर्ड के अधिकारों को असैनिक क्षेत्र समिति (सिविल एरिया कमेटी) को प्रत्यायोजित करने के बारे में थी। इसको भी लागू कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र ने यह किस प्रकार कहा कि सरकार इन सिफारिशों को लिए बैठी रही। असैनिक क्षेत्र समिति के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। इस समिति के हाथ में समस्त असैनिक क्षेत्र का काम है परन्तु पूरा नियंत्रण छावनी बोर्ड का है।

छावनी बोर्ड में बहु संख्या के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है इसलिए मैं कुछ आंकड़े सभा के समक्ष रखता हूं। भारत की समस्त छावनियों में १९५७ में कुल ८६४ बैठकें हुईं जिनमें से ३६४ बैठकों में गैर-सरकारी सदस्यों अर्थात् निर्वाचित व्यक्तियों की ही बहुसंख्या थी। १२३ बैठकों में दोनों की संख्या बराबर थी। शेष ३७७ बैठकों में से २३९ बैठकें तीसरे दर्जे की छावनियों में हुईं थीं जिनमें निर्वाचित सदस्य केवल एक होता है। इनको निकालने पर केवल १३८ बैठकें ऐसी रह जाती हैं जिनमें नामनिर्देशित सदस्यों की बहुसंख्या थी। यह बहुसंख्या भी इसलिए थी क्योंकि कुछ असैनिक सदस्य बैठकों में उपस्थित नहीं हुए थे। इससे मैं कह सकता हूं कि इनका कार्य पूरी तरह लोकतंत्रीय पद्धति का है। इसके अतिरिक्त मेरे मित्र यह भूल जाते हैं कि प्रतिरक्षा विभाग का, जो इन छावनियों का कार्यसंचालन करता है, सभापति निर्वाचित होता है तथा इस सभा का सदस्य होता है। जो

इन सदस्यों को चुनते हैं, वह उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। मैं नहीं जानता कि और किस प्रकार लोकतंत्रीय पद्धति होती है और मेरे मित्र किस प्रकार की चाहते हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह असैनिक क्षेत्र समितियां बड़ा लाभदायक काम कर रहीं है। मैं आशा करता हूं कि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि श्री झूलन सिंह नें धारा १३ का जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह अनावश्यक है।

इस विधेयक के द्वारा धारा १४ को एकदम हटाया गया है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने इस धारा को पूरी तरह नहीं समझा है । यदि वह इस धारा को देखें तो उन्हें पता लगेगा कि यह धारा नई छावनियों तथा उन छावनियों पर लागू होती है जहां सैनिक कार्यवाही हो रही हो। जहां स्थिति ऐसी हो वहां कुछ तदर्थ प्रबन्ध अवश्य किए जाने होते हैं। इसके अतिरिक्त इसका सामान्यत: केवल एक वर्ष के लिए आक्रमण किया जा रहा है और वह भी केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना के द्वारा। इसलिए यह इस मामले में लागू नहीं होता है। कुप्रशासन अधिनियम की धारा ५४ के अधीन आता है परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि आज तक कुप्रशासन के कारण एक भी छावनी बोर्ड का अवक्रमण नहीं हुआ है जब कि कितनी ही नगरपालिकायें तथा जिला बोर्डों का अवक्रमण हुआ है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपतकाल के लिए या नये छावनी बोर्ड के लिये इस प्रकार का अधिकार केन्द्रीय सरकार को न दिया जाये। आपतकाल के लिए इसकी आवश्यकता होने के कारण इसका हटाना ठीक नहीं है।

धारा ६० के संशोधन अर्थात् करारोपण के अधिकार के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है। बम्बई, उत्तर प्रदेश, तथा पंजाब के नगरपालिका अधिनियमों में अधिकतम तथा न्यूनतम करारोपण की सीमा रखी गई है। इस सीमा को कम अथवा अधिक करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति लेना आवश्यक है। हमने भी यही व्यवस्था रखी है कि केन्द्रीय सरकार की सहमति से ही नया कर लगाया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार की सहमति लेने का अर्थ हुआ कि इस सभा की सहमति लेनी होगी। इसीलिए स्थानीय संस्थाओं को करारोपण के अधिकार नहीं दिए गए हैं।

छावनियों को छोटा बनाने के बारे में कहा गया। समिति ने इसके बारे में यह सिफारिश की थी कि छ: छावनियों को छोटा कर दिया जाय। आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली तथा झांसी की छावनियां छोटी करदी गई हैं, समिति ने जिन अन्य १२ छावनियों को छोटा करने की सिफारिश की थी उनको अभी छोटा नहीं किया गया है क्योंकि कुछ छावनी बोर्डों ने इसका विरोध किया तथा कुछ की जनता भी इसके पक्ष में नहीं थी।

इस बारे में, मैं छावनी बोर्डों के निर्वाचितों का जिक्र करूंगा। निर्वाचनों में कुछ दल इनको छोटा करने के समर्थक थे जबकि कुछ इसके विरोधी थे। जो उनका छोटा करने के विरोधी थे उनकी चुनाव में जीत हो गई और हमने समझा कि जनता इसके विरोध में है। इसीलिए हमने उनकी इच्छा के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री बनर्जी ने कई प्रश्न उठाय जिनमें से एक छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के बारे में है। मैं बताना चाहता हूं कि मंत्रालय की इस सम्बन्ध में यह नीति है कि निकट की नगरपालिका अथवा जिला बोर्ड के कर्मचारियों की जो सेवा की शर्तें होती हैं उनको ही हम छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए निर्धारित करते हैं। यह अखिल भारतीय आधार पर

[सरदार मजीठिया]

निर्धारित नहीं की जाती हैं। वेतन आयोग नगरपालिकाओं तथा स्थानीय जिला बोर्डों के बारे में जो निश्चित करेगा, मंत्रालय उन पर विचार करेगा और लागू करने का प्रयत्न करेगा।

श्री भक्त दर्शन : इस विषय पर एक विस्तृत विधेयक लाने के बारे में मुझसे आश्वासन चाहते थे। मैं वही बात फिर दोहराता हूं जो मैंने कुछ वर्ष पहले कही थी। मेरे विचार से मैंने उस समय कहा था कि अनुभव होने पर सभी तरह से पूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकेगा। १, २, ३, अथवा ४ वर्षों में अनुभव नहीं हो पाता है। मैं कोई निश्चित अवधि तो बता नहीं सकता परन्तु यही फिर कहता हूं कि इस विषय में चिन्ता की आवश्यकता नहीं; पर्याप्त अनुभव के पश्चात् विधेयक अवश्य लाया जायेगा।

मेरा माननीय प्रस्तावक से अनुरोध है कि अपने विधेयक को वापस ले लें क्योंकि जो कुछ वह इसके द्वारा कराना चाहते हैं वह हम पहले ही से कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई थी और सन् १९५४ में मूल एक्ट में उन्होंने जो सुधार किया था उस समय कहा कि उनको देखने के बाद आगे कार्यवाई करेंगे लेकिन जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब यह प्रश्न इस सदन में रखा गया कि हमें अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा करनी चाहिये तो स्वयं मंत्री महोदय की तरफ से कहा गया कि हम अपने एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह बिना शर्त भी वचनबद्ध हैं। मैं चाहता हूं कि वह इस पर जरा और प्रकाश डालें।

†**सरदार मजीठिया** : जो कुछ मैं बता चुका हूं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्य वाद-विवाद में से इसे देख सकते हैं। जो कुछ मैंने बताया है वही मैंने कहा था और मैं उस पर दृढ़ हूं।

श्री झूलन सिंह : सभापति महोदय, यह मेरे लिये अभद्रता की बात होगी कि मेरे मित्र श्री भक्त दर्शन जी ने जो मेरे विधेयक का समर्थन किया है उनको उसके लिये मैं धन्यवाद अंग्रेजी भाषा में दूं। मैं उन्होंने जो मेरे बिल का समर्थन किया है उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि मैं उसके लिये उनका आभारी हूं।

मैं बतलाना चाहता हूं कि जब मैंने इस बिल को तैयार किया था तब मेरा मंशा भी इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का था। लेकिन हर एक की अपनी शैली होती है अपना तरीका होता है और जो तरीका मैंने अपनाया है वह अपने १०–१५ वर्षों के अनुभव के आधार पर जो मैंने धारा सभा में प्राप्त किया है अपनाया है। मैंने चाहा है कि कम करके बोला जाय और कम करके ही संशोधन पेश किये जायें। साथ ही साथ जो आधारभूत बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जो ओरिजनल सेट अप है जो आफिशल मैजोरिटी (सरकारी बहुमत) है उसको न रख करके अगर निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो जाय तो मेरा खयाल है कि यह सारा परिवर्तन आप से आप हो जायगा। एक सधे सब सधें वाली यह बात होगी। जो हो, यह खेदजनक है और यह कहते हुये मुझे तकलीफ होती है मुझे अफसोस होता है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो तसवीर हमारे सामने रखी है वह हम लोगों की बुद्धि में साफ नहीं हो पाई है। मेरी धारणा, अब भी उनका भाषण सुनने के बाद यही है कि इस विभाग

---

†मूल अंग्रेजी में

के अफसरों का गैर-सरकारी लोगों की योग्यता पर तथा उनकी नेकनीयती पर पूरा विश्वास नहीं है। कारण जो भी हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा उनके दिमागों पर उसका असर हो या देश के संचालन के आधार पर उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया हो, वह हो, मेरी यह भावना बनी हुई है कि उनको गैर-सरकारी लोगों में विश्वास नहीं है। मेरा मंशा इस बिल को पेश करने का यह था कि इस सदन का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करूं कि छावनियों में रहने वाले लोगों को किन तकलीफों का अनुभव करना पड़ रहा है तथा उनको उन तकलीफों से बचाने के लिये क्या कुछ किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका मंशा भी वही है जो मेरा है और अपने वह अनुभव के आधार पर आगे भी परिवर्तन करना चाहेंगे। मैं उनकी नेकनीयती पर विश्वास न करूं यह मेरे लिये और खास तौर पर इन बैंचों पर बैठने वालों के लिये अच्छी बात नहीं होगी, उचित बात नहीं होगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इन सुधारों को करने के लिये दस पन्द्रह वर्ष के तजुर्बे की आवश्यकता है। जैसा कि मंत्री जी का विचार है उससे तो हो सकता है कि सुधार लाने में एक पीढ़ी या दो पीढ़ियों तक इंतिजार करना पड़े और तब जाकर वह अनुभव प्राप्त कर सकें और तब ही इन सुधारों की आशा की जा सकती है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि १०–११ साल का जो अनुभव हम लोगों को हुआ है, उसको देखते हुये अब समय आ गया है कि आप परिवर्तन करें।

खैर, जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे संशोधन विधेयक की भावना के आधार पर वह काम कर रहे हैं और जो अनुभव उनको आगे प्राप्त होगा, उसी की रोशनी में वह आगे परिवर्तन करेंगे और इस सम्बन्ध में जो उन्होंने आश्वासन दिया है, उसको स्वीकार करते हुये, मैं इस सदन से अनुमति चाहता हूं कि वह मुझे इस विधेयक को वापस लेने की इजाजत प्रदान करे।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

समवाय (संशोधन) विधेयक

†**श्री महन्ती** (ढ़ेकाताल) : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अभी हाल में हमारे देश में समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले बड़े बड़े चन्दों के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। बम्बई तथा कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने इनके अनौचित्य के बारे में दो महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं जिनमें माननीय न्यायाधीश श्री तेंदोलकर तथा श्री मुकर्जी ने बड़े सबल शब्दों में यह तर्क उपस्थित किया है कि "चन्दों के रूप में दी जाने वाली इस प्रकार की बड़ी बड़ी राशियों से हमारे सामाजिक जीवन के भ्रष्ट होने का बड़ा भय है।"

२४ मई, १९५७ को पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह इस प्रश्न पर गौर करेंगे कि क्या समवायों को राजनीतिक दलों को इतनी बड़ी बड़ी रकमें देने का अधिकार देना ठीक है या नहीं। किन्तु आज इतने दिन बीत चुके हैं। सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके विपरीत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने राज्य-सभा में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

भाषण देते हुये १२ सितम्बर को यह कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश में लगभग सभी स्थानों के लिये उम्मीदवार खड़े किये हैं। उसने सारे देश में सामान्य चुनावों में लगभग ४,००० उम्मीदवार खड़े किये हैं। "इसके लिये पार्टी को पैसे की जरूरत होती है।" इससे साफ प्रकट होता है कि सत्तारूढ़ दल अपने उम्मीदवारों के लिये पैसा इकट्ठा करने के लिये इस बात को सर्वथा उचित मानता है।

किन्तु इसके वितरीत श्री एपलबी का, जिनको कि सरकार ने भारतीय प्रशासन की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिये बुलाया था, क्या कहना है? वह अपनी दूसरी रिपोर्ट के पृष्ठ ४४ पर कहते हैं कि "संसद् के निश्चय कुछ छोटे छोटे किन्तु प्रभावशाली व्यापारियों के हितों की ओर ज्यादा झुके हुये दिखाई देते हैं। कुछ स्वार्थी तथा पैसे वाले व्यापारी संसद् सदस्यों पर प्रभाव डाल कर संसद् की नीतियों में परिवर्तन करवा सकते हैं।" मैं समझता हूं हमारी संसद् के लिये यह सब से बड़ी कलंक की बात है कि कुछ धनवान लोग इसकी नीतियों के प्रवर्तक माने जायें। यह सब क्यों होता है? क्योंकि जब कोई दल किसी पूंजीपति से धन लेता है तब बदले में वह पूंजीपति उसकी मार्फत अपना काम निकलवाने तथा हित साधने का प्रयत्न करता है। यह बात नितान्त स्वाभाविक है।

इसी बुराई को दूर करने के लिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि समवाय अधिनियम की धारा २९३ में कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा ५००० रुपये निर्धारित कर दी जाये।

मूल विधेयक में भी इतनी राशि निर्धारित करने का उपबन्ध था। किन्तु जब विधेयक संयुक्त समिति में गया उस समय देश में सामान्य निर्वाचन होने वाला था। कांग्रेस पार्टी को रुपये की जरूरत थी। अतः समिति ने उसकी सीमा बढ़ा कर १०,००० रुपये कर दी। और जब वह बिल सभा के सामने आया तब क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आन पड़ा था सत्तारूढ़ दल ने यह सीमा और भी बढ़ा कर २५,००० रुपये कर दी।

आज हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि इस प्रकार अधिकतम सीमा बढ़ाने का क्या फल रहा है। सरकार ने इंडियन आयरन तथा स्टील कम्पनी को १० करोड़ रुपये का ऋण दिया है। उस पर कोई ब्याज नहीं। यह सब क्यों किया गया है? कम्पनी ने अपनी संस्थापना के स्मार्क पत्र में पैरा ६१ में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "कम्पनी उस राजनीतिक दल को दान अथवा चन्दे देगी जो कि उसके हितों की रक्षा का आश्वासन देगा।" इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कम्पनियां राजनीतिक विचारों के कारण पार्टियों को दान या चन्दा नहीं देतीं बल्कि ये देश की राजनीति तथा प्रशासन पर अपना कब्जा जमाने के लिये उनको खरीदने का प्रयत्न करती हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि टाटा तथा इंडियन आयरन तथा स्टील कम्पनी को किन कारणों से १०, १० करोड़ रुपये का बिना ब्याज का ऋण दिया गया है? क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि सरकार उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है जिन्होंने उसे दिल खोल कर पैसा देकर चुनाव जिताया है। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जो इस बात का सबूत हैं कि कैसे सरकार पैसा देने वाले लोगों के हाथों में कठपुतली बन जाती है।

मैं इस प्रकार की आर्थिक सहायता को वैध घूसखोरी समझता हूं। जब तक हम इस प्रकार की घूसखोरी को समाप्त नहीं करेंगे हमारा राजनीतिक जीवन भ्रष्ट होता जायेगा और हमें श्री एपलबी से अनेक ऐसे प्रमाण पत्र मिलते रहेंगे जिनका कि मैं अभी पहले जिक्र कर चुका हूं।

माननीय मंत्री ने दूसरे सदन में यह कहा है कि न्यायालयों को इस बात का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं कि कोई कम्पनी किसी राजनीतिक दल को कितना पैसा दे सकती है। मैं उनका ध्यान भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १७(२) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें न्यायालयों को स्पष्ट रूप से यह अधिकार दिया गया है कि वह इस बात की छानबीन कर सकें कि किसी कम्पनी ने किसी राजनीतिक दल को कितना धन दिया है तथा उसके लिये क्या इतना धन देना उचित था ? किसी भी कम्पनी का पार्षद सीमानियमों[1] में न्यायालय की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

कुछ लोगों ने यह कहा है कि इससे दान देने की भावना को रोकने का भाव व्यक्त होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे लोग कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले धन को दान समझते हैं ? यह रुपया दान की भावना से नहीं दिया जाता। यह इसलिये दिया जाता है कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार से दी जाने वाली ५ प्रतिशत तक की राशि को उस व्यक्ति की शुद्ध आय में नहीं गिना जाता और उस पर कोई आयकर तथा अतिरिक्त कर नहीं लगता। । यदि आप आयकर अधिनियम में से यह उपबन्ध हटा दें तो ये कम्पनियां एक पैसा भी दान न दें।

इन सब बातों को देखते हुये मैं इस बात का कोई कारण नहीं देखता कि सरकार को यह संशोधन स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है। मैं यह चाहता हूं कि हमें ५००० पये की मूल सीमा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अमेरिका में भी इस प्रकार के अधिनियम हैं जिसमें किसी भी राष्ट्रीय बैंक या संसद् द्वारा बनाये गये किसी विधेयक के अधीन बनाये गये निगम इत्यादि द्वारा देश के चुनावों या राजनीतिक पदों के लिये लड़े गये चुनावों के लिये पैसा देने को अपराध माना गया है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले निगम को ५००० डालर तक अर्थदंड दिया जा सकता है तथा अपराधी अधिकारी को १००० डालर तक अर्थदंड अथवा एक वर्ष का कारावास दंड या दोनों दंड दिये जा सकते हैं।

अतः अब इन दो न्यायिक निर्णयों को देखते हुये तथा इस सभा में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन तथा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार को धारा २६३ में ५००० रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच बिहार) : श्रीमान् जी अपने मित्र के भाषण को सुनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ है कि वह केवल इतना ही नहीं चाहते कि किसी राजनीतिक दल को ५००० रुपये से अधिक धन न दिया जाये बल्कि उनके संशोधन का यह अर्थ निकल सकता है कि जब कभी कोई भी कम्पनी किसी भी संस्था को, चाहे वह अस्पताल हो या स्कूल हो, ५००० रुपये से अधिक अंशदान दे तब उसे न्यायालय की स्वीकृति लेनी जरूरी है। मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र का कोई ऐसा आशय है। इसलिये मैं इस बात पर अधिक बल नहीं देना चाहता।

श्रीमान् यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है। यदि हम सिद्धान्त रूप से समवायों द्वारा राजनीतिक कार्यों के लिये धन दिये जाने की बात को अनुचित मानते हैं तब उसके लिये ५०० रुपया देना भी अनुचित है। परन्तु मेरे मित्र सिद्धान्त की बात नहीं करना चाहते वह केवल वर्तमान सीमा को घटाना मात्र चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वह सिद्धान्त रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Memorandum of Association.

[श्री न० र० घोष]

जहां तक सिद्धांत का प्रश्न है मैं समझता हूं कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को रुपया देने में कोई अनुचित बात नहीं है। जब एक व्यक्ति किसी दल को अपना सर्वस्व दे सकता है, एक प्राईवेट कम्पनी किसी राजनीतिक दल को जितना चाहे रुपया दे सकती है तब एक संयुक्त समवाय कम्पनी को ही राजनीतिक दलों को रुपया देने में क्यों आपत्ति की जाये ? ऐसी कम्पनियां भी एक प्रकार से वैध व्यक्ति ही मानी जाती हैं। जो काम एक व्यक्ति के लिये जायज़ है इनके लिये कैसे नाजायज हो सकता है ? ये कम्पनियां क्या हैं ? ५० या ६० अंशधारियों का एक ग्रुप जिनमें से कुछ व्यक्ति कम्पनी का काम चलाते हैं। इन्हें संचालक कहा जाता है। ये संचालक लोग पार्षद सीमानियमों के अनुसार कम्पनी का कार्य चलाते हैं। अब यदि इन सीमानियमों में सब लोग मिल कर यह निश्चित कर लेते हैं कि हमें लाभ होने की दशा में हम इतना रुपया उस राजनीतिक दल को देंगे जो हमारी विचारधाराओं के अनुकूल है तथा जो हमारे हितों की रक्षा करने को तत्पर है तो इसमें कौनसी अनुचित बात है ? मैं समझता हूं इसमें कुछ भी अनौचित्य या अनैतिकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा की पार्टी को मदद दे सकता है। यह उसका मूल अधिकार है। वह अपनी सम्पत्ति का जैसे भी प्रयोग करे। मैं समझता हूं 'लोक समवायों' का भी यह मूलाधिकार है कि वे अपने लाभ का जैसे भी उपयोग करें।

जहां तक दो माननीय न्यायाधीशों की राय का प्रश्न है वह केवल उनकी निजी राय है। उनका मत किसी निर्णय के रूप में नहीं दिया गया है। अन्य न्यायाधीशों की या व्यक्तियों की उनसे भिन्न राय हो सकती है। आखिर किसी व्यक्ति की राय क्या है ? किसी व्यक्ति की राय इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी प्रश्न पर किस दृष्टि से विचार करता है इसलिये मैं समझता हूं हमें इन दो निर्णयों की अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

हमारे देश में प्रजातंत्र सरकार की स्थापना पश्चिमी देशों के प्रजातंत्रों के आधार पर हुई है। ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया में ऐसी कम्पनियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे जिस राजनीतिक दल को अच्छा समझती हैं उसको जितना चाहे धन दे सकती हैं। अमेरिका में किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण इस प्रकार के अंशदानों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। किन्तु मैं समझता हूं हमारे देश में अमेरिका का अनुकरण करने के कारण नहीं।

यदि मेरे मित्र को ५००० रुपये तक अंशदान देने में कोई आपत्ति नहीं है तब मैं समझता हूं उन्हें किसी सीमा के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये। जब कोई बात सिद्धांत रूप से ठीक है फिर ५ और ५० में कोई अन्तर नहीं रह जाता। मैं समझता हूं इस धारा के संशोधन का कोई आधार नहीं रह जाता।

जहां तक पार्षद सीमानियमों के बदलने का प्रश्न है उसके लिये धारा १७ में एक विशेष प्रक्रिया समवीहित है। उसके लिये पहले अंशधारियों की बैठक बुलाई जाती है फिर जो कुछ उस बैठक में तय होता है उस पर न्यायालय का अनुमोदन लिया जाता है। न्यायालय इस बात पर निर्णय नहीं देता कि उस बैठक में जो निश्चय किये गये हैं वे ठीक हैं या गलत। न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस बात तक सीमित होता है कि अंशधारियों तथा संचालकों के संबंधों पर प्रभाव डालने वाले निश्चय अनुचित तो नहीं हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इसलिये धारा १७ का धारा २९३ से कोई संबंध नहीं और प्रत्येक कम्पनी का यह मूलाधिकार है कि वह अपनी विचाराधारा वाली राजनीतिक पार्टी को अधिनियम के अनुसार अंशदान दे सके।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में हमें बहुत सोच समझ कर ही कोई राय बनानी चाहिये। हमें फैसला करना है कि देश के अन्दर हम किस ढंग का ढांचा चाहते हैं। इस सभा ने फैसला किया है कि वह समाजवादी ढांचा चाहती है। आपको अब दूसरा फैसला करना है कि आया आप उस तरह से देश को बनाना चाहते हैं जिस तरह से कि चीन में और रूस में बनाया गया है या आप इस देश को डिमाक्रेटिक ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह हम फिर अगले दिन फैसला करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

†**श्री राने** (भुलडाना) : श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

तीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : श्रीमान्, मैं ११ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के संबंध में उत्पन्न हुई बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाना चाहता हूं। यह प्रश्न सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में था और यह चर्चा कारखानों, खानों तथा बागान उद्योग में काम करने वाले २४ लाख मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित है।

हम चाहते हैं कि इन लोगों की बीमारी या दुर्घटनाओं के कारण नौकरी पर न आ सकने की स्थिति में इनके पास निर्वाह के लिये पर्याप्त साधन रहने चाहियें . . .

†**श्री आचार** (मंगलौर) : श्रीमान्, सभा में इस समय गणपूर्ति नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं घंटी बजवा रहा हूं। अब भी संख्या पूरी नहीं होती। माननीय मंत्री अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेशों के निदेश संख्या १९ के अन्तर्गत अपना लिखित उत्तर सभा पटल पर रख सकते हैं।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं ऐसा कर दूंगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २२ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . .	३५७१--९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३९६	गरीबों को कानूनी सहायता . . .	३५७१—७३
१३९८	सफदरजंग हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना . . .	३५७३--७५
१३९९	अंग्रेजी भाषा संस्था . . .	३५७५--७७
१४००	हिमालय कोल एंड मिनरल इंडस्ट्रीज़, पश्चिमी बंगाल . .	३५७८
१४०२	दिल्ली प्रशासन की राज भाषा .	३५७९--८१
१४०४	उड़ीसा को सहायता . . .	३५८१--८३
१४०५	अर्ल बर्ट्रेन्ड रसल . .	३५८३
१४०८	जीवन बीमा निगम के कर्मचारी .	३५८४--८६
१४०९	भारत का राज्य बैंक .	३५८६--८७
१४११	भारतीय मुद्रा का स्टर्लिंग में बदला जाना .	३५८७—८९
१४१२	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	३५८९—९२
१४१४	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को सुविधायें	३५९२--९५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	३५९५—३६२६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३९७	व्यापार प्रबन्ध तथा मुद्रण की संस्थायें . .	३५९५–९६
१४०१	विदेशों से साइकिलें लाना . . .	३५९६
१४०३	रेडियो सीलोन के व्यापार विभाग को विज्ञापन दिया जाना	३५९६
१४०७	आदिम जातीय भाषाओं के लिये लिपि .	३५९६–९७
१४१०	संस्कृत पत्रिका	३५९७
१४१३	भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में वाल्वों का निर्माण .	३५९७
१४१५	पाटस्कर प्रतिवेदन	३५९८
१४१६	आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास . .	३५९८
१४१७	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय . . .	३५९८
१४१८	स्वदेश रक्षा संबंधी प्रशिक्षण	३५९९

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४१९ केरल का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . . ३५९९
१४२० बुनियादी शिक्षा . . . ३५९९
१४२१ केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन . . ३६००
१४२२ ज्वालामुखी में तेल तथा गैस ३६००
१४२३ केरल में शैल लाइम ३६००
१४२४ अग्रिम संयंत्र ३६०१
१४२५ ग्राम संस्थायें ३६०१
१४२६ उच्चतमन्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का लागू किया जाना ३६०१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३७७ बम्बई राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के दौरे ३६०२
२३७८ बम्बई में पकड़ी गई चोरी छिपे लाई गई चीजें . . ३६०२
२३७९ बम्बई राज्य की बेरोजगारी दूर करने के लिये सहायता . ३६०३
२३८० आंध्र प्रदेश में सेनाछात्र दल ३६०३
२३८१ उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान ३६०४
२३८२ पैट्रोल पम्पों का लूटा जाना ३६०४
२३८३ सामान के निर्यात पर बिक्री कर की छूट ३६०४
२३८४ आंध्र प्रदेश में शिक्षा विकास कार्यक्रम . ३६०४–०५
२३८५ मध्य प्रदेश के लिये आई० ए० एस० पदाधिकारी . . ३६०५
२३८६ कोटा (राजस्थान) में तेल के लिये छिद्र किया जाना ३६०५
२३८७ लक्कादीव द्वीप समूह में विकास योजनायें ३६०६
२३८८ प्रत्यक्ष कर पद्धति . . . ३६०६
२३८९ होस्टल बनाने के लिये ऋण . . ३६०६–०७
२३९० संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन . ३६०७
२३९१ पाकिस्तानी राष्ट्र-जन . . . ३६०७
२३९२ दिल्ली में स्कूल की इमारतें और शिक्षक . . ३६०७–०८
२३९३ दिल्ली में माइक्रोफोनों का उपयोग ३६०८–०९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३९४	सामान्य निर्वाचन	३६०९
२३९५	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	३६०९
२३९६	सरकारी कार्यालयों में मितव्ययता . . .	३६०९–१०
२३९७	सैनिक, नाविक एवं वैमानिक बोर्ड . . .	३६१०
२३९८	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी . .	३६१०
२३९९	दैवी विपत्तियों के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	३६१०–११
२४००	कलात्मक वस्तु-क्रय समिति . .	३६११
२४०१	एम० ई० एस० के ठेकेदारों को भुगतान	३६११
२४०२	आर्डनेंस डिपो . . .	३६१२
२४०३	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा राष्ट्रीय सेना छात्र दल .	३६१२
२४०४	ताज महल . . .	३६१३
२४०५	मराठवाड़ा में समाज कल्याण केन्द्र .	३६१३
२४०६	खासी पहाड़ी जिला की भूमि . .	३६१३
२४०७	केरल में अंजिन्गो का किला . .	३६१३
२४०८	इस्पात की कीमतें . . .	३६१४
२४०९	राज्य सरकारों को पेशगियां .	३६१४
२४१०	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य योजनायें .	३६१५
२४११	विदेशी भाषाओं के शब्दकोष . .	३६१५
२४१२	वित्त तथा लेखा अधिकारी सम्मेलन .	३६१५–१६
२४१३	आई० एन० एस० "तलवार" . . .	३६१६
२४१४	मेरठ जिले के उखीलिना में प्राप्त प्राचीन वस्तुयें	३६१६
२४१५	भारत का राज्य बैंक . . .	३६१७
२४१६	हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी . .	३६१७
२४१७	हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद्	३६१८
२४१८	विदेशी मुद्रा .	३६१८
२४१९	स्टेनोग्राफरों की परीक्षायें	३६१८–१९
२४२०	त्रिपुरा प्रशासन	३६१९
२४२१	प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन . .	३६२०
२४२२	शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारी .	३६२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२४२३	वित्त मंत्रालय के कर्मचारी	३६२०–२१
२४२४	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	३६२१
२४२५	समय से पहले सेवा-निवृत्ति	३६२१
२४२६	कालिदास का स्मारक . .	३६२१–२२
२४२७	पूंजी निर्गम नियंत्रण . .	३६२२
२४२८	इस्पात के कारखानों के लिये इंजीनियर प्रशिक्षार्थी	३६२२
२४२९	त्रिपुरा जूट व्यापारी संघ	३६२२–२३
२४३०	दिल्ली की जेल में सुधार .	३६२३
२४३१	दिल्ली राज्य में राजनीतिक पीड़ित . .	३६२३
२४३२	त्रिपुरा का शिक्षा निदेशालय . .	३६२४
२४३३	अगरताला का एम० बी० बी० कालेज	३६२४
२४३४	उड़ीसा की खानें	३६२४
२४३५	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	३६२५
२४३६	अनुसूचित जातियों के लिये बस्तियां	३६२५–२६

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३६२६–३०

गृह-कार्य मंत्री पंडित गो० ब० पन्त, सेठ गोविन्द दास, सर्वश्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, नाथ पाई, मी० रु० मसानी, खाडिलकर, ब्रजराज सिंह, रघुनाथ सिंह, पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश" तथा अध्यक्ष महोदय ने डा० भगवान दास के, जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान-सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६३०–३१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्न नियमों की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक ९ जुलाई, १९५८ की मनीपुर गजट अधिसूचना संख्या आई/जे/३७/५२-५८ में प्रकाशित मनीपुर हिन्दू विवाह पंजीयन नियम, १९५७।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

(दो) दिनांक ५ अक्तूबर, १९५७ की त्रिपुरा गजट अधिसूचना संख्या एफ० ३(१४५)-एल आर/५५ में प्रकाशित त्रिपुरा हिन्दू विवाह पंजीयन नियम, १९५७।

(२) विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :--

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या ८ चौथा सत्र, १९५८

(दो) जनुपूरक विवरण संख्या १० तीसरा सत्र १९५७

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १५ दूसरा सत्र, १९५७

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १६ पहला सत्र, १९५७

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा (३) की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७९०।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७९१।

राज्य-सभा से सन्देश ३६३१

सचिव ने राज्य-सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त होने की सूचना दी :--

(एक) कि राज्य-सभा ने १७ सितम्बर, १९५८ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २७ अगस्त, १९५८ को पारित व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक, १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(दो) कि राज्य-सभा ने १८ सितम्बर, १९५८ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५८ को पारित औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक, १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य ३६३१-३२

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) ने २२ सितम्बर, १९५८ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी विधान-कार्य तथा अन्य कार्य के क्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

समितियों में निर्वाचनों के लिये प्रस्ताव . . . ३६३२

श्री ब० गो० मेहता और श्री रंगा ने लोक-सभा के सदस्यों में से क्रमशः निम्नलिखित समितियों के लिये सदस्य चुनने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये--

(१) प्राक्कलन समिति

(२) लोक-लेखा समिति

प्रस्ताव स्वीकृत हुये ।

विधेयक--पुरःस्थापित ३६३३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

प्रस्ताव--विचाराधीन . . . ३६३३---४७

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के मूल्यांकन और उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव तथा तत्सबन्धी स्थानापन्न प्रस्तावों पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--स्वीकृत ३६४७

सत्ताईसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित . . ३६४८

श्री जगदीश अवस्थी का अयोग्य व्यक्ति बन्धयीकरण विधेयक, १९५८

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--वापिस लिया गया . . ३६४८---५६

श्री झूलन सिंह के छावनियां (संशोधन) विधेयक, १९५७ (धारा १३ और ६० का संशोधन और धारा १४ का लोप) पर आगे चर्चा समाप्त हुई। विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक – विचाराधीन ३६५९---६३

श्री सुरेन्द्र महन्ती ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि समवाय (संशोधन) विधेयक १९५७ (धारा २९३ का संशोधन) पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन---उपस्थापित . . ३६६३

तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विषय पृष्ठ

आध घंटे की चर्चा . . ३६६३

श्री विट्ठल राव ने सामाजिक सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या २६ के ११ अगस्त, १९५८ को दिये गये उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

क्योंकि गणपूर्ति नहीं थी इसलिये उपाध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि वाद-विवाद के उत्तर में श्रम उपमंत्री एक वक्तव्य सभा-पटल पर रख दें। गणपूर्ति न होने के कारण सभा ५—३४ म० प० पर स्थगित हुई ।

सोमवार, २२ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी सभावनाओं के बारे में प्रस्ताव तथा उस पर प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्तावों पर आगे चर्चा। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक, और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक पर विचार तथा उनका पारित किया जाना ।